रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—16 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—16

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 2
PART II — Section 2
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 33] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2016/ श्रावण 21, 1938 (शक)
No. 33] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2016/SHRAVANA 21, 1938 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA

The following Report of the Select Committee on the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 was presented to the Rajya Sabha on the 12th August, 2016:—

समिति का गठन

(11 दिसम्बर, 2015 को गठित रूप में)

1. *श्री भुपेन्द्र यादव — **अध्यक्ष**
2. श्री शान्ताराम नायक
3. श्री भुवनेश्वर कालिता
4. श्री नरेश अग्रवाल
5. श्री सुखेन्दु शेखर राय
6. श्री अनुभव मोहंती
7. श्री देवेंदर गौड टी॰
8. मीर मोहम्मद फैयाज
9. श्री ए॰ नवनीतकृष्णन
10. श्री प्रफुल्ल पटेल
11. श्री डी॰ राजा

* श्री अनिल माधव दवे की राज्य सभा से सेवानिवृत्त के परिणामस्वरूप 12 जुलाई, 2016 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त।

12. श्री हिशे लाचुंगपा
13. श्री राजीव चन्द्रशेखर
14. #श्री तिरूची शिवा
15. श्री नरेश गुजराल
16. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
17. श्री संजय राउत
18. @श्री सी॰ पी॰ नारायणन
19. **श्री दिलीपभाई पंडया
20. ##श्री शमशेर सिंह मन्हास
21. $श्री प्रमोद तिवारी
22. $$श्री हरिवंश
23. ^^श्री स्वपन दासगुप्ता

सचिवालय

1. डॉ॰ डी॰ बी॰ सिंह, सचिव
2. श्री के॰पी॰ सिंह, संयुक्त सचिव
3. श्री अशोक के॰ साहू, संयुक्त सचिव
4. श्रीमती न्याडखन्नेम गुईते, सहायक निदेशक

मंत्रालयों के प्रतिनिधि
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

1. श्री भानु प्रताप शर्मा, सचिव
2. श्री जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव
3. श्री राकेश कुमार, निदेशक

विधि और न्याय मंत्रालय

(I) **विधायी विभाग**

1. डॉ॰ जी॰ नारायण राजू, सचिव
2. डॉ॰ (सुश्री) रीता वशिष्ट, अपर सचिव
3. श्री आर॰ श्रीनिवास, अपर विधायी परामर्शी

---

22 दिसम्बर, 2015 को श्रीमती कनीमोझी के स्थान पर नियुक्त।

@ 21 मार्च, 2016 को श्री के॰ एन॰ बालगोपाल के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप 27 अप्रैल, 2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त।

** 29 जून, 2016 को श्री अनिल माधव दवे के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप 19 जुलाई, 2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त।

29 जून, 2016 को डॉ॰ चंदन मित्रा के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप 19 जुलाई, 2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त।

$ श्री अविनाश पांडे, जो 21 मार्च, 2016 को श्री मणिशंकर अय्यर के सेवानिवृत्त होने पर 21 मार्च, 2016 को नियुक्त हुए थे, के 4 जुलाई, 2016 से राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के परिणास्वरूप 19 जुलाई, 2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त।

$$ 7 जुलाई, 2016 को श्री के॰ सी॰ त्यागी के राज्य सभा से सेवा निवृत्त होने के परिणास्वरूप 19 जुलाई, 2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त।

^^ 5 जुलाई, 2016 से श्री रामदास आठवले के केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में नियुक्त होने के परिणामस्वरूप 19 जुलाई, 2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त।

(II) **विधि कार्य विभाग**

1. श्री एस॰ आर॰ मिश्रा, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार
2. श्री रामायण यादव, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार
3. श्री आर॰ एस॰ वर्मा, उप विधि सलाहकार; और
4. डॉ॰ आर॰ जे॰ आर॰ कासिवाटला, उप विधिक सलाहकार

प्रस्तावना

राज्य सभा की भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति के अध्यक्ष के रूप में और समिति द्वारा उसकी ओर से समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर मैं इस विधेयक के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 को राज्य सभा में 19 अगस्त, 2013 को पुर:स्थापित किया गया था। इस विधेयक को विभाग कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था जिसने 6 फरवरी, 2014 को संसद के समक्ष इस विधेयक से संबंधित अपना उनहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मंत्रालय ने इन संशोधनों के संबंध में विधि आयोग के विचार भी मांगे थे और विधि आयोग ने 2015 में अपने दो सौ चौवनवें प्रतिवेदन में कई सिफारिशें कीं। उन प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के आलोक में सरकार ने 2015 में इस विधेयक हेतु इकतीस अधिकारिक संशोधनों का प्रस्ताव किया जो मौलिक प्रकृति के थे और जिनका इस विधेयक पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इस विधेयक और सरकार तथा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की जांच करने और सभा के दो सौ अड़तीसवें सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक राज्य सभा के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए राज्य सभा की भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति का गठन किया गया।

3. समिति ने कुल मिलाकर पंद्रह बैठकें कीं।

4. समिति ने 21 दिसम्बर, 2015 को हुई अपनी पहली बैठक में इस विधेयक में शामिल मुद्दों पर सामान्य चर्चा की और इस विधेयक की जांच करने के लिए कार्य योजना और कार्य विधि पर विचार-विमर्श किया। जैसी कि परंपरा है, समिति ने हितार्थियों से व्यापक परामर्श करने और प्रमुख अग्रणी राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समाचार पत्रों में अंग्रेजी, हिन्दी एवं देशी भाषाओं में विज्ञापन के रूप में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इच्छुक व्यक्तियों/संगठनों/हितार्थियों/विशेषज्ञों के विचारों तथा सुझावों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। समिति ने बेंगलूरू, मुंबई तथा कोलकाता के अध्ययन दौरों के द्वारा राज्य सरकारों, चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, राज्य सरकार के कर्मचारी संघों, विधि विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के विचारों को सुनने का भी निर्णय लिया। तदनुसार, बड़े पैमाने पर लोगों के विचार जानने हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी। इस विधेयक के संबंध में सुझाव/विचार मांगने के लिए जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के जवाब में 128 ज्ञापन प्राप्त हुए और इनमें से 12 को पूर्ण लिया गया। इनमें अंतर्निहित मुख्य सुझावों/टिप्पणियों के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की टिप्पणियां समिति के विचारार्थ मांगी गई।

5. 12 जनवरी, 2016 को हुई अपनी दूसरी बैठक में समिति ने इस विधेयक के उपबंधों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के विचार सुने।

6. 13 जनवरी, 2016 को हुई अपनी तीसरी बैठक में समिति ने इस विधेयक के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, (सीबीडीटी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) को सुना और जटिल कानूनी मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे।

7. समिति ने फरवरी, 2016 के महीने में बंगलूरु, मुम्बई और कोलकाता का अध्ययन दौरा भी किया। अध्ययन दौरे के समय, समिति ने कर्णाटक; तमिलनाडु; महाराष्ट; पश्चिमी बंगाल; बिहार; ओडिशा और गुजरात की राज्य सरकारों; दमन और दीव तथा दादरा नागर हवेली; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों; कर्णाटक बार काउंसिल; फेडरेशन ऑफ कर्णाटक चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री; इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए); मुम्बई चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री; इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया; बंगाल चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री; भारत चेम्बर ऑफ कामर्स; नम्मा बंगलुरु फाउंडेशन बंगलुरु; लोक सत्ता, हैदराबाद; जनगढ, बंगलुरु; अवंतिका फाउन्डेशन बेंगलुरु, सेन्टर फार बजट एंड पालिसी स्टडीज, बंगलुरु,

बंगलुरु; कॉलिशन एगेंस्ट करप्शन; कर्णाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ; एसोसिएशन ऑफ वूमेन इंटरप्रेन्योर ऑफ कर्णाटक; कर्णाटक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन; ऑल इंडिया बैंक इम्पलॉईज एसोसिएशन; ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कनफेडरेशन और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों/बैंकों के साथ बातचीत की। समिति ने बंगलुरु के अपने अध्ययन दौरे के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत) और पूर्व लोकायुक्त, कर्णाटक, न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े और पूर्व अपर मुख्य सचिव, कर्णाटक सरकार और अध्यक्ष, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया–कर्णाटक के श्री वी॰ बालासुब्रह्मण्यम से भी बातचीत की। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के लोकायुक्त, तमिलनाडु और केरल के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और आंध्रप्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी॰ सुभाषन रेड्डी ने ईमानदार लोक सेवकों की उत्पीड़न से संरक्षा करते हुए समाज में भ्रष्ट कृत्यों के प्रभावी रूप से उन्मूलन के लिए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 और उसके आधिकारिक संशोधनों द्वारा लाए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के संशोधनों से अपनी सहमति व्यक्त की है। समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितार्थियों की सूची **उपबंध II** में है।

8. चूंकि समिति को व्यापक विचार विमर्श के लिए और अधिक समय की आवश्यकता थी, तो समिति की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव में निर्धारित अवधि के भीतर सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पाना इसके लिए संभव नहीं है। 23 फरवरी, 2016 को हुई अपनी चौथी बैठक में समिति ने सभा से विधेयक के संबंध में प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए 29 अप्रैल, 2016 तक के समय विस्तार की मांग करने का निर्णय लिया। 25 फरवरी, 2018 को इस आशय से प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर सभा ने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने हेतु 29 अप्रैल, 2016 तक के समय विस्तार की मंजूरी दे दी थी।

9. 9 मार्च, 2016 को अपनी पांचवी बैठक में, समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के विचारों को सुना।

10. 10 मार्च, 2016 को हुई अपनी छठी बैठक में समिति ने मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और नागालैंड की राज्य सरकारों के विचारों को सुना।

11. 1 अप्रैल, 2016 को हुई अपनी सातवीं बैठक में समिति ने कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), फेडरेशन इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), पीएचडी चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, (पीआरएस) लेजिसलेटिव रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई), नेशनल कैम्पेन फॉर पीपुल्स राईट टू इनफोरमेशन (एनसीपीआरआई), इंडियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (सेंट्रल) एसोसिएशन, कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गजेटेड आफिसर्स आर्गेनाईजेशन और कनफेडरेशन ऑफ सिविल एसोसिएशन के विचारों को सुना।

12. 12 और 13 अप्रैल, 2016 को हुई अपनी आठवीं और नौंवी बैठक में समिति ने विभिन्न हितार्थियों से प्राप्त फीडबैक के प्रत्युत्तर के संबंध में विधेयक के खंडों पर विस्तृत चर्चा की।

13. चूंकि समिति ने अपने विचारों को अंतिम रूप देने तथा रिपोर्ट को अंगीकृत करने के लिए कुछ और बैठकें करने का निर्णय लिया था, इसलिए समिति ने मानसून सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक का समय और मांगने का निर्णय लिया। 29 अप्रैल, 2016 को पेश किए इस आशय के प्रस्ताव पर सभा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय मानसून सत्र के पहले सप्ताह तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी।

14. 26 अप्रैल, 2016 में हुई अपनी दसवीं बैठक में समिति ने प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किए जाने वाले विधेयक पर आंतरिक चर्चा की।

15. 7 जून, 2016 को हुई 11वीं बैठक में समिति ने गैर सरकारी साक्षियों से चर्चा की।

16. 21 जुलाई, 2016 को समिति ने अपनी 12वीं बैठक में विधेयक के उपबंधों पर डॉ॰ सुब्रमण्यम स्वामी, संसद सदस्य (राज्य सभा) के विचारों को सुना। समिति ने शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक आगे और समय मांगने का निर्णय लिया। 22 जुलाई, 2016 को पेश किए गए इस आशय प्रस्ताव पर सभा ने शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक समय बढ़ाने को मंजूरी दे दी।

17. समिति ने 2 अगस्त, 2016 को आयोजित अपनी तेरहवीं बैठक में विधेयक के उपबंधों के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के साथ विचार विमर्श किया।

18. समिति ने 8 अगस्त, 2016 को आयोजित अपनी चौदहवीं बैठक में विधेयक पर खंडशः विचार किया।

19. समिति ने 11 अगस्त, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में विधेयक से संबंधित अपने प्रारूप प्रतिवेदन और समिति द्वारा प्रतिवेदित किए जाने वाले संशोधित विधेयक पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

20. विधेयक पर विचार के दौरान समिति को इसके सदस्यों की ओर से भी कुछ सुझाव/संशोधन मिलें। इस प्रकार प्राप्त सुझावों/संशोधनों को **उपबंध III** में रखा गया है।

21. इस विषय पर विचार करते हुए, समिति ने अपने समक्ष रखे गए निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचनाओं को नोट किया:

(i) इस विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा प्रस्तुत पृष्ठभूमि टिप्पण;

(ii) भ्रष्टाचार रोधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएसी);

(iii) यूनाइटेड किंगडम का ब्राइबरी एक्ट, 2010

(iv) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 पर भारतीय विधि आयोग का दो सौ चौवनवां प्रतिवेदन (2015);

(v) 6 फरवरी, 2014 को संसद में प्रस्तुत किया गया विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति का उनहत्तरवां प्रतिवेदन;

(vi) विधेयक पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के लिखित विचार;

(vii) विधेयक पर केन्द्रीय अन्वेषण (सीबीआई) के लिखित विचार;

(viii) विधेयक पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के लिखित विचार;

(ix) विधेयक पर केन्द्रीय सीमा और उत्पाद शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के लिखित में विचार;

(x) विधेयक पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के लिखित में विचार;

(xi) 2015 और 2016 में सरकार द्वारा विधेयक में प्रस्तावित लिखित संशोधन;

(xii) विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के निवेदन और उन पर डीओपीटी की टिप्पणियां।

(xiii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निवेदन और उन पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की टिप्पणियां;

(xiv) विभिन्न संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों/विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञापनों में अंतर्विष्ट विचार/सुझाव और उन पर डीओपीटी की टिप्पणियां;

(xv) समिति की बैठकों के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर डीओपीटी के उत्तर; और

(xvi) विधेयक के उपबंधों के संबंध में सचिवालय की प्रश्नावली के हितार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों पर डीओपीटी की टिप्पणियां।

22. समिति अपने विचार-विमर्श में प्रदान की गई आवश्यक जानकारियों और दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा-शुल्क बोर्ड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, प्रवर्तन निदेशालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहती है। समिति उन सभी राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सिविल सोसायटियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहती है जो समिति के समक्ष उपस्थित हुए और जिन्होंने विधेयक के संबंध में अपने बहुमूल्य विचार रखे तथा विधेयक की जांच के संबंध में लिखित टिप्पणियां और सूचनाएं प्रदान कीं।

नई दिल्ली;
11 अगस्त, 2016

भुपेन्द्र यादव,
अध्यक्ष,
राज्य सभा की भ्रष्टाचार
निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013
संबंधी प्रवर समिति।

प्रतिवेदन

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (जिसे इसमें इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) में संशोधन करता है ताकि घरेलू भ्रष्टाचार रोधी विधिक ढांचे को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएसी), जिसे हमारे देश द्वारा अनुसमर्थन किया गया है, के अनुरूप बनाया जा सके। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संबंध में किए गए कई न्यायिक निर्णयों को देखते हुए कतिपय संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

2. विधेयक की मुख्य बातें

- 'अनुचित लाभ' की परिभाषा–धारा 2 (घ) को आधिकारिक संशोधनों द्वारा अंत: स्थापित किया गया।
- भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के त्वरित विचारण के लिए समय सीमा निर्धारित करना–धारा 4(5) को आधिकारिक संशोधनों के माध्यम से अंत:स्थापित किया गया।
- एकल धारा के तहत किसी लोक सेवक द्वारा घूस स्वीकार करने के सभी उपबंधों को पुनर्गठित करना आधिकारिक संशोधनों द्वारा धारा 7 को प्रतिस्थापित किया गया।
- घूस देने के कृत्य को अपराधीकरण बनाना–धारा 8 को आधिकारिक संशोधनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- लोक सेवक को घूस देने के लिए वाणिज्यिक संगठनों की आपराधिक देयता–धारा 9 को आधिकारिक संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया (नई धारा 32 के तहत नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई)
- सहमति अथवा उपेक्षा के मामले में वाणिज्यिक निकाय के वरिष्ठ प्रबंधन की देयता–धारा 10 को आधिकारिक संशोधनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- ऐसी अनुचित समृद्धि के आय से अधिक आस्तियों के सबूत का इरादतन संवर्धन और अधिग्रहण–विधेयक द्वारा धारा 13 का संशोधन किया गया।
- लोक सेवक के विरुद्ध जांच शुरू किए जाने हेतु लोकपाल अथवा लोकायुक्त द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति–सरकारी संशोधनों द्वारा धारा 17 का अंत:स्थापित की गई।
- संपत्ति की कुर्की और जब्ती–विधेयक तथा बाद में आधिकारिक संशोधनों द्वारा नई धारा 18क का अंत:स्थापन।
- सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों को समुचित सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व संस्वीकृत का संरक्षण प्रदान करना और उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृति प्रदान करने के लिए समय सीमा का उपबंध करना–विधेयक द्वारा धारा 19 का संशोधन किया गया।

3. विधेयक और विधेयक में प्रस्तावित आधिकारिक संशोधनों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की 19 धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7,8,9,10,12,13,14,19 और 20 का प्रतिस्थापन करने; धारा 11 और 24 को हटाने, धाराओं 2,4 और 32 का अंत:स्थापन करने और नई धाराओं अर्थात् 17क और 18क का अंत:स्थापन करने और धारा 1, 15, 16 और 23 का परिणामी संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

खंड 2

(मूल अधिनियम की उपधारा 2(घ) के तहत 'अनुचित लाभ' की परिभाषा का अंत:स्थापन)

4.0 सरकारी विधेयक का खंड 2 मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (6) का विलोप करता है। तथापि अब आधिकारिक संशोधन मूल अधिनियम की धारा 2 में उपखंड (घ), जिसे समिति द्वारा प्रतिवेदित किए

जा रहे विधेयक के खंड 2 के रूप में माना गया है, के तहत 'अनुचित लाभ' की परिभाषा को अंत:स्थापित करता है। यह खंड 'अनुचित लाभ' को 'विधिक परिलब्धियों से इतर किसी परितोषण के रूप में परिभाषित करता है। मूल अधिनियम की धारा 7 की व्याख्या (ख) और (ग) के तहत यथा परिभाषित 'पारितोषण' और 'विधिक परिलब्धियों को अब प्रस्तावित धारा 2 के प्रयोजनार्थ व्याख्या के रूप में दिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा है कि 'अनुचित लाभ' की परिभाषा और अभिप्राय को अंतर्राष्ट्रीय न्याय शास्त्र में भलीभांति समझा गया है। और इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएसी) से लिया गया है।

4.1 कुछ हितार्थियों का मत था कि 'गैर धनीय लाभ' पद की व्याख्या का उपबंध करने की आवश्यकता है क्योंकि लोक सेवक के विरूद्ध दुर्भावनापूर्ण और झूठी शिकायत दर्ज करने की प्रत्येक संभावना मौजूद है। इसके अलावा यह सुझाव भी दिया गया कि बैठक/सरकारी यात्रा के दौरान कतिपय आर्थिक सीमा के अध्यधीन परम्परागत उपहार/स्मारक चिन्ह/निशानी देने और शिष्टाचार पूर्ण मध्याह्न भोजन/रात्रिकालीन भोजन प्रस्तुत करने जैसे आकस्मिक आतिथ्य आदान प्रदान को 'अनुचित लाभ' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया जाना चाहिए।

4.2 समिति के सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि प्रस्तावित संशोधनों में प्रयुक्त 'अनुचित लाभ' शब्दों के आशय में सभी प्रकार के धन संबंधी और गैर धन संबंधी पारितोषण को शामिल किया गया है तथा प्रतीत होता है कि इसे पर्याप्त रूप से व्यापक बनाया गया है ताकि प्रवर्तन अभिकरण उसका दुरुपयोग न कर सकें।

समिति की समुक्तियां/सिफारिशें

4.3 समिति गौर करती है कि यूएनसीसी से उद्गृहीत 'अनुचित लाभ' आशय को किसी संविधि में व्यापक तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है। समिति यह भी गौर करती है कि आईपीसी 1860 की धारा 300 में यथा प्रयुक्त आशय की निहितार्थ 'कपटपूर्ण लाभ' है। इन शब्दों के न्यायिक निर्वचन यदा कदा ही हैं। समिति आशंका व्यक्त करती है कि प्रवर्तन/जांच अभिकरण भ्रष्टाचार के मामलों में लोक सेवक और सिविल सोसायटी के सदस्यों को प्रताड़ित करने के लिए उक्त आशय का दुरुपयोग कर सकते हैं और समिति यह सलाह देती है कि इस संबंध में पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए। तथापि समिति गौर करती है कि भारतीय विधि आयोग ने अपने 254वें प्रतिवेदन (फरवरी 2015) में 'अनुचित लाभ' पद को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रयोग करने का सुझाव दिया था। समिति इस खंड के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 में उक्त संशोधनों का समर्थन करती है।

4.4 तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि मूल अधिनियम की धारा 2 (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाए:

''भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(घ) ''अनुचित लाभ'' से ऐसा कोई पारितोषण चाहे वह जो भी हो अभिप्रेत है, जो विधिक पारिश्रमिक से इतर हो।'

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) 'पारितोषण' शब्द धनीय पारितोषणों या धन के रूप में प्राक्कलनीय पारितोषणों तक सीमित नहीं है;

(ख) ''विधिक पारिश्रमिक'' पद किसी लोक सेवक को संदत्त पारिश्रमिक तक निर्बन्धित नहीं है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसे सभी पारिश्रमिक भी हैं, जिसका सरकार या संगठन द्वारा, जिसकी वह सेवा करता है, प्राप्त करने के लिए अनुमत्त है।''

खंड 3

(भ्रष्टाचार के मामलों में समयबद्ध विचारण के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 4 में नई उपधारा का अंत:स्थापन)

5.0 सराकारी विधेयक का खंड 3 मूल अधिनियम की धाराओं 7,8,9, और 10 का पुनर्गठन करता है। तथापि मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के बाद उपधारा (5) का अंत:स्थापन करने के लिए आधिकारिक शोधन का प्रस्ताव किया गया है जिसमें विशेष न्यायाधीश को मामला दायर करने की तारीख से दो

वर्ष की अवधि के भीतर, जिसे विशेष न्यायधीश द्वारा एक बार में छह-छह महीने बढ़ाकर चार वर्षों तक किया जा सके, भ्रष्टाचार के मामलों में विचारण पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु बाध्य किया जा सके। विशेष न्यायधीश द्वारा समयावधि बढ़ाने के कारण लिखित रूप में रिकार्ड किये जाने चाहिए। इस तथ्य के मद्देनजर मूल अधिनियम की धारा 4 में आधिकारिक संशोधन को समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक में खंड 3 के रूप में माना गया है।

5.1 राज्य सरकारों द्वारा समिति को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से यह पाया गया कि भ्रष्टाचार संबंधी कई मामले कई राज्यों में दस से बीस वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। अधिकांश हितार्थियों का मत था कि प्रस्तावित दो वर्ष की समय सीमा का पालन किया जाना चाहिए और अपवादात्मक मामलों में इस अवधि की आधी अवधि का समय विस्तार दिया जाना चाहिए। न्यायपालिका के लिए ऐसे मामलों के विचारण के लिए समय सीमा के समान अन्वेषण के लिए समय सीमा और संस्वीकृति के लिए समय सीमा का भी अधिनियम में उपबंध किया जाना चाहिए ताकि बेहतर ढंग से दोषसिद्धि हो सके।

5.2 कुछ अन्य हितार्थियों ने यह भी निवेदन किया कि विचारण के लिए दो वर्ष की समय सीमा नियम करना जिसे छह-छह महीनों के ऋणों पर चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, न्यायालय कार्यविधियों को सुकर बनाए बिना नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से आग्रह किया जा सकता है कि वे दिन-प्रतिदिन आधार पर विचारण को स्थगित करने और विचारण करने से संबंधित प्रवर्तनकारी नियम निर्धारित करें जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 4 की उपधारा 4 में पहले ही उल्लेख किया गया है।

5.3 समिति के एक प्रश्न कि क्या आपराधिक क्रियाविधि के लिए समयसीमा निर्धारित किया जाना श्री पी॰ रामचन्द्र बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 4 एससीसी 588 मामले में दिए गए अनुपात के अनुरूप हैं, इसके उत्तर में विधि कार्य विभाग ने फिलीपींस के उस त्वरित विचारण अधिनियम, 1988 का उद्धरण रखा जिसमें संपूर्ण विचारण अवधि विचारण के प्रथम दिन से 180 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभाग ने यह भी निवेदन किया कि यह मामला निर्णय की समीक्षा करने के लिए सात न्यायधीशों की संवैधानिक न्यायपीठ के पास भेजा गया है। समिति ने विकल्प के तौर पर आधिकारिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित निश्चित समयसीमा के स्थान पर 'जहां तक संभव हो' पर का प्रयोग करने का सुझाव दिया है।

समिति की समुक्ति/सिफारिश:

5.4 समिति भ्रष्टाचार के मामलों के विचारण हेतु समय-सीमा का निर्धारण करने के लिए इस अधिनियम की धारा 4 में उक्त संशोधन का समर्थन करती है। तथापि, समिति आशा करती है कि विशेष न्यायाधीश समय विस्तार की मांग किए बिना निर्धारित दो वर्षों के अंदर विचारण पूरा करने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे। समिति ऐसा सुनिश्चित करने हेतु जांच अभिकरणों पर बल देती है कि मूल अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों की जांच तथा आरोप-पत्रों को दायर किया जाना भी उपयुक्त समय-सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाए ताकि मामलों की जांच को लंबे समय तक बढ़ाकर लोक सेवकों को परेशान न किया जाए।

5.5 तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि निम्नलिखित संरूपण के अनुसार खंड को शामिल किया जाए:

''मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(5) विशेष न्यायाधीश, मामले को दायर किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विचारण का पूरा होना सुनिश्चित करेगा:

परंतु वाद का विचारण दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा न हो सकने की दशा में, विशेष न्यायाधीश उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा और विचारण छह मास की उस अतिरिक्त अवधि के भीतर पूरा करेगा जिसे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, प्रत्येक बार छह मास तक बढ़ाया जा सकेगा, किंतु विचारण पूरा करने की कुल अवधि, चार वर्ष से अधिक की नहीं होगी।''

खंड 4

(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7,8,9 और 10 का प्रतिस्थापन)

6.0 धारा 4 में नए अधिनियम संशोधन के साथ अधिकारिक विधेयक, 2013 द्वारा मूल अधिनियम की धाराओं 7,8,9 और 10 में प्रस्तावित संशोधनों को समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक के खण्ड 4 के रूप में पुन:

संख्यांकित किया गया है। उक्त खण्ड अन्य बातों के साथ-साथ यूएनसीएसी के उपबंधों के अनुरूप रिश्वत दिए जाने को स्पष्टतया अपराध बनाने का प्रस्ताव करता है। उक्त खण्ड भ्रष्टाचार के अपराध के समान भागीदार होने के कारण रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों के लिए समान दंड का भी निर्धारण करता है।

6.1. लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने के पश्चात् रिश्वत देने वाले व्यक्ति का कथन अब रिश्वत देने वाले के लिए बचाव नहीं होगा। डीओपीटी ने आधिकारिक संशोधन के माध्यम से ऐसे रिश्वत देने वाले व्यक्ति को जो रिश्वत देने से पूर्व पुलिस/जांच अधिकरणों को सूचना देता हो और रिश्वत लेने वाले को रंगे हाथों पकड़ने में सहायता प्रदान करता हो, सुरक्षा प्रदान करने हेतु धारा-8 की उप-धारा-2 के अंत:स्थापन का प्रस्ताव किया है। परिणामस्वरूप, अब मूल अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत रिश्वत देने वाले को प्रदान की गई सुरक्षा को हटा दिए जाने का प्रस्ताव है।

6.2. अनेक हितार्थियों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई कि बिचौलियों के माध्यम से रिश्वत लिया जाना जिसे मूल अधिनियम में शामिल किया गया था, इस संशोधन से छूटा हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने महसूस किया कि भ्रष्टाचार पर रोक हेतु रिश्वतखोरी की श्रृंखला में वाहकों अथवा तीसरे पक्षों को शामिल करने हेतु संगत उपबंधों को सम्मिलित किया जाए। समिति के कुछ सदस्यों सहित कुछ हितार्थियों ने माना कि लोप के कृत्य अथवा जानबूझकर लोप को इस विधेयक के खंड 4 के अंतर्गत प्रस्तावित धारा 7 के अंतर्गत अपराध के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

6.3 छोटे-मोटे और बड़े अथवा अधिक भ्रष्टाचार हेतु दंड को इस विधेयक में समान रखने का प्रस्ताव है। कुछ हितार्थियों ने दिया कि इसे तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए और भुगतान की गई अथवा प्राप्त की गई रिश्वत प्रमात्रा से जोड़ा जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों हेतु एकसमान दंड के बदले में श्रेणीबद्ध दंड की शुरूआत की जानी चाहिए।

6.4. सिविल सोसाइटी के कई सदस्यों ने बताया कि प्रपीडक रिश्वत देने वाले रिश्वतखोरी के अपराध से पीड़ित होते है। उन्होंने महसूस किया कि जहां तक रिश्वत देने वालों को दंड देने का संबंध है। प्रपीडक रिश्वत देने वालों के साथ दुस्संधिपूर्ण रिश्वत देने वालों के समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। रिश्वत देने वालों को जुम्मने सहित आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जबकि रिश्वत लेने वाले और दुष्प्रेरक/दलाल को कठोर कारावास सहित आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

6.5. कुछ हितार्थियों ने महसूस किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की प्रस्तावित धारा 7 में शब्दों 'लेने अथवा पाने हेतु सहमत' शब्दों की कानूनी मान्यता की अभी जांच की जानी है, क्योंकि केवल आशय अपराध नहीं होता, जब तक कि ऐसे आशय को कार्यरूप नहीं दिया जाता।

6.6. समिति के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि यदि रिश्वत देने वाला व्यक्ति लोक सेवक को अनुचित लाभ/रिश्वत देने/का भुगतान करने के तीस दिनों के अंदर पुलिस/जांच अभिकरणों को इस विषय की सूचना देकर स्वेच्छा से इकवाली साक्षी बन जाता है और उनकी सहायता करता है, तो उसे आपराधिक अभियोजन से उन्मुक्ति दी जा सकती है। रिश्वत देने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा प्राप्त लाभ की राशि के समान राशि राज्य को लौटानी होगी।

6.7. कुछ हितार्थियों ने प्रपीड़क रिश्वत देने वाले व्यक्ति को संरक्षा प्रदान करने हेतु मूल अधनियम की धारा 24 को बनाए रखने के लिए समिति से अपील की।

6.8. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने महसूस किया कि रिश्वत देने वाले व्यक्ति और रिश्वत लेने वाले व्यक्ति दोनों रिश्वतखोरी के अपराध में समान भागीदार हैं। क्या रिश्वत देने वाला इच्छुक भागीदार है अथवा उसे अनिच्छा से ऐसे अपराध करने के लिए बाध्य किया गया है, यह सभी संगत कारकों को ध्यान में रखने के पश्चात् सिंहावलोकन करने पर तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद स्पष्ट होगा। कानून ऐसे पृथक्करण का निर्णय लेने हेतु वास्तव में मापदंडों को परिभाषित नहीं कर सकता। साक्ष्य का विश्लेषण न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंदर निहित होता है। न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करने के पश्चात् अधिरोपित किए जाने वाले दंड एवं जुर्माने की मात्रा का निर्णय ले सकता है। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया है कि 'सक्रिय रिश्वतखोरी' और 'निष्क्रिय रिश्वतखोरी' शब्दों का विधेयक में उपयोग नहीं किया गया है बल्कि उन्हें यूएनसीएसी में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा विभाग ने बताया कि ''प्रपीड़क रिश्वतखोरी'' और दुस्संधिपूर्ण रिश्वतखोरी

भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रचलित हैं और रिश्वतखोरी के इन दो प्रकारों के बीच पतली रेखा मौजूद है। इसकी पूरी संभावना है कि यद्यपि दुस्संधि में काम करने वाले अधिकांश रिश्वत देने वाले व्यक्ति दंड से बचने के लिए यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने दंड से बचने के लिए दबाव में रिश्वत दी। भ्रष्टाचार के प्रति पूर्ण असहिष्णुता की सरकार की नीति के मद्देनजर ऐसे रिश्वत देने वाले व्यक्ति जो लोक सेवक को रिश्वत देने से पूर्व पुलिस/जांच अभिकरणों को सूचना दे देता है, को संरक्षण प्रदान करने के सिवाय रिश्वत देने में किसी प्रकार का विभेद करना न्यायोचित नहीं है।

6.9. समिति के कुछ सदस्यों ने महसूस किया कि अभिव्यक्ति 'लोक सेवक होने की आशा' अस्पष्ट है और कोई व्यक्ति अपने चयन अथवा निर्वाचन से पूर्व लोक सेवक नहीं हो सकता तथा ऐसे व्यक्तियों को लक्षित करने हेतु उपभोग किया जा सकता है जो लोक कार्यालय में प्रवेश लेने वाले हैं।

समिति की समुक्तियां/सिफारिशें

6.10. समिति अनुभव करती है कि शब्दों 'लोक सेवक होने की आशा' को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की प्रस्तावित धारा 7 और सभी संगत धाराओं से हटा दिया जाना चाहिए। समिति आगे यह सिफारिश करती है कि अधिप्राप्ति के लिए सहमत शब्दों को अधिनियम की धारा 7 और सभी संगत धाराओं से हटा दिया जाए।

6.11. प्रस्तावित धारा 8 रिश्वत देने के कृत्य को स्वतंत्र अपराध के रूप में अपराध घोषित करते हुए यह प्रावधान करती है कि जो कोई भी अनुसूचित रूप से सार्वजनिक दायित्व पूरा करने के लिए लोक सेवक को उकसाने हेतु किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ का प्रस्ताव देता है का वादा करता है अथवा देता है संज्ञेय अपराध समिति महसूस करती है कि सिर्फ रिश्वत की पेशकश करने को ही अपराध मान लेना उचित नहीं होगा जब तक कि इसे स्वीकार न किया जाय या मांगा न जाय। इसलिए समिति सुझाव देती है कि ''पेशकश'' शब्दों को खण्ड 8 से हटा दिया जाए।

6.12. समति नोट करती है कि रिश्वत देने वाले व्यक्ति को ऐसी स्थिति में खण्ड 8 के प्रस्तावित उपखण्ड 2 में संरक्षण प्रदान किया गया है जहां रिश्वत देने वाला रिश्वत देने से पहले प्रवर्तन प्राधिकरण या जांच अभिकरणों को सूचित करता है लेकिन समिति को विधेयक में प्रपीड़क रिश्वत देने वाले का कोई संरक्षण दिखाई नहीं देता है। समिति द्वारा इस मुद्दे पर काफी चर्चा और विचार विमर्श किया गया था कि ऐसे मामलों में भी कुछ संरक्षण दिया जाए। समिति उपरोक्त पैरा 6.6 में दिए गए सुझाव को नोट करती है और सिफरिश करती है कि यदि रिश्वत देने वाला लोक सेवक को रिश्वत देने के सात दिनों के भीतर मामले की सूचना पुलिस अथवा विधि प्रवर्तन एजेंसी को दे देता है तो उसे अपराधिक मुकदमें से छूट दी जाए।

6.13 समति मूल अधिनियम की धाराओं 7 और 8 में प्रस्तावित सरकारी संशोधनों के अन्य प्रावधानों को मंजूरी देती है और इसे विधेयक में शामिल करने का सुझाव देती है।

6.14 समिति महसूस करती है कि धारा 8 के अंतर्गत रिश्वत देने वाले के लिए प्रस्तावित दंड की न्यूनतम अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की जाए और अपराध की गंभीरता के आधार पर कारावास या जुर्माने या दोनों के रूप में न्यूनतम दंड की मात्रा निर्धारित करने के लिए इसे न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाए।

6.15 तदनुसार, समिति यह सिफारिश करती है कि खण्ड 7 और 8 को निम्नलिखित सूत्रण से शामिल किया जाए:

''7. ऐसा कोई लोक सेवक जो,—

(क) किसी व्यक्ति से इस आशय से कोई असम्यक लाभ अभिप्राप्त करेगा या उसे प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने के प्रयत्न करता है कि इसके परिणामस्वरूप किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा निष्पादन करेगा; या

(ख) कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से (चाहे स्वयं के द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा) कार्यपालन करने के लिए किसी इनाम के रूप में कोई असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या

(ग) किसी व्यक्ति से कोई असम्यक लाभ प्राप्त करने या प्रत्याशा में या उसके परिणामस्वरूप किसी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से या बेईमानी से निष्पादन करने के लिए किसी अन्य लोक सेवक को अनुचित रूप से पालन करने के लिए उत्प्रेरित करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी असम्यक लाभ को अभिप्राप्त करने, स्वीकार करने या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करने से ही लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य का पालन स्वयं अपराध का गठन करेगा, चाहे लोक सेवक द्वारा उसका कार्यापालन अनुचित रहा हो या न रहा हो।

दृष्टांत–एक लोक सेवक 'एस' एक व्यक्ति 'पी' से उसके नेमी राशन कार्ड आवेदन को समय से प्रक्रिया में लाने के लिए पांच हजार रुपए की रकम उसे देने को कहता है। 'एस' इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजन के लिए:—

(i) ''अभिप्राप्त करता है'' या ''स्वीकार करता है'' या ''अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है'' पदों में ऐसे मामले सम्मिलित होंगे, जहां ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक सेवक होते हुए, स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके या किन्ही अन्य भ्रष्ट या अवैध साधनों के द्वारा कोई असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है या ''स्वीकार करता है'' या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

(ii) इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होते हुए वह लाभ सीधे या अन्य पक्ष के माध्यम से अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है (अथवा प्राप्त करने या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है)।

''8. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक लाभ देता है या देने का वचन देता है और ऐसा असम्यक लाभ—

(i) किसी लोक सेवा को कोई लोक कर्त्तव्य अनुचित रूप से करने हेतु प्रेरित करने के लिए अशयित है; या

(ii) ऐसे लोक सेवक को लोक कर्त्तव्य अनुचित रूप से करने हेतु इनाम देने के लिए आशयित है।

तो वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी, या जुर्माने या दोनों का भागी होगा;

परंतु यह कि इस धारा के उपबंध ऐसी स्थिति में लागू नहीं होंगे जब कोई व्यक्ति ऐसा असम्यक लाभ देने के लिए विवश किया गया हो:

परंतु यह और कि इस प्रकार विवश व्यक्ति ऐसा असम्यक लाभ देने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर इस मामले की रिपोर्ट विधि प्रवर्तन प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को देगा:

परंतु यह भी कि जब इस धारा के अधीन अपराध वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया हो, वहां ऐसी वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होंगी।

दृष्टांत—कोई व्यक्ति 'पी' एक लोक सेवक 'एस' को यह सुनिश्चित करने के लिए दस हजार रुपए की रकम देता है कि अन्य सभी बोली लगाने वालों में से उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए। 'पी' इस उप-धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण—इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि वह व्यक्ति जिसे असम्यक लाभ दिया गया है अथवा दिए जाने का वचन दिया गया है वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने संबंधित लोक कर्तव्य करना है या किया है और इस बात का कोई भी महत्व नहीं होगा कि ऐसा असम्यक लाभ उस व्यक्ति को सीधे या किसी अन्य पक्षकार के माध्यम से पहुंचाया जाता है या पहुंचाने का वचन दिया जाता है।

(2) उपधारा (1) में कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, यदि उस व्यक्ति ने किसी विधि का प्रवर्तन करने वाले प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को सूचना देने के बाद विधि का प्रवर्तन करने वाले

ऐसे प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को पश्चातवर्ती के विरुद्ध अभिकथित अपराध में उसके अन्वेषण में सहायता करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक लाभ देता है या देने का वचन देता है।''

वाणिज्यिक संगठन का कॉरपोरेट दायित्व

7.0 कॉरपोरेट भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वाणिज्यिक संगठन की जिम्मेदारी इस सीमा तक बढ़ा दी गई है कि इसके प्रभारी को भ्रष्टाचार के अपराध का दोषी माना जाएगा यदि इसका अभिकर्ता या कर्मचारी उस वाणिज्यिक संगठन के कारोबार में लाभ प्राप्त या बनाए रखने के लिए प्रभारी की सहमति/मिलीभगत से लोक सेवक को अनुचित लाभ/रिश्वत की पेशकश करता है और न्यायालय में वाणिज्यिक संगठन के बोर्ड/प्रबंधन की सहमति/मिलीभगत साबित हो जाने पर उसे जुर्माने के साथ 3 से 7 वर्ष के कारावास की सजा मिलेगी। तथापि यदि उस वाणिज्यिक संगठन ने भ्रष्ट व्यवहारों को रोकने के लिए आंतरिक निरोधक तंत्र स्थापित कर रखा है तो वह वाणिज्यिक संगठन के प्रबंधन के लिए बचावकारी होगा। केन्द्र सरकार हितधारकों के परामर्श से वाणिज्यिक संगठन के अभिकर्ता अथवा कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियमों के अधीन एक एकसमान दिशानिर्देश तैयार करेगी।

दिया गया कि वाणिज्यिक संगठन के स्थान पर ''संस्था'' शब्द का प्रयोग किया जाए।

7.2 समिति के कुछ सदस्यों ने कहा कि धर्मार्थ संगठनों को 'वाणिज्यिक संगठनों' की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह महसूस किया गया कि परोपकारी संगठनों को परिभाषा खंड में शामिल किए जाने से इन संगठनों का अनावश्यक उत्पीड़न होगा।

7.3 कुछ हितधारकों का विचार था कि 'वाणिज्यिक संगठन के प्रभारी' को उनके कर्मचारियों के कृत्यों, जिसमें उसकी सहमति या सांठगांठ नहीं है, के लिए दोषी माना जाना आपराधिक न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल है जिसके अनुसार जब तक दोष सिद्ध न हो किसी को भी दोषी नहीं माना जाता है। उन्होंने महसूस किया कि एक वाणिज्यिक संगठन के बोर्ड/प्रबंधन के अपने कर्मचारी या अभिकर्ता की लापरवाही के लिए उसकी प्रतिनिधिक दायित्व के लिए उसके बोर्ड/प्रबंधन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। बल्कि इसे जानबूझ कर की गई गलती के रूप में लिया जाना चाहिए।

7.4 तथापि, कुछ हितधारकों ने उल्लेख किया कि संयुक्त राज्य अमरीका का फॉरन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, 1997 और यू के ब्राइबरी एक्ट, 2010 ने इन देशों की भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अतिरिक्त बाध्यताएं अधिरोपित की हैं। तथापि, मीडिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लोक सेवकों को रिश्वत देने के कुछ मामले आए हैं। उन्होंने बताया कि ये यह दर्शाता है कि आंतरिक कार्यकरण के लिए विकसित आचार संहिता का बहुत कम अनुपालन किया जाता है। अत: निजी और सरकार कंपनियों को आंतरिक आचार संहिता को अंगीकार करने के अलावा उनके अभिकर्ता अथवा बिचौलियों द्वारा लोक सेवक को दी गयी रिश्वत के लिए कानूनी एवं प्रतिनिधित्व रूप से उत्तरदायी बनाये जाने की आवश्यकता है और कंपनियों के भ्रष्टाचार के प्रति असहनशील और अपने कॉरपोरेट शासन और कंपनियों के भ्रष्टाचार के प्रति असहनशील और अपने कॉरपोरेट शासन और सत्यनिष्ठा के मानक को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने महसूस किया कि वाणिज्यिक संगठनों में भ्रष्ट गतिविधियों की रोकथाम के लिए आंतरिक निरोधक तंत्र के अलावा उनके कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट गतिविधियों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार एवं प्रतिनिधित्व रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

7.5 समिति के कुछ सदस्यों ने वाणिज्यिक संगठनों के लिए अधिकतम सजा को 7 से घटाकर 5 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव किया जबकि कुछ सदस्यों ने यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए विधेयक के खंड में संशोधित परतुंक जोड़ने का सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को जेल की सजा दी जाएगी जबकि वाणिज्यिक संगठनों के प्रभारी के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा।

7.6 कुछ सदस्यों ने आशंकाएं व्यक्त की कि चूंकि रिश्वत देना एक संज्ञेय अपराध रहा है, वाणिज्यिक संगठन के बोर्ड/प्रबंधन की मिलीभगत उचित संदेह से परे सिद्ध होने से पहले ही उसके कर्मचारियों के दुराचार के लिए बोर्ड/प्रबंधन की पुलिस द्वारा पेशी की जा सकती है जिससे वाणिज्यिक संगठन का उत्पीड़न होता है। इससे देश में व्यापार करने की सरलता बाधित हो सकती है। यह सुझाव दिया गया कि वाणिज्यिक संगठन के बोर्ड/प्रबंधन को पुलिस के उत्पीड़न से बचाने के लिए विधि में कुछ रक्षोपाय का उपबंध किया जाए।

7.7 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने महसूस किया कि सभी वाणिज्यिक संगठनों में भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक समान दिशा निर्देश मुहैया कराये जाने की आवश्यकता है। विभाग ने बताया कि जहां वाणिज्यिक संगठनों के प्रभारी की सहमति अथवा मौन सहमति मौजूद हो वहां उस पर प्रतिनिधित्व के रूप में अभियोजन चलाया जा सकता है अन्यथा लोक सेवक को रिश्वत देने वाले कर्मचारी अथवा एजेंट पर अभियोजन चलाया जाएगा। विभाग ने आगे बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा अथवा वाणिज्यिक संगठन सहित किसी कंपनी द्वारा रिश्वत दिए जाने का दंड एक समान है। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला भ्रष्टाचार के अपराध में एक समान भागीदार हैं। रिश्वत देने वाले पर मौद्रिक जुर्माने का दंड का सुझाव प्रस्तावित उपबंध से निरोधक के भाव को समाप्त कर देगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग वाणिज्यिक कंपनी की परिभाषा से 'धर्मार्थ संगठन' शब्दों को हटाने के लिए भी सहमत हो गया है।

समिति की समुक्तियां/सिफारिशें

7.8 समिति सिफारिश करती है कि, संशोधन खंड 9(3) के स्पष्टीकरण खंड में 'व्यापार' शब्द की परिभाषा में 'धर्मार्थ सेवाओं सहित शब्दों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि प्रस्तावित धारा 10 में ''और ऐसे अपराध'' शब्दों से पहले ''न्यायालय में'' शब्द जोड़े जाएं। समिति सरकार द्वारा प्रस्तावित आधिकारिक संशोधन में यथा उल्लिखित प्रस्तावित धाराओं 9 और 10 के अन्य पहलुओं से सहमत है।

7.9 समिति यह भी सिफारिश करती है कि प्रस्तावित धारा 9(1) में प्रयुक्त शब्द 'पेशकश' का लोप किया जाए।

7.10 समिति शासकीय संशोधनों द्वारा संशोधित किए जाने हेतु यथा प्रस्तावित धारा 10 से सहमत है।

7.11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की प्रस्तावित धारा 9 और 10 को तदनुसार निम्नलिखित रूप से अंतर्विष्ट किया जाए:—

9.(1) यदि किसी वाणिज्यिक संगठन से सहयोजित कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को,—

(क) ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारबार अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से; या

(ख) ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारबार के संचालन में कोई लाभ अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से,

कोई असम्यक् लाभ (****) देता है या देने का वचन देता है तो वह वाणिज्यिक संगठन अपराध का दोषी होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा:

परंतु वाणिज्यिक संगठन के लिए यह साबित करने का एक बचाव होगा कि उससे सहयोजित व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से निवारित करने के लिए उसने परिकल्पित पर्याप्त प्रक्रियाएं अपना रखी थीं।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी लोक सेवक को कोई असम्यक् लाभ (***) देता है या देने का वचन देता है केवल वह व्यक्ति ही धारा 8 के अधीन किसी अपराध का दोषी होता है या दोषी होगा, चाहे उस व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है अथवा नहीं।

(3) धारा 8 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) ''वाणिज्यिक संगठन'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) ऐसा कोई निकाय, जो भारत में निगमित किया जाता है और भारत में या भारत के बाहर कोई कारबार करता है;

(ii) ऐसा कोई अन्य निकाय, जो भारत के बाहर निगमित किया जाता है और जो भारत के किसी भी भाग में कोई कारबार या कारबार का कोई भाग करता है;

(iii) ऐसी भागीदारी फर्म या कोई व्यक्ति-संगम जो भारत में बनाया गया है और जो भारत में या भारत के बाहर कोई कारबार करता है; या

(iv) ऐसी कोई अन्य भागीदारी फर्म या व्यक्ति-संगम, जो भारत के बाहर बनाया जाता है और जो भारत के किसी भाग में कोई कारबार या कारबार का कोई भाग करता है;

(ख) ''कारबार'' के अंतर्गत कोई व्यापार या वृत्ति या सेवा, (***) उपलब्ध कराना है;

(ग) किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक संगठन से इस बात के होते हुए भी, उस दशा में सहयोजित कहा जाएगा यदि, ऐसा कोई असम्यक् लाभ देने या दिए जाने का (***) वचन देने पर, जिससे उपधारा (1) के अधीन अपराध गठित होता है, (***) ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति है जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवा प्रदान करता है।

स्पष्टीकरण 1—वह हैसियत, जिसमें व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति ऐसे संगठन का कर्मचारी या अभिकर्ता या समनुषंगी है, विचार का विषय नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 2—इस बात का अवधारण कि वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं या नहीं जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, सभी सुसंगत परिस्थितियों के प्रति निर्देश करके किया जाएगा न कि केवल उस व्यक्ति और वाणिज्यिक संगठन के बीच के संबंध की प्रकृति के प्रति निर्देश करके।

स्पष्टीकरण 3—यदि वह वाणिज्यिक संगठन संगठन का कोई कर्मचारी है तो जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8 या इस धारा के अधीन का अपराध संज्ञेय होगा।

(5) केन्द्रीय सरकार, सबंद्ध पणधारियों के परामर्श से और ऐसी यथाचित प्रक्रियाओं के उपबंधों के, जो वाणिज्यिक संगठनों द्वारा उनसे सहयुक्त व्यक्तियों को ऐसे किसी व्यक्ति को, जो लोक सेवक हैं, रिश्वत देने से रोकने के लिए विहित की जा सकती है, पालन में वृद्धि करने की दृष्टि से, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करेगी जो वह आवश्यक समझे।

10.(1) जहां धारा 9 के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है, और न्यायालय में ऐसे अपराध का वाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक,सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानकुलता से किया जाना साबित होता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी (****) उस अपराध का दोषी होगा और वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगा तथा कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी फर्म से संबंधित ''निदेशक'' का अभिप्राय उस फर्म के सहभागी से है।

खंड 5

(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 11 का विलोपन)

8.0 धारा 11 का विलोपन इस लिहाज से आवश्यक हो जाता है क्योंकि उनमें दिए गए अपराध का धारा 7, 8, 9 और 10 में विस्तृत रूप देकर बदल दिया गया है।

समिति की समुक्तियां/सिफारिशें

8.1 समिति सिफारिश करती हे कि समिति द्वारा सूचित सरकारी विधेयक के खंड 4 का विधेयक के खंड 5 के रूप में लिया जाए और उपर्युक्त बताए गए कारणों के मद्देनजर समिति पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 11 के विलोपन का समर्थन करती है।

खंड 6

(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 का प्रतिस्थापन)

9.0 समिति द्वारा प्रतिवेदित सरकारी विधेयक की खंड 5 को खंड 6 के रूप में लिया गया है। उक्त खंड रिश्वत उपराध-सहकारी के लिए देने वाले/लेने वाले के लिए यथा निर्धारित, बराबर न्यूनतम और अधिकतम सजा का प्रावधान करता है।

9.2 ज्यादातर पणधारक सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर सहमत थे।

समिति की समुक्तियां/सिफारिशें

9.3 समिति उक्त अधिनियम की पूर्ववर्ती धाराओं में स्पष्ट किए गए अपराध के अवप्रेरक हेतु दंड में वृद्धि करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 12 में संशोधन की पुष्टि करती है।

9.4 तदनुसार समिति सिफारिश करती है कि यह खंड निम्नलिखित संरूपण के अनुसार शामिल किया जाए:—

''12. जो कोई भी धारा 15 के तहत किसी अपराध के अलावा इस अभिनियम के तहत दण्डनीय कोई अपराध को उत्प्रेरित करता है, चाहे वह अपराध उस उत्प्रेरण के परिणामस्वरूप हुआ हो अथवा नहीं, तो करावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नही होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी होगा।''

खंड 7

(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 में संशोधन)

10.0 समिति द्वारा सूचित सरकारी विधेयक के खंड 6 को विधेयक में खंड 7 के रूप में लिया जाए जो कि मूल अधिनियम की धारा 13 को प्रतिस्थापित करता है।

10.1 खंड में उल्लेख है कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग और आय के ज्ञात स्रोत से आय से अधिक संपत्तियों का स्वामित्व लोक सेवक के लिए आपराधिक दुराचार में शामिल किया जाएगा, धारा 13ख के स्पष्टीकरण में यह उल्लेख है कि यदि लोक सेवक अपने स्वामित्व की संपत्ति अथवा इसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में संतोषजनक लेखा जोखा देने में विफल होता है तो इसे इरादतन धन बनाया जाना माना जाएगा। ''आय के ज्ञात स्रोतों'' शब्द की परिभाषा को व्यापक रूप देने हेतु स्पष्टीकरण दिया गया है।

10.2 यह सुझाव दिया गया था कि शब्द 'परिवर्तन' के पहले धारा 13(1)(क) में शब्द 'अन्यथा' अस्पष्ट प्रतीत होता है और दुरुपयोग किए जाने की संभावना है।

10.3 बातचीत के दौरान सदस्यों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 'विधिपूर्ण स्रोत' पद के प्रयोग के बारे में चिंता व्यक्त की। यह समुक्ति की गई कि कई बार न्यायालय विधिपूर्ण स्रोतों को स्वीकार नहीं करते हैं जिन्हें अन्य प्राधिकरणों अथवा सांविधिक निकायों द्वारा मान्यता दी गई है। यह महसूस किया गया कि न्यायालय द्वारा बहुनिर्वचन से बचने के लिए इस पद को परिभाषित करने की आवश्यकता है।

10.4 समिति को यह भी सुझाव दिया गया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (घ) (iii) में भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के नए प्रकार शामिल हैं जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अंतर्गत परिकल्पित नहीं किया गया था। मौजूदा संशोधन धारा 13(1)(घ)(iii) के विलोपन तक की सीमा हेतु उक्त धारा में परिवर्तन का प्रस्ताव करता है जो कि वैसे भ्रष्टाचार को रोकने हेतु उचित नहीं हो सकता है जिसमें नौकरशाह राजनीतिज्ञों से सांठगांठ से लोक हितों पर समुचित विचार किए बगैर किसी निजी पक्ष को आर्थिक लाभ पहुंचाता हो। रुनु घोष और अन्य बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के तीन न्यायपीठ के निर्णय में वर्ष 2011 में धारा को बनाए रखा है, जिसका उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी तक रद्द नहीं किया गया है। तथापि, अधिकांश हितार्थीगण सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर सहमत थे।

समिति की समुक्तियां/सिफारिशें

10.5 समिति सरकार द्वारा यथाप्रस्तावित खंड के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 में प्रस्तावित संशोधन से सहमत है।

10.6 तदनुसार समिति सिफारिश करती है कि यह खंड निम्नलिखित स्वरूप के अनुसार शामिल किया जाए:—

मूल अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(1) कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा,—

(क) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंप गई किसी संपत्ति या अपने नियंत्राणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेइमानी से या कपटपूर्वक दुर्विनियोग

करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यकित को ऐसा करने देता है; या

(ख) यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने आशय को समृद्ध करता है।

स्पष्टीकरण 1—किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि उसने अवैध रूप से अपने को साशय समृद्ध बनाया है, यदि यह या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अपनी पदावधि के दौरान किसी समय अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अननुपातिक धनीय संसाधन या संपत्ति उसके कब्जे में है या रही, जिसके लिए लोक सेवक समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सकता है।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 में, ''आय के ज्ञात स्रोत'' ये किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय अभिप्रेत है।''

खंड 8

(आदतन अपराधी हेतु दंड में वृद्धि हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 14 का प्रतिस्थापन)

11.0 सरकारी विधेयक के खंड 7, जो कि अधिनियम की धारा 14 में संशोधन के लिए है, को अब समिति द्वारा सूचित विधेयक के खंड 8 के रूप में विचार किया जाना है। यह संशोधन न्यूनतम और अधिकतम दंड के रूप में क्रमश: पांच वर्ष और दस वर्ष की सजा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।

11.1 अधिकांश हितार्थियों ने आदतन अपराधियों के लिए वर्द्धित सजा की प्रशंसा की है।

समिति की समुक्तियां/सिफारिशें

11.2 समिति विधेयक के खंड 8 के तहत आदतन अपराधियों के लिए तीन वर्ष से पांच वर्ष के करावास की वृद्धित सजा को न्यूनतम सजा के रूप में पुष्टि करती है।

11.3 तदनुसार समिति सिफारिश करती है कि इस खंड का निम्नलिखित संरूपण के अनुसार शामिल किया जाए:—

मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''14. जो कोई, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है उसके पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है , वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।''

(क) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेइमानी से या कपटपूर्वक दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है; या

(ख) यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने आशय को समृद्ध करता है।

स्पष्टीकरण 1— किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि उसने अवैध रूप से अपने को साशय समृद्ध बनाया है, यदि वह या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अपनी पदावधि के दौरान किसी समय अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अननुपातिक धनीय संसाधन या संपत्ति उसके कब्जे में है या रही है, जिसके लिए लोक सेवक समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सकता है।

स्पष्टीकरण 2— स्पष्टीकरण 1 में, ''आय के ज्ञात स्रोत'' से किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय अभिप्रेत है।

खण्ड 8

(आदतन अपराधी हेतु दण्ड में वृद्धि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 14 का प्रतिस्थापन)

11.0 सरकारी विधेयक के खण्ड 7, जो कि अधिनियम की धारा 14 में संशोधन के लिए है, को अब समिति द्वारा सूचित विधेयक के खण्ड 8 के रूप में विचार किया जाना है। यह संशोधन न्यूनतम और अधिकतम दण्ड के रूप में क्रमश: पांच वर्ष और दस वर्ष की सजा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।

11.1 अधिकांश हितार्थियों ने आदतन अपराधियों के लिए वर्द्धित सजा की प्रशंसा की है।

समिति की समुक्तियां/सिफारिशें

11.2 समिति विधेयक के खण्ड 8 के तहत आदतन अपराधियों के लिए तीन वर्ष से पांच वर्ष के कारावास की वर्द्धित सजा को न्यूनतम सजा के रूप में पुष्टि करती है।

11.3 तदनुसार समिति सिफारिश करती है कि इस खण्ड को निम्नलिखित संरूपण के अनुसार शामिल किया जाए:—

मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"14 जो कोई, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, उसके पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।"

खण्ड 9

(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 15 में महत्वपूर्ण संशोधन)

12.0 सरकारी विधेयक का खण्ड 8, जो कि मूल अधिनियम की धारा 15 में संशोधन के लिए है, समिति द्वारा सूचित विधेयक में खण्ड 9 के रूप में लिया जाता है।

समिति की समुक्तियां/सिफारिशें

12.1 समिति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 15 में संशोधन हेतु सहमत हैं क्योंकि यह धारा 13 के संशोधन के अनुकूल महत्वपूर्ण संशोधन है।

12.2 तदनुसार, समिति खण्डों की पुष्टि करती है।

खण्ड 10

(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 15 में महत्वपूर्ण संशोधन)

13. समिति मूल अधिनियम की धारा 16 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधनों की भी सिफारिश करती है:—

मूल अधिनियम की धारा 16 में—

शब्दों, कोष्ठक एवं आंकड़ों के लिए "धारा 13 की उप-धारा (2) अथवा धारा 14," शब्दों, आंकड़ों एवं कोष्ठकों "धारा 7 अथवा धारा 8 अथवा धारा 9 अथवा धारा 10 अथवा धारा 13 की उप-धारा (2) अथवा धारा 14 अथवा धारा 15 को प्रतिस्थापित किया जाएगा;"

शब्दों, कोष्ठक एवं अक्षर हेतु "खण्ड (ङ)" शब्दों, कोष्ठक एवं अक्षर "खण्ड (ख)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

खण्ड 11

(धारा 17 में महत्वपूर्ण संशोधन)

14.0 अधिनियम की धारा 13 में संशोधन के मद्देनजर धारा 17 के दूसरे परन्तुक में संशोधन एक महत्वपूर्ण संशोधन है।

समिति की सिफारिश

14.1 समिति संशोधन से सहमत है क्योंकि यह धारा 13 के संशोधन के अनुसार एक महत्वपूर्ण संशोधन है।

14.2 तदनुसार, समिति इस खण्ड की पुष्टि करती है।

खण्ड 12 और 14

[भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सद्भाविक भूल चूक हेतु लोक सेवक (सेवारत एवं सेवानिवृत्त दोनों की सुरक्षा)]

15.0 समिति द्वारा सूचित विधेयक के खंड 12 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 के बाद एक नई धारा 17क को अंतर्विष्ट करने हेतु है। इसके अलावा, विधेयक के खंड 14 वहीं हैं जो सरकारी विधेयक का खंड 10 है जो कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के कार्यकाल के समय हुई सद्भाविक भूल-चूक से सुरक्षा प्रदान करने हेतु मूल अधिनियम की धारा 19 में संशोधन करने के लिए है।

15.1 सरकारी संशोधन का अभिप्राय नई धारा 17क को अंतर्विष्ट करने का है ताकि पुलिस/जांच एजेंसी पर यह बाध्य किया जा सके कि वे रंगे हाथों पकड़े गए लोक सेवक के मामलों को छोड़कर भ्रष्टाचार के सभी मामलों में किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई जांच/अन्वेषण कार्य शुरू करने से पहले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को शामिल किए गए मामलों में लोकपाल और राज्यों के कर्मचारियों को शामिल किए गए मामलों में संबंधित लोकायुक्तों की स्वीकृति प्राप्त करें। पुलिस/जांच एजेंसी को की गई कोई शिकायत को लोकपाल अथवा लोकायुक्तों जैसा भी मामला हो, को की गई शिकायत माना जाए। तथापि, अभियोजन की स्वीकृति सक्षम अधिकारी के पास रहेगी और इस प्राधिकारी को अपनी स्वीकृति तीन महीने की अवधि के भीतर देनी होगी जिसे और एक महीने की समयावधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिसमें महान्यायवादी/एडवोकेट जनरल का परामर्श अपेक्षित होता है।

15.2 कई हितार्थियों ने बताया कि लोकपाल और लोकायुक्त, अधिनियम, 2013 की धारा 23 के तहत लोक सेवकों पर अभियोजन चलाने के लिए लोकपाल/लोकायुक्त द्वारा अभियोजन की स्वीकृति हेतु मंजूरी संविधान के अनुच्छेद 311 के अधिकारातीत हो सकती है। यह महसूस किया गया है कि अनुशासनिक/नियुक्ति प्राधिकारी को सरकारी सेवक पर अभियोग की स्वीकृति की मंजूरी की शक्ति को अपने पास बनाए रखना चाहिए क्योंकि यह प्राधिकारी अपने कर्मचारी के कार्यकरण और आचरण से अच्छी तरह परिचित होता है।

15.3 यह सुझाव दिया गया कि रिश्वत देने वाला जो एक आम आदमी है की तुलना में लोक सेवक के विरुद्ध जांच/अन्वेषण शुरू करने के लिए पूर्व स्वीकृति स्पष्टत: भेदभावपूर्ण है इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में यह आवश्यक नहीं है।

15.4 कुछ हितार्थियों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता जो फिलहाल सेवारत लोक सेवक के लिए उपलब्ध है, को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए सेवाकाल में किए गए सरकारी कार्यों के लिए भी प्रदान किया जा सकता है। सचिव रैंक के नीचे के अधिकारियों के मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और संबंधित विभाग के सचिव को शामिल करते हुए एक अधिकारिता समिति को और सचिव रैंक के अधिकारी के मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और केबिनेट सचिव को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जा सकता है ताकि अभियोजन की स्वीकृति दो महीने के भीतर दे दी जाए। ठीक इसी प्रकार, राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए भी व्यवस्था की जा सकती है। अस्वीकृति के मामले में, ऐसी स्वीकृति के कारणों को प्रत्येक वर्ष संबंधित विधानसभा में रखा जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि सीबीआई द्वारा जांच की स्वीकृति सचिव रैंक के नीचे के अधिकारियों के मामले में सीवीसी और संबंधित विभाग के सचिव वाली समिति पर और सचिव रैंक के अधिकारी के मामले में सीवीसी और केबिनेट सचिव वाली एक समिति पर छोड़ दिया जाए।

15.5 केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह प्रस्ताव किया है कि जांच की अनुमति नियमानुसार मंजूर की जाए:—

- समूह ख, ग और घ कर्मचारियों से संबंधित विभाग के प्रमुख
- सीवीसी एक्ट, 2003 के अधीन शामिल कर्मचारी (संयुक्त सचिव और ऊपर के अधिकारी के अलावा) सीवीसी

➢ संयुक्त सचिव और ऊपर के अधिकारी तथा अन्य उच्च अधिकारी; लोकपाल

आयोग ने कहा है कि प्रस्तावित धारा 17 क (2) से उसकी शक्ति को अन्य सांविधिक प्राधिकरण अर्थात् लोकपाल द्वारा हड़प लिया जाएगा।

15.6 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस उपबंध का विरोध किया क्योंकि इससे जांच में अनावश्यक विलंब हो सकता है। पीएसयू/पीएसबी और राज्य सरकारों ने इस बात का समर्थन किया कि सक्षम प्राधिकारी को जांच और अभियोजन के लिए संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी होना चाहिए जबकि सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया कि लोकपाल/लोकायुक्त को संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी होना चाहिए।

15.7 समिति के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, आई जी स्तर के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और प्रधान सचिव स्तर के सेवानिवृत्त आईएस अधिकारी से मिलकर बनी समिति तीन महीने के अवधि के भीतर तथा जहां पर भारत के महान्यायवादी से परामर्श की आवश्यकता हो, वहां चार महीनों की अवधि के भीतर अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करेगी। ऐसी अवधि की समाप्ति को स्वीकृति माना जाना चाहिए।

समिति की समुक्तियां/सिफारिशें

15.8 समिति यह नोट करती है कि लगभग सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का यह मत है कि अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति व्यावहारिक कारणों और प्रशासनिक सुविधा के लिए समुचित सरकार व सक्षम/नियुक्ति प्राधिकारी के पास रहनी चाहिए। अत: समिति ने प्रस्तावित 17क में निम्नलिखित तरीके से संशोधनों का सुझाव दिया है:—

ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय जब वह उपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, संघ के कार्यों के संबंध में नियेाजित है या था, उस सरकार के;

ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय जब वह उपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, किसी राज्य के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के;

ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के:

परंतु ऐसा कोई अनुमोदन किसी व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए असम्यक् लाभ प्रतिगृहित करने या प्रतिगृहित करने का प्रयत्न करने के आरोप पर घटनास्थल पर ही गिरफ्तार करने संबंधी मामले में आवश्यक नहीं होगा:

परंतु यह और कि संबद्ध प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपने विनिश्चय की सूचना तीन माह की अवधि के भीतर देगा, जिसे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस प्राधिकारी द्वारा एक मास की और अवधि के लिए बढ़ावा जा सकेगा।''

15.9 समिति सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित संशोधनों से सहमत है और सिफारिश करती है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17क में अंतर्वेशन हेतु यथा संशोधित खंड 12 और मूल अधिनियम की धारा 19 में संशोधन हेतु सरकारी विधेयक में दिए गए खंड 14 को लागू किया जाए।

खंड 13

(संपत्ति कुर्की और समपहरण के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धारा 18क का अंत:स्थापन)

16.0 समिति द्वारा प्रतिवेदित विधयेक का खंड 13 भ्रष्ट व्यवहारों से अर्जित संपत्ति और आय की कुर्की और समपहरण से संबंधित धारा 18क के अधीन नया अध्याय ivक अंतस्थापित करने की संकल्पना करता है जो सरकारी विधयेक का खंड 9 था। खंड में प्रस्तावित कतिपय सरकारी संशोधनों से भष्टाचार निवारण अधिनिमय के अधीन कुर्की और समपहरण के मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को लागू होने को सक्षम बनाएगा और जहां कहीं खामी हो वहां दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 लागू होगा।

16.1 कुछ राज्य सरकारों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का उपबंध विचारण अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना संपत्ति की जब्ती अनुमति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से यह

उल्लेख किया गया कि ओडिशा विशेष आधिनियम, 2005 भी न्यायालय अधिकारी को विचारण की अवधि के दौरान भ्रष्ट सरकारी सेवक की संपत्ति जब्त करने की अनुमति प्रदान करता है किंतु दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबधों के तहत भ्रष्ट लोक सेवक की संपत्ति जब्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यकता होती है। यह सुझाव दिया गया कि ओडिशा विशेष अधिनियम में दी गई समय सीमा को प्रस्तावति विधेयक में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए।

16.2 कुछ राज्य सरकारों ने कहा कि लोक सेवक भ्रष्टाचार से प्राप्त आयों को नकली नाम से रखा जाता है और भ्रष्ट सरकारी सेवक के पकड़े जाने पर ऐसी प्रवृत्ति है कि संपत्ति को जल्दी से हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस संबंध में यह बताया गया कि संपत्ति की जब्ती और कुर्की के संबंध में ओडिशा और विहार विशेष न्यायालय अधिनियम के उपबंध बेहतर जान पड़ते हैं जिसमें अभियोजन एजेंसी द्वारा संपत्ति को जब्त करने के लिए विशेष न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इससे लोक सेवक उस संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर पाता है। अत: राज्य सरकारों ने सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रस्तावित धारा 18क के अधीन उन उपबंधों को ले लिया जाए। आगे यह बताया गया कि दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 और धनशोधन निवारण अधिनियम, 2003 के अधीन संपत्ति की कुर्की के उपबंध पुराने हैं जबकि ओडिशा और बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के उपबंध कार्यात्मक रूप से बेहतर हैं और जिन्हें प्रस्तावित संशोधन में शामिल किया जा सकता है।

16.3 इसके आलोक में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि अंतरिम रूप से संपत्ति की कुर्की करना अनिवार्य है क्योंकि ऐसे मामले रहे हैं जिसमें लोक सेवक ने जांच के दौरान संपत्ति को हस्तांतरित कर दिया था। इसके जांच प्रक्रिया में समस्याएं आ सकती हैं। दडं विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 में अंतरिम कुर्की का प्रावधान है। धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अधीन भी संपत्ति की अंतरिम कुर्की का प्रावधान है। विभाग ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और ओडिशा/बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के उपबंधों की तुलना में दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 अधिक उपयुक्त हैं। विभाग ने सुझाव दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के उपबंधों को प्रथमत: इस्तेमाल किया जा सकता हैं और यदि वे असफल रहते हैं तो दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 के अधीन उपबंधों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

समिति की समुक्तियां/सिफारिशें

16.4 समिति सिफारिश करती है कि सरकारी संशोधनों में यथा इंगित खंडों को अंगीकार किया जा सकता है क्योंकि भ्रष्ट व्यवहारों के जरिए प्राप्त संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रयोजनार्थ विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 अधिक उपयुक्त है।

16.5 तद्नुसार, समिति यह सिफारिश करती है कि खंड को निम्नलिखित सूत्रण से शामिल किया जाए:—

मूल अधिनियम के अयाय IV के बाद निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाए अर्थात्:—

'अध्याय IVक

संपत्ति की कुर्की और समपहरण

18क. (1) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दांडिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 के उपबंध जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन कुर्की, कुर्क की गई संपत्ति के प्रशासन और कुर्की के आदेश के निष्पादन या धन के अधिहरण या आपराधिक उपायों द्वारा उपाप्त की गई संपत्ति को लागू होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंध इस उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे ''जिला न्यायाधीश'' के प्रति निर्देश का ''विशेष न्यायाधीश'' के प्रति निर्देश के रूप में अर्थान्वयन किया जाएगा।'

खंड 15

(भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय की धारा 20 का प्रतिस्थापन)

17.0 समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक का खंड 15 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 प्रतिस्थापन करने की संकल्पना करता है। धारा में यह कहा गया है कि धारा 7 के उल्लिखित अपराधों के अधीन विचारण के

दौरान यदि यह साबित होता है कि लोक सेवक ने अनुचित लाभ प्राप्त किया है तो यह माना जाएगा कि लोक सेवक द्वारा लोक कार्य को अनुचित रूप से करने के लिए लाभ लिया गया था।

समिति की समुक्ति/सिफारिश

17.1 समिति सिफारिश करती है कि ''संबद्ध सार्वजनिक कार्य या गतिविधि'' शब्दों के स्थान पर ''लोक कर्तव्य'' शब्द रखे जाएं। समिति संशोधन से सहमत है और सरकारी संशोधनों में यथा प्रदत्त खंड को ऊपर सुझाए लघु परिवर्तनों के साथ अंगीकार करने की सिफारिश करती है।

17.2 तदनुसार समिति यह सिफारिश करती है कि खंड को निम्नलिखित सूत्रण से शामिल किया जाए:—

मूल अधिनियम की धारा 20 में निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए अर्थात्—

''20. जहां धारा 7 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कोई असम्यक लाभ अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहित या अभिप्राप्त किया है, प्राप्त करने के लिए सहमति दी है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यदि उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थिति, उस असम्यक लाभ को इस आशय से प्रतिगृहित या अभिप्राप्त किया है या प्रतिगृहित करने के लिए सहमत हुआ है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है कि इसके परिणामस्वरूप कोई लोक कर्तव्य या तो स्वयं उसके द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा अनुचित रूप से किया जाएगा।''

खंड 16

(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 23 का संशोधन)

18.0 समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक का खंड 16 धारा 23 में संशोधन करने की संकल्पना करता है। खंड में विधेयक की धारा 13 (1) में प्रस्तावित संशोधनों के मद्देनजर परिणामी संशोधनों का उपबंध है।

समिति की सिफारिश

18.1 समिति संशोधनों के परिणामी स्वरूप के होने के नाते अपनी सहमति प्रकट करती है।

खंड 17

(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 24 का लोप)

19.0 समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक का खंड 17 अधिनियम की धारा 24 का लोप करने का संकल्पना करता है क्योंकि 7,8,9 और 10 में प्रस्तावित संशोधनों के मद्देनजर यह उपबंध अनावश्यक हो जाएगा।

समिति की सिफारिश

19.1 समिति अधिनियम की धाराओं 7 और 8 संशोधनों के मद्देनजर निवारण अधिनिमय, 1988 की धारा 24 के लोप का समर्थन करती है।

खंड 18

(मूल अधिनियम में नई धारा 32 का अन्त:स्थापन किया जाना)

20.0 समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक का खंड 18 मूल अधिनियम में नई धारा 32 अन्त: स्थापित करने की संकल्पना करता है जिसमें केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने का उपबंध है। सरकार ने अपने सरकारी संशोधनों में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले खंड को अन्त: स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

समिति की सिफारिश

20.1 समिति प्रस्तावित संशोधन पर अपनी सहमति प्रकट करती है।

खंड 19

(धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची का संशोधन)

21.0 समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक का खंड 19 धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग क में संशोधन करने की संकल्पना करता है और इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले नए अपराधों को

अंतर्विष्ट करता है। ये संशोधन सरकारी संशोधनों के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में नई धारा 18क के प्रस्तावित अन्त:स्थापन के मद्देनजर आवश्यक हो गए हैं।

समिति की सिफारिश

21.1 समिति प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी सहमति प्रकट करती है।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक

22. खंड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक को कुछ परिवर्तनों के साथ, जो परिणामी स्वरूप के हैं अर्थात्, '2003' और 'चौसठवें' को क्रमश '2016' और 'सड़सठवें' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, स्वीकार किया गया।

23. समिति सिफारिश करती है कि इसके द्वारा यथाप्रतिवेदित विधेयक पारित किया जाए।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

प्रवर समिति द्वारा यथारिपोर्टित

[अधोरेखांकित शब्द और अंक प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को उपदर्शित करते हैं तथा तारक चिह्न (***) लोपों को उपदर्शित करते हैं]

[दि प्रीवेंशन आफ करप्शन (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2016

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सडसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 1988 का 49

'(घ) ''असम्यक् लाभ'' से ऐसा कोई पारितोषण अभिप्रेत है, चाहे जैसा भी हो, जो विधिक पारिश्रमिक से भिन्न हो।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''पारितोषण'' शब्द धनीय पारितोषणों या धन के रूप में प्राक्कलनीय पारितोषणों तक सीमित नहीं है;

(ख) ''विधिक पारिश्रमिक'' पद किसी लोक सेवक को संदत्त पारिश्रमिक तक निर्बन्धित नहीं है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसे सभी पारिश्रमिक भी हैं, जिसका सरकार या संगठन द्वारा जिसकी वह सेवा करता है, प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है।''।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(5) विशेष न्यायाधीश, मामले के फाइल किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विचारण का पूरा होना सुनिश्चित करेगा:

परंतु वाद का विचारण दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा न हो सकने की दशा में विशेष न्यायाधीश उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा और विचारण छह मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से प्रत्येक बार छह मास तक बढ़ाया जा सकेगा, पूरा करेगा, किन्तु विचारण पूरा करने की अवधि, यथासाध्य, चार वर्ष से अधिक की नहीं होगी।''।

धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 10 के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना।

4. मूल अधिनियम की धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध।

7. ऐसा कोई लोक सेवक जो,—

(क) किसी व्यक्ति से इस आशय से कोई असम्यक लाभ अभिप्राप्त करेगा (***) या उसे प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने के प्रयत्न करता है कि इसके परिणामस्वरूप किसी लोक (***) कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा निष्पादन करेगा; या

(ख) (***) कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से (चाहे स्वयं के द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा) कार्यपालन करने के लिए किसी इनाम के रूप में कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है (***) या प्रतिगृहीत करता या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या

(ग) (***)

(घ) किसी व्यक्ति से कोई असम्यक् लाभ (***) प्रतिगृहीत करने की प्रत्याशा में या उसके परिणामस्वरूप किसी लोक (***) कर्तव्य को अनुचित रूप से या बेईमानी से निष्पादन करने के लिए किसी अन्य लोक सेवक को अनुचित रूप से पालन करने के लिए उत्प्रेरित करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी असम्यक् लाभ को अभिप्राप्त करने, प्राप्त करने के लिए सहमत होने, प्रतिगृहीत करने या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करने से ही लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य का पालन स्वयं अपराध का गठन करेगा, चाहे लोक सेवक द्वारा उसका कार्यापालन अनुचित रहा हो या न रहा हो।

दृष्टांत—एक लोक सेवक 'एस' एक व्यक्ति 'पी' से उसके नेमी राशन कार्ड आवेदन को समय से प्रक्रिया में लाने के लिए पांच हजार रुपए की रकम उसे देने को कहता है। 'एस' उस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(i) ''अभिप्राप्त करता है'' या ''प्रतिगृहीत करता है'' या ''अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है'' पदों में ऐसे मामले सम्मिलित होंगे, जहां ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक सेवक होते हुए, स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग करके या किन्हीं अन्य भ्रष्ट या अवैध साधनों के द्वारा कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या ''प्रतिगृहीत करता है'' या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

(ii) इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होते हुए वह लाभ सीधे या अन्य पक्ष के माध्यम से अभिप्राप्त करता है (***) या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अथवा (***) प्रतिगृहीत करने वाला है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है;

स्पष्टीकरण 3. (***)

स्पष्टीकरण 4. (***)

(2) (***)

किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध।

8. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो (***) किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक् लाभ देता है या देने का वचन करता है और ऐसा असम्यक् लाभ—

(i) किसी लोक सेवक को कोई लोक (***) कर्तव्य को अनुचित रूप से करने हेतु इनाम देने के लिए आशयित है; (***)

(ख) (***)

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि (***) सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा:

परंतु इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां कोई व्यक्ति ऐसा असम्यक् लाभ देने के लिए विवश:

परंतु यह और कि इस प्रकार विवश व्यक्ति ऐसा असम्यक लाभ देने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर इस मामले की रिपोर्ट विधि प्रवर्तन प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को देगा:

परंतु यह भी कि जब इस धारा के अधीन अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है वहां ऐसा वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा।

दृष्टांत—कोई व्यक्ति 'पी', लोक सेवक 'एम' को, यह सुनिश्चित करने के लिए दस हजार की रकम देता है कि सभी बोली लगने वालों में से, उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए। 'पी' इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण—इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि वह व्यक्ति, जिसे असम्यक् लाभ दिया गया है या देने का वचन दिया गया है वहीं व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने संबंधित लोक कर्तव्य करना है या किया है और इस बात का भी कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा असम्यक् लाभ उस व्यक्ति को सीधे या किसी अन्य पक्षकार के माध्यम से पहुंचाया जाता है या पहुंचाने का वचन दिया जाता है।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, यदि उस व्यक्ति ने किसी विधि का प्रवर्तन करने वाले प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को सूचना देने के पश्चात्, विधि का प्रवर्तन करने वाले ऐसे प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को पश्चातवर्ती के विरुद्ध अभिकथित अपराध में उसके अन्वेषण में सहायता करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक् लाभ देता है या देने का वचन देता है।

किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध।

9. (1) यदि किसी वाणिज्यिक संगठन से सहयोजित कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को,—

(क) ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारबार अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से; या

(ख) ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारबार के संचालन में कोई लाभ अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से,

कोई असम्यक् लाभ (***) देता है या देने का वचन देता है तो वह वाणिज्यिक संगठन अपराध का दोषी होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा:

परंतु वाणिज्यिक संगठन के लिए यह साबित करने का एक बचाव होगा कि उससे सहयोजित व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से निवारित करने के लिए उसने परिकल्पित पर्याप्त प्रक्रियाएं अपना रखी थीं।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी लोक सेवक को कोई असम्यक् लाभ (***) देता है या देने का वचन देता है केवल वह व्यक्ति ही धारा 8 के अधीन किसी अपराध का दोषी होता है

या दोषी होगा, चाहे उस व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है अथवा नहीं।

(3) धारा 8 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) ''वाणिज्यिक संगठन'' से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(i) ऐसा कोई निकाय, जो भारत में निगमित किया जाता है और भारत में या भारत के बाहर कोई कारबार करता है;

(ii) ऐसा कोई अन्य निकाय, जो भारत के बाहर निगमित किया जाता है और जो भारत के किसी भी भाग में कोई कारबार या कारबार का कोई भाग करता है।

(iii) ऐसी भागीदारी फर्म या कोई व्यक्ति-संगम जो भारत में बनाया गया है और जो भारत में या भारत के बाहर कोई कारबार करता है; या

(iv) ऐसी कोई अन्य भागीदारी फर्म या व्यक्ति-संगम, जो भारत के बाहर बनाया जाता है जो भारत के किसी भाग में कोई कारबार या कारबार का कोई भाग करता है;

(ख) ''कारबार'' के अंतर्गत कोई व्यापार या वृत्ति या सेवा, (***) उपलब्ध कराना है;

(ग) किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक संगठन से इस बात के होते हुए भी, उस दशा में सहयोजित कहा जाएगा यदि, ऐसा कोई असम्यक् लाभ देने या दिए जाने का (***) वचन देने पर, जिससे उपधारा (1) के अधीन अपराध गठित होता है, (***) ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति है जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवा प्रदान करता है।

स्पष्टीकरण 1—वह हैसियत, जिसमें व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति ऐसे संगठन का कर्मचारी या अभिकर्ता या समनुषंगी है, विचार का विषय नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 2—इस बात का अवधारण कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है या नहीं जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, सभी सुसंगत परिस्थितियों के प्रति निर्देश करके किया जाएगा न कि केवल उस व्यक्ति और वाणिज्यिक संगठन के बीच के संबंध की प्रकृति के प्रति निर्देश करके।

स्पष्टीकरण 3—यदि वह व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन का कोई कर्मचारी है तो जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है।

1974 का 2

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8 या इस धारा के अधीन का अपराध संज्ञेय होगा।

(5) केन्द्रीय सरकार, संबद्ध पणधारियों के परामर्श से और ऐसी यथाचित प्रक्रियाओं के उपबंधों के, जो वाणिज्यिक संगठनों द्वारा उनसे सहयुक्त व्यक्तियों को ऐसे किसी व्यक्ति को, जो लोक सेवक हैं, रिश्वत देने से रोकने के लिए विहित की जा सकती है, पालन में वृद्धि करने की दृष्टि से, ऐसे मार्गदर्शन सिद्धांत विहित करेगी जो वह आवश्यक समझे।

वाणिज्यिक संगठन के भारसाधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना।

10. (1) जहां धारा 9 के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है, और न्यायालय में ऐसे अपराध का वाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानकुलता से किया जाना साबित हो जाता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी (***) उस अपराध का दोषी होगा और वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगा तथा कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) (***)

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी फर्म के संबंध में 'निदेशक' से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।'।

धारा 11 का लोप।

5. मूल अधिनियम की धारा 11 का लोप किया जाएगा।

धारा 12 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अधिनियम में परिभाषित अपराधी के दुष्प्रेरण के लिए दंड।

''12. जो कोई, धारा 15 के अधीन किसी अपराध से भिन्न, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो अथवा नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।''।

धारा 13 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(1) कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा,—

(क) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेइमानी से या कपटपूवर्क दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है; या

(ख) यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने आशय को समृद्ध करता है।

स्पष्टीकरण 1—किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि उसने अवैध रूप से अपने को साशय समृद्ध बनाया है, यदि वह या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अपनी पदावधि के दौरान किसी समय अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अननुपातिक धनीय संसाधन या संपत्ति उसके कब्जे में है या रही है, जिसके लिए लोक सेवक समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सकता है।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 में ''आय के ज्ञात स्रोतों'' से किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय अभिप्रेत है।'

धारा 14 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

8. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

आभ्यासिक अपराधों के लिए दंड।

''14. जो कोई, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, उसके पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।''।

धारा 15 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 15 में, ''खंड (ग) या खंड (घ)'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर ''खंड (क)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 16 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(क) ''धारा 13 की उपधारा (2) या धारा 14'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर ''धारा 7 या धारा 8 या धारा 9 या धारा 10 या धारा 13 की उपधारा (2) या धारा 14 या धारा 15'' शब्द, अंक और कोष्ठक, रखे जाएंगे।

(ख) ''खंड (ङ)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर ''खंड (ख)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 17 के दूसरे परंतुक में, उपधारा (1) के खंड (ङ)'' शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर ''उपधारा (1) के खंड (ख)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

नई धारा 17क का अंत:स्थापन।

12. मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या अन्वेषण।

''17क. (1) कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के पूर्वानुमोदन के बिना, किसी ऐसे अपराध में कोई जांच या अन्वेषण नहीं करेगा, जिसे इस अधिनियम के अधीन लोक सेवक द्वारा अभिकथित रूप से कारित किया गया है, जहां ऐसा अभिकथित अपराध लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय से संबंधित है:—

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, संघ के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के;

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, किसी राज्य के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के:

परंतु ऐसा कोई अनुमोदन किसी व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए असम्यक् लाभ प्रतिगृहीत करने या प्रतिगृहीत करने का प्रयत्न करने के आरोप पर घटनास्थल पर ही गिरफ्तार करने संबंधी मामले में आवश्यक नहीं होगा:

परंतु यह और कि संबद्ध प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपने विनिश्चय की सूचना तीन मास की अवधि के भीतर देगा, जिसे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस प्राधिकारी द्वारा एक मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।''।

नए अध्याय 4क का अंत:स्थापन।

13. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 4 क

संपत्ति की कुर्की और समपरहण

दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना।

2003 का 15
1944 का अध्यादेश सं॰ 38

18क. (1) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंध जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन कुर्की, कुर्क की गई संपत्ति के प्रशासन और कुर्की के आदेश के निष्पादन या धन के अधिहरण या आपराधिक उपायों द्वारा उपाप्त की गई संपत्ति को लागू होंगे।

1944 का अध्यादेश सं॰ 38

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंध इस उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। ''जिला न्यायाधीश'' के प्रति निर्देश का ''विशेष न्यायाधीश'' के प्रति निर्देश के रूप में अर्थान्वयन किया जाएगा।'।

18ख. (***)

18ग. (***)

18घ. (***)

18ङ (***)

18च. (***)

18छ. (***)

18ज. (***)

18झ. (***)

19ञ. (***)

18ट. (***)

18ठ. (***)

18ड. (***)

18ढ. (***)

धारा 19 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में,—

(i) ''धारा 7, धारा 10, धारा 11, धारा 13, और धारा 15'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''धारा 7, धारा 13, और धारा 15'' शब्द और अंक रखें जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, ''नियोजित है,'' शब्दों के स्थान पर, ''यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था'' शब्द रखें जाएंगे;

(iii) खंड (ख) में, ''नियोजित है,'' शब्दों के स्थान पर, ''यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध किए जाने के समय नियोजित था'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु, किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषण अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए ऐसी सरकार या ऐसे प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के लिए, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी को कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि,—

(i) ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अभिकथित अपराधों के बारे में, जिनके लिए लोक सेवक को अभियोजित किए जाने की ईप्सा की गई है, किसी सक्षम न्यायालय में कोई परिवाद फाइल न किया गया हो; और

(ii) न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहित, 1973 की धारा 203 के अधीन परिवाद खारिज न कर दिया हो और परिवादी को लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के लिए आगे कार्रवाई करने के लिए मंजूरी अभिप्राप्त करने का निदेश न दे दिया हो: 1974 का 2

परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी या अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने की दशा में, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी, संबद्ध लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना किसी लोक सेवक को अभियोजित करने के लिए मंजूरी नहीं देगा:

परंतु यह भी कि, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन अपना विनिश्चय तीन मास की अवधि के भीतर संसूचित करेगा, जिसे समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले उन कारणों से कि यथास्थिति, महान्यायवादी या महाधिवक्ता से परामर्श करना अपेक्षित है, एक मास की और अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा।''।

धारा 20 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

15. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात:—

जहां लोक सेवक असम्यक लाभ (***) प्रतिगृहीत करता है वहां उपधारणा।

''20. जहां धारा 7 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कोई असम्यक् लाभ अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहित या अभिप्राप्त किया है, प्राप्त करने के लिए सहमति दी है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थिति, उस असम्यक् लाभ को इस आशय से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत हुआ है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है कि इसके परिणामस्वरूप, कोई (***) लोक (***) कर्तव्य या तो स्वयं उसके द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा अनुचित रूप से किया जाएगा।''।

धारा 23 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(क) पार्श्वशीर्ष में, ''धारा 13(1) (ग)'' शब्दों, कोष्ठकों अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''धारा 13(1) (क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे:

(ख) ''खंड (ग)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर ''खंड (क)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे 1'1

धारा 24 का लोप।

17. मूल अधिनियम की धारा 24 का लोप किया जाएगा।

नई धारा 32 का अंत:स्थापन।

18. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नियम बनाने की शक्ति।

''32. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वयित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा अर्थात:—

(क) ऐसी प्रक्रियाओं के बारे में धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करना जो, वाणिज्यिक संगठनों द्वारा उनसे सहयुक्त व्यक्ति को जो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक है (***) रिश्वत देने से रोकने के लिए विहत की जा सकेंगी;

(ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निप्रभाव हो जाएगा। किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निप्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।''।

अध्यादेश का संशोधन।

(***)

(***)

1946 के अधिनियम सं॰ 25 का संशोधन।

2003 अधिनियम सं॰ 15 का संशोधन।

19. धन-शोधन निवारण अधिनियम,, 2002 के अनुसूची के भाग क में, पैरा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

''पैरा 8

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन अपराध

धारा	अपराध का विवरण
7.	लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने के संबंधित अपराध।
8.	लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध।
9.	लोक सेवक को किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा रिश्वत देने से संबंधित अपराध।
10.	वाणज्यिक संगठन के प्रभारी व्यक्ति का अपराध का दोषी होना।
12.	अधिनियम में परिभाषित अपराधों के दृष्प्रेरण के लिए दंड।
13.	लोक सेवक के द्वारा आपराधिक कदाचार।
14.	आभ्यासिक अपराधी के लिए दंड।''।

कार्यवृत्त

I

पहली बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक सोमवार, 21 दिसम्बर, 2015 को म॰प॰ 4.00 बजे कमरा संख्या '63' पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

1. श्री अनिल माधव दवे—**अध्यक्ष**

राज्य सभा

2. श्री भुपेन्द्र यादव
3. श्री मणि शंकर अय्यर
4. श्री शान्ताराम नायक
5. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
6. श्री के॰ एन॰ बालगोपाल
7. श्री अनुभव मोहंती
8. श्री संजय राउत
9. श्री नरेश गुजराल
10. श्री डी॰ राजा
11. श्री राजीव चन्द्रशेखर

सचिवालय

डॉ॰ डी॰ बी॰ सिंह, सचिव

श्री के॰ पी॰ सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

श्रीमती न्याडखन्नेम गुईते, सहायक निदेशक

2. अध्यक्ष ने प्रवर समिति की प्रारम्भिक बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और सदस्यों से समिति के कार्यकरण की ब्यापक रूपरेखा का सुझाव देने का अनुरोध किया। इसके उत्तर में सदस्यों ने कई जानकारी दी। कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के अध्यारोपण की जांच किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लिए एक स्वतंत्र विधान बनाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

3. सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर समिति ने निम्नलिखित हितार्थियों के विचार लेने का निर्णय लिया:—

— केन्द्र और राज्य सरकारों की जांच एजेंसियां अर्थात केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), और केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी)।

— भ्रष्टाचार रोधी आंदोलन में शामिल सिविल सोसाइटी समॅह

— ख्यातिप्राप्त विधिक विशेषज्ञ

— संघ और राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारी संगठन

— कारपोरेट कंपनियां

— उपभोक्ता कार्यकर्ता

4. सिविल सोसाइटी के विचार लेने के लिए समिति ने इस विधेयक और सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधन से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय लिया। समिति ने राज्य सरकारों, भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) राज्य सरकार कर्मचारी संघों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/बंकों, और अन्य हितार्थियों के साथ भी बातचीत करने के लिए कतिपय राज्यों का दौरा करने का निर्णय लिया।

5. समिति की बैठक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव, सीबीआई, सीवीसी, सीएजी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीडीटी और सीबीईसी के विचारों को सुनने के लिए 12 और 13 जनवरी, 2016 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

II

दूसरी बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक मंगलवार, 12 जनवरी, 2016 को म॰पू॰ 11.30 बजे समिति कक्ष 'घ' भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

श्री अनिल माधव दवे—**अध्यक्ष**

राज्य सभा

2. डा॰ चंदन मित्रा
3. श्री भुपेन्द्र यादव
4. श्री मणि शंकर अय्यर
5. श्री शान्ताराम नायक
6. श्री भुवनेश्वर कालिता
7. श्री सुखेन्दु शेखर राय
8. श्री ए॰ नवनीत कृष्णन
9. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
10. श्री प्रफुल्ल पटेल
11. श्री संजय राउत
12. श्री नरेश गुजराल
13. श्री डी॰ राजा
14. श्री हिशे लाचुंगपा
15. श्री राजीव चन्द्रशेखर

सचिवालय

डॉ॰ डी॰बी॰ सिंह, सचिव

श्री के॰पी॰ सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

श्रीमती न्याडख्न्नेम गुईते, सहायक निदेशक

साक्षीगण

1. **केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के प्रतिनिधि**
   (i) श्री के॰वी॰ चौधरी, सीवीसी;
   (ii) श्री राजीव, वीसी;
   (iii) श्री टी॰एम॰ भसीन, वीसी;
   (iv) श्रीमती नीलम साहनी, सचिव;
   (v) श्री सलीम हक, एएस.;
   (vi) श्री जे॰ विनोद कुमार, निदेशक

I. **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रतिनिधि**

(i) श्री अनिल कुमार सिन्हा, निदेशक

(ii) श्री आर॰पी॰ अग्रवाल, जेडी/एसी

(iii) श्री प्रबोध कुमार, जेडी

(iv) श्री आर॰एस॰ भट्टी, जेडी

(v) श्री ए साई मनोहर, डीडी और

(vi) श्री जोगिन्दर नायक, ओएसडी

II. **केन्द्रीय उत्पाद सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के प्रतिनिधि**

(i) श्री नजीब शाह, चेयरमैन

(ii) श्रीमती वी॰एन॰ सरना, सदस्य (पी एंड वी)

(iii) श्री आर॰के॰ महाजन, सीवीओ

(iv) श्री आर॰डी॰ नेगी, प्रा॰ एडीजी (सतर्कता) और

(v) श्रीमती नीता लाल भूतालिया, एडीजी (सतर्कता)

III. **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनिधि**

(i) श्री जिश्नु बरुवा, संयुक्त सचिव और

(ii) श्री राकेश कुमार, निदेशक

IV. **विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), विधायी विभाग**

(i) डॉ॰ रीता वशिष्ठ, अपर सचिव और

(ii) श्री आर श्रीनिवास, अतिरिक्त एल॰सी॰

V. **विधि कार्य विभाग के प्रतिनिधि**

श्री आर॰एस॰ वर्मा, उप विधिक सलाहकार

2. प्रारम्भ में अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची अर्थात् केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), के प्रतिनिधियों के साथ विधेयक के उपबंधों के संबंध में बातचीत किए जाने के बारे में अवगत कराया।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अभिसाक्ष्य

3. तत्पश्चात, उन्होंने मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य सदस्यों और सीवीसी के अधिकारियों का इस बैठक में स्वागत किया और उनसे इस विधेयक के संबंध में आयोग के विचारों और 2015 में सरकार द्वारा इस पर प्रस्तावित आधिकारिक संशोधनों पर विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

4. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने समिति को आयोग की संरचना और कार्य के बारे में अवगत कराया। आयोग की भूमिका का संदर्भ देते हुए उन्होंने यह बताया कि सीवीसी को विभिन्न राज्य सरकार के सतर्कता प्रशासन, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों विभागों और संगठनों पर अधीक्षण और नियंत्रण करने के लिए उच्चतम सतर्कता संस्थान के रूप में माना गया है। यह जांच की प्रगति और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोग की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारियों के पास लम्बित आवेदन की प्रगति को भी मानीटर करता है।

4.1 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में प्रस्तावित संशोधनों के व्यापक स्वरूप के होने की सराहना करते हुए, उनका विचार था कि प्रस्तावित संशोधन अधिकांशत: युनाइटेड नेशन्स कंवेन्शन अंग्रेस्ट करप्शन (यूएनसीएसी) के उपबंधों के अनुरूप हैं तथा साथ ही लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के उपंबंधों के अनुकूल हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को सशक्त बनाने के निम्नलिखित सुझाव दिए:—

(i) कई केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको कों अपनी सामान्य व्यापार गतिविधियों में पेशेवर व्यक्तियों यथा मूल्यांकनों, अधिवक्ताओं, वास्तुकार, सनदी लेखाकार, परामर्शदाताओं, इत्यादि के अभिमतों/ प्रमाणपत्रों/रिपोर्ट की आवश्यकता होती है और इनका भुगतान करदाता के पैसों से किया जाता है। कभी-कभी ये पेशेवर ग्राहकों के साथ मिलीभगत से दुर्भावना से गुमराह करने वाली/झूठी सलाह देते हैं जिससे राजकोष को हानि होती है। अत; जो पेशेवर सरकारी निधि से भुगतान पर सलाह देते हैं, उन्हें मूल अधिनियम की धारा 2(ग) (i) के अंतर्गत 'लोक सेवक' की परिभाषा के अधीन लाकर गलत और गुमराह करने वाली सलाह देने के अनेक कदाचार के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

(ii) यद्यपि कुलपति (वाइस चांसलर), किसी भी शासी निकाय का सदस्य, प्रोफेसर, रीडर, अध्यापक अथवा किसी भी विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2(ग) (xi) के अंतर्गत लोक सेवक की परिभाषा में शामिल किए जाते हैं; विश्वविद्यालय से संबंध निजी महाविद्यालयों के कर्मचारी लोक सेवक के दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रयोजनार्थ इसमें शामिल किए जाने की जरूरत है।

(iii) कुल 6600 लंबित मामलों में से चार वर्ष से अधिक लंबित मामलों (400 मामले) के लंबन की स्थिति साझा करते हुए उन्होंने दृढ़ता से कहा कि विचारण को पूरा करने के लिए प्रस्तावित चार वर्ष की बाध्य सीमा अव्यवहारिक है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के मद्देनजर कि यदि विचारण यथोचित समय के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो मामले के गुणावगुण के ध्यान में बिना इन्हें खारिज़ किया जाए, उच्चस्थ न्यायालयों द्वारा चार वर्षों से अधिक लंबित मामलों को खारिज़ किए जाने से बचाने के लिए एक रक्षा उपबंध दिया जा सकता है।

(iv) रिश्वत के क्रम में वाहक/दलाल/थर्डपार्टी जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ)(III) के तहत शामिल था को प्रस्तावित संशोधन में शामिल किया गया नहीं लगता हैं। उनके विचार से थर्ड पार्टी से लाभ पाना या सरकारी सेवक द्वारा थर्ड पार्टी को लाभ देना सरकारी सेवक के आपराधिक कदाचार को साबित करने के लिए आवश्यक नहीं होगा। कमीशन की तरह ही चूक का कृत्य कई बार भ्रष्टाचार ही होता है, इसे आपराधिक कदाचार की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है।

(v) न्यास और एकल मालिकाना हक को वाणिज्यिक संगठनों में शमिल किया जाना चाहिए क्योंकि वे ज्यादातर वाणिज्यिक गतिविधियों या व्यापार में संलग्न होते हैं।

(vi) वाणिज्यिक संगठन के प्रबंधन के ऊपर यह अतिरिक्त जिम्मेदारी डाली जा सकती है कि जब भी प्राधिकृत प्राधिकारी की सूचना में आता है वह भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना देगा।

4.2 निर्णय लेने वाले सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को पुलिस या जांच अभिकरणों द्वारा दुर्भावनापूर्ण जांच से संरक्षण संबंधी 17क के तहत नए प्रावधानों की सराहना करते हुए आयुक्त ने आशंका जताई कि लोकपाल सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों और लोक सेवकों से संबंधित शिकायतों का भार बढ़ जाएगा और इससे अभिकरण के लिए इन सारे मामलों की प्रक्रिया शुरू करने और निश्चित करना मुश्किल होगा और इसके परिणामस्वरूप विलंब होगा। इसका यह विकल्प सुझाया गया कि समूह ख, ग और घ श्रेणी के लिए विभाग का प्रमुख, समूह क संयुक्त सचिव के नीचे स्तर के अधिकारी के लिए सीवीसी और समूह क संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए लोकपाल को जांच की स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाया जा सकता है जो व्यवस्था में सरलता लाएगा पुलिस और पुलिस अभिकरणों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित होगा।

4.3 उनका यह विचार था कि धारा 17(क) (2) को सांविधिक निकाय अर्थात् सीवीसी को अन्य सांविधिक निकाय-लोकपाल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत के समान होगा जिससे अतिव्यापि होगी और अस्पष्टता आएगी क्योंकि सीवीसी द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों को लोकपाल को उसके विचारार्थ सौंपे जाने की आवश्यकता होगी।

4.4 आयुक्त ने आगे कहा कि विधेयक के तहत तीन महीने के भीतर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की प्रस्तावित समय-सीमा कम है खासतौर से अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के मामलों में इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

4.5 प्रस्तावित नई धारा 18क के संदर्भ में आयुक्त का विचार था कि जहां तक सम्पत्ति के अटैचमेंट और जब्ती का सवाल है, अपराध विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के तहत प्रावधान काफी जटिल है। उन्होंने सुझाव दिया कि ओडिशा या बिहार विशेष न्यायालयों अधिनियमों के उपबंध सरलीकृत हैं तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सही ठहराया गया है तथा उन्हें भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम में अपनाया जा सकता है।

5. सीवीसी द्वारा दी गई प्रस्तुति के संबंध में सदस्यों ने निम्नलिखित सवाल पूछे:—

(i) क्या 'लोक सेवक' की परिभाषा में और विस्तार करके चिकित्सा, पात्रकारिता जैसे निजी पेशों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए या उन पर जो सरकारी खजाने से भुगतान के लिए सुझाव/राय देते हैं, विश्वास तोड़ने इत्यादि के लिए भारतीय दंड संहिता के अतंर्गत मुकदमा चलाया जाना चाहिए?

(ii) यदि विचारण न्यायालय चार साल के अंदर विचारण पूरा नहीं कर पाती है, तो इसे मामले का क्या हश्र होगा?

(iii) आय की वैधता निश्चित करने के संबंध में विधेयक में प्रयुक्त वाक्यांश 'कानूनी स्त्रोत' का अभिप्राय क्या है?

(iv) क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक के भूल से छूट या जानबूझकर की गई गलती को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(v) क्या सार्वजनकि क्षेत्र के बैंकों से लिए गए ऋणों के मामले में जानबूझकर चूक को जान-बूझकर न लौटाने पर इस भ्रष्टाचार को निवारक अधिनियम, 1988 के तहत शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि बैंक धोखाधड़ी के माध्यम से सार्वजनिक धन गैर-निष्पादनकारी आस्ति में बदल गया है।

(सीवीसी के प्रतिनिधि इस चरण में चले गए)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का अभिसाक्ष्य

6.0 सीबीआई के निदेशक ने कहा कि भ्रष्टचार निवारण अधिनियम में धारा 17क को शामिल करने से जांच प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी और इसमें देरी होगी। इसके साथ ही यूएनसीएसी के अनुच्छेद 6 (2) 36 का उल्लंघन करता है जो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिस्थापन अधिनियम 1946 की 6क को पुन: जोड़ने के समान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अभी लोकपाल की नियुक्ति की जानी है और कई राज्यों में लोकायुक्त नहीं है। इन निकायों के शिकायतों के शीघ्र निपटाने मे बाधा खड़ी करने के अलावा जांच अभिकरणों को जांच शुरू करने के लिए पूर्व अनुमति लेने से पहले बुनियादी सूचना जुटाने के लिए प्रारंभिक जांच से भी रोकेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि यूएनसीएसी और ओईसीडी के अन्य रिश्वतरोधी अनुवृत्ति देशों की जांच एजेंसियां को भ्रष्टाचार के कृत्य की जांच करने के लिए लोकपाल या निगरानी निकायों से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।

6.1 सम्पत्ति की कुर्की के संबंध में निदेशक ने कहा कि विधि आयोग ने अपनी 249वीं रिपोर्ट में दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश के अप्रचालित होने के चलते निरसन की सिफारिश की थी। उनका विचार था कि ओडिशा विशेष अदालत अधिनियम, 2006 और बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के उपबंध सम्पत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रयोजन के लिए मुनासिब है जो यूएसए, यूके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों में चलते मे है।

6.2 सीबीआई के निदेशकों ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8, 9 और 10 में बिचौलियों और अन्य निजी व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिसे विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। यह सुझाव दिया गया कि धारा 8, 9 और 10 को बनाए रखा जाए। सरकारी सेवक की तरफ से निजी व्यक्ति द्वारा ली गई रिश्वत जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था, को प्रस्तावित संशोधन में शामिल करने की जरूरत है। यह सुझाव दिया गया कि ''प्राप्त करने के लिए सहमति'' की जगह

''स्वीकार करने को सहमत'' जोड़ा जाए क्योंकि इसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इसे रखने के लिए स्वीकृति की इच्छा की आवश्यकता होती है।

6.3 निदेशक द्वारा आगे यह भी सुझाव दिया गया कि विधेयक में 'अनुचित निष्पादन' 'जनकार्य या गतिविधि' जैसे प्रतिकूल शब्दों को शामिल करने से विधि की वैयक्तिक व्याख्या होगी और इससे मामलों में विलंब होगा।

6.4 निदेशक ने सरकार द्वारा वित्तपोषित सार्वजनिक निजी भागीदारी और एनजीओ को सरकारी सेवक के दायरे में लाने के लिए परिभाषा में विस्तार करने का समर्थन किया।

6.5 निदेशक ने सुझाव दिया कि घूसखोरी के कृत्यों के लिए दंड की मात्रा अपराध की गहनता के अनुरूप होनी चाहिए और समिति लोक सेवक द्वारा ली गई रिश्वत की राशि के आधार पर विभिन्न प्रकार के दंड देने के अवसर तलाश करे।

(सीबीआई के प्रतिनिधि चले गए)

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड का अभिसाक्ष्य

7.0 सीबीईसी के अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 के क्रियान्वयन में सीबीईसी की भूमिका बहुत सीमित है। बोर्ड के पास सुदृढ़ सतर्कता महानिदेशालय है जो सीबीसी के साथ परामर्श के बाद भ्रष्टाचार के जुड़े सभी मामलों को सीबीआई को संदर्भित करता है। तथापि, उन्होंने विधेयक में संशोधन का स्वागत किया।

7.1 सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और वित्त अधिनियम का भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक के बीच किसी विरोधाभास के संबंध में समिति के सदस्यों से पूछे गए प्रश्नों के जवाब में सीबीईसी के अध्यक्ष ने कहा कि इन कानूनों के बीच प्रत्यक्ष रूप में कोई विरोधाभास नहीं है।

(तत्पश्चात् साक्षीगण चले गए)

8. समिति ने अगली बैठक 13 जनवरी, 2016 को म०पू० 11.30 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया।

9. समिति की कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

10. बैठक म०प० 1.48 बजे स्थगित हुई।

III

तीसरी बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक बुधवार, 13 जनवरी, 2016 को म॰पू॰ 11.30 बजे कमरा संख्या 'घ' भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

श्री अनिल माधव दवे—**अध्यक्ष**

राज्य सभा

2. श्री मणि शंकर अय्यर
3. श्री शांताराम नायक
4. श्री भुवनेश्वर कलिता
5. श्री नरेश अग्रवाल
6. श्री ए॰ नवनीत कृष्णन
7. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
8. श्री के॰ एन॰ बालगोपाल
9. श्री अनुभव मोहंती
10. श्री देवेंदर गोड टी॰
11. श्री संजय राउत
12. श्री नरेश गुजराल
13. श्री राजीव चन्द्रशेखर
14. श्री तिरुची शिवा

सचिवालय

डॉ॰ डी॰ बी॰ सिंह, सचिव

श्री के॰ पी॰ सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

श्रीमती न्याडखन्नेम गुईते, सहायक निदेशक

साक्षीगण

(I) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन

कार्मिक और पेंशन विभाग (डीओपीटी)

1. श्री संजय कोठारी, सचिव
2. श्री जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव; और
3. श्री राकेश कुमार, निदेशक

(II) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

1. श्री ए॰ के॰ जैन, अध्यक्ष
2. श्रीमती सुरभि सिन्हा, सदस्य (पी एंड बी)
3. श्री गोपाल मुखर्जी, पीआर डीजीआईटी (बीपीआईजी) और
4. श्री राकेश गुप्ता, एडीजी (सतर्कता)

(III) **प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)**

1. श्री कर्नल सिंह, निदेशक; और
2. श्री आशीष चन्द्र सिंह, उप विधि सलाहकार।

(IV) **भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंड एजी)**

श्री एस॰ सी॰ पांडेय, महानिदेशक (रणनीतिक प्रबंधन इकाई)

(V) **विधि और न्याय मंत्रालय**

विधायी विभाग

1. डॉ॰ श्रीता वशिष्ठ, अपर सचिव; और
2. श्री आर॰ श्रीनिवास, अपर विधायी काउंसेल।

विधि कार्य विभाग

श्री आर॰ एस॰ वर्मा, उप विधि काउंसेल।

2. आरंभ में, अध्यक्ष ने प्रवर समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें जानकारी दी कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंड एजी) को भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 और 2015 में इसमें लाए गए सरकारी संशोधनों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया है।

(डीओपीटी के सचिव के आगमन के पश्चात्)

डीओपीटी के सचिव का अभिसाक्ष्य

3. अध्यक्ष ने सचिव, डीओपीटी तथा कार्मिक और प्रशिक्षण एवं विधि कार्य विभागों तथा विधायी विभाग के अन्य अधिकारियों को समिति की बैठक में आमंत्रित किया। उन्होंने समिति के सदस्यों के उपयोग के लिए सरकार द्वारा लाए गए सभी संशोधनों को शामिल कर प्रारूप विधेयक प्रदान करने हेतु सचिव को निदेश दिया। इसके बाद उन्होंने इस विधेयक को उपबंधों के संबंध में प्रस्तुती देने हेतु उनसे अनुरोध किया।

4. सचिव ने अपने अभिसाक्ष्य में इस विधेयक के प्रमुख पहलुओं; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधनों हेतु उद्देश्य और भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, 1988 तथा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के बीच संपर्क को रेखांकित किया। इसके बाद, उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में लगाए गए संशोधनों की विशिष्टताओं को विस्तार से बताने हेतु पावर प्वायंट प्रस्तुती देने के लिए संबंधित संयुक्त सचिव से अनुरोध किया।

4.1 संयुक्त सचिव ने अपने आरंभिक अवलोकन में उल्लेख किया कि मई, 2011 में हमारे देश द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएसी) की संपुष्टि के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन आवश्यक हो गए थे ताकि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप स्वदेशी कानून लाए जाएं।

4.2 पावर प्वायंट प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी कि कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी तथा समिति तथा भारत के विधि आयोग ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 की जांच की है और इस संबंध में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। इस विधेयक के साथ-साथ मई 2015 में सरकार द्वारा प्रस्तावित सरकारी संशोंधनों को उनके विचारार्थ प्रवर समिति को भेजा गया है। उन्होंने भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति की कुर्की तथा जब्ती के उपबंधों के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिशों; लोक सेवक को रिश्वत देने हेतु वाणिज्यिक कंपनियों के लिए दंड और सेवारत सरकारी सेवकों को दी गई सुरक्षा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को प्रदान किए जाने, आदि का उल्लेख किया। उन्होंने लोक सेवक की संपत्ति की कुर्की तथा जब्ती हेतु प्रक्रिया से संबंधित विषय में पुलिस द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध जांच हेतु लोकपाल/लोकायुक्त के अनुमोदन की मांग करने के मुद्दे के संबंध में विधि आयोग की सिफारिशों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के साथ धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के संयोजन का भी उल्लेख लिया।

4.3 उन्होंने आगे बताया कि किसी के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से लोक सेवक को रिश्वत दिया जाना अब दांडिक अपराध होगा। आय से अधिक संपत्ति रखना जानबूझकर अवैध संपन्नता का प्रमाण होगा जो दांडिक कदाचार होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में धारा 17क के अंत:स्थापन के औचित्य को विस्तारपूर्वक

बताते हुए उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6क को निष्फल कर दिया गया है। अपने कर्तव्य के सद्भावी निर्वहन में दुर्भावनापूर्ण अभियोजन लोक सेवकों के संरक्षण हेतु नई धारा के अंतर्गत पुलिस या जांच अभिकरणों द्वारा जांच या अन्वेषण के लिए लोकपाल/लोकायुक्त की पूर्ण स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। पुलिस या किन्हीं जांच अभिकरणों द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों अथवा सूचना को अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लोकपाल/लोकायुक्त को की गई शिकयात के रूप में माना जाएगा। उन्हें आगे बताया कि लोकपाल अब लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2003 की धारा 23 के अंतर्गत सभी लोक सेवकों के संबंध में अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान करने का एकमात्र प्राधिकारी होगा जो सीआरपीसी, 1973 की धारा 197 और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 19 की अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने हेतु केंद्रीय/राज्य सरकार के अधिकार का अधिरोहण करता है। उस संदर्भ में उन्होंने बताया कि प्राधिकारी जो लोक सेवक को पदच्युत करने हेतु सक्षम है, अब अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार से वंचित होगा, क्योंकि पीसी अधिनियम की धारा 19 निष्प्रभावी हो गई है। यह समझा गया कि लोकपाल सभी श्रेणियों के लोक सेवकों के खिलाफ पुलिस या जांच अभिकरणों को की गई शिकायतों के संसाधन हेतु अनुचित रुप से अत्यधिक बोझ से दब सकता है।

5. सदस्यों ने सचिव से निम्नलिखित प्रश्न पूछे:—

(i) क्या 'किसी सरकारी कार्य को करने से मना करना', सरकारी दायित्व पूरा न करना' अथवा 'जानबूझकर उपेक्षा' पीसी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत दांडिक कदाचार माना जाता है, क्योंकि लोक सेवक अक्सर सरकारी सेवाएं प्रदान करने हेतु रिश्वत की आशा रखते हैं और इसकी मांग करते हैं;

(ii) क्या चुनाव की पूर्व संध्या पर राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों के आश्वासन को भ्रष्टाचार के रुप में माना जा सकता है, क्योंकि लोग ऐसे वायदों में विश्वास कर ठगे जाते है;

(iii) क्या लोक सेवक द्वारा प्राप्त उपहार अवैध परितोषण माना जाता है;

(iv) क्या बैंकों के लिए गैर-निष्पादनकारी आस्तियां पैदा करने वाले बैंक ऋण के जानबूझकर चूककर्ताओं को पीसी अधिनियम के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकता है;

(v) क्या ओडिशा और बिहार के क्रमश: विशेष न्यायालय अधिनियमों, 2006 तथा 2009 के अच्छे उपबंधों को भ्रष्ट लोक सेवक की संपत्ति की जब्ती एवं कुर्की हेतु पी सी अधिनियम में शामिल किया जा सकता है;

(vi) भ्रष्ट न्यायाधीशों के खिलाफ अभियोजन हेतु लोकपाल/लोकायुक्त को स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकारी बनाने में कौन-सी बाधाएं हैं;

(vii) यदि सरकारी संशोधन में यथा प्रस्तावति अधिकतम चार वर्षों की अवधि के अंदर मामलों को समाप्त नहीं किया जाता है तो क्या जांच करने वाले अभियोजन चलाने वाले अभिकरणों हेतु दंड का प्रस्ताव किया जाना है;

(viii) क्या सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (पीपीपी) में ये रिश्वत के कृत्य को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के दायरे में लाया जा सकता है;

(ix) क्या वर्तमान संशोधन में विधिपूर्ण स्त्रोतों से आय, शब्दावली में विधिपूर्ण स्त्रोत जैसे शब्दों को परिभाषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(x) अपने व्यावसायिक हित के प्रोत्साहन हेतु लोक सेवकों को रिश्वत देने से अपने अभिकर्ताओं अथवा कर्मचारियों को रोकने के लिए कॉरपोरेट कंपनियों हेतु आचार संहिता का निर्माण करने के तौर-तरीके क्या हैं।

5.1 सदस्यों ने बलपूर्वक तथा दुस्संधिपूर्ण रिश्वत प्रदान करने वालों को समान स्थिति में रखने के औचित्य की मांग की। यह महसूस किया गया कि लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन और जांच हेतु स्वीकृति का अधिकार लोकपाल/लोकायुक्त को दिए जाने के कारण सरकार में समानांतर संरचना का सृजन हो सकता है जो दैनिक कार्य में अड़चन पैदा कर सकता है।

5.2 अध्यक्ष ने दो सप्ताह के समय के अंदर सदस्यों के प्रश्नों के लिखित जवाब भेजने हेतु डीओपीटी को निदेश दिया।

सीबीडीटी के अध्यक्ष का अभिसाक्ष्य

6.0 सीबीडीटी के अध्यक्ष ने पावर प्वायंट प्रस्तुतियों के माध्यम से रिश्वत की नई परिभाषा का समर्थन किया जिसमें मध्यस्थों के माध्यम से रिश्वत की याचना एवं स्वीकृति सहित निष्क्रिय रिश्वत का अपराध में शामिल था। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि वाणिज्यिक कंपनियों के अभिकरण अथवा कर्मचारी लोक सेवकों को रिश्वत का प्रस्ताव देते हैं तो उनके लिए न्यूनतम जुर्माने की मात्रा का संकेत दिया जा सकता है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि स्वयं को अवैध रूप से समृद्ध बनाने हेतु लोक सेवक के इरादे को प्रमाणित करने की अतिरिक्त आवश्यकता अभियोजन चलाने वाले अभिकरणों पर अधिक बोझ डालेगी जो उनके विचार में अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने हेतु लोक सेवक पर डाल देनी चाहिए। उनका यह भी विचार था कि रिश्वत दिए जाने में अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने के प्रमाण का भार रिश्वत देनेवाले पर भी होना चाहिए। उन्होंने पीसी अधिनियम, 1988 से धारा 24 को हटाए जाने की सराहना की, क्योंकि सहमतिपूर्ण रिश्वत के मामले में उसका प्रयोग नहीं हुआ।

7.0 सदस्यों ने साक्ष्य मिलने के बारे में संदेह व्यक्त किए, क्योंकि दंड के भय के कारण रिश्वत के कृत्य में रिश्वत देने वाले को आपराधिक रूप से जिम्मेवार मानने का प्रस्ताव किया गया है। नए संशोधन रिश्वत दिए जाने के बाद इकबाली साक्ष्य बनने हेतु रिश्वत देने वाले को अवसर प्रदान नहीं करेंगे। इकबाली साक्ष्य बनने हेतु रिश्वत लेने वाले को अनुमति प्रदान करने के किसी कानून के अस्तित्व के संबंध में सीबीडीटी की टिप्पणियां मांगी गई।

(इसके बाद साक्षीगण चले गए, समिति मध्याह्न भोजन हेतु स्थगित हुई और पुन: समवेत हुई।)

प्रवर्तन निदेशालय का अभिसाक्ष्य

8. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने सम्पति की कुर्की और जब्ती के संबंध में पीसी अधिनियम, 1988 बनाम धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के उपबंधों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। इस प्रश्न हेतु कि क्या भारत में कोई अपराध किए बिना विदेशी कंपनी द्वारा लोक सेवक को भुगतान किया गया धन भ्रष्टाचार होता है, सकारात्मक उत्तर दिया गया।

(इसके बाद साक्षीगण चले गए।)

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अभिसाक्ष्य

9. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के महानिदेशक का विचार था कि प्रस्तावित पी सी अधिनियम, 1988 में संशोधन भ्रष्टाचार रोधी कानूनों को मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने फंसाए जाने के मामले और आय से अधिक संपति के मामले को छोड़कर लोकपाल/लोकायुक्त के जांच पूर्व अनुमोदन की मांग हेतु संशोधन का समर्थन किया। उनकी राय थी कि पुलिस अधिकारी के लोकपाल/लोकायुक्त से अनुरोध को लोकपाल के समक्ष शिकायत के रूप में समझा जाना चाहिए और जांच हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु लोकपाल/लोकायुक्त के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को उचित अवसर प्रदान कर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 30 के अंतर्गत निर्धारित यथोचित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए। यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ राज्यों में लोकायुक्त नहीं हैं। उस स्थिति में वेसे अधिनियम में जांच के पूर्व अनुमोदन की प्रणाली को स्पष्ट किया जाए जहां लोकपाल/लोकायुक्त नहीं है अथवा उनका लोक सेवकों की कतिपय श्रेणियों के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं है।

(इसके बाद साक्षीगण चले गए।)

10. अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि समिति राज्य सरकारों, भ्रष्टाचार रोधी अभिकरणों, चैम्बर्स ऑफ कामर्स और अन्य हितधारकों के साक्ष्य को रिकार्ड करने हेतु बंगालुरू, मुंबई और कोलकाता में अपनी अगली बैठकें करेगी।

11. इसके बाद, समिति ने विधेयक के उपबंधों और 2015 में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में सिविल सोसाइटी के विचार मांगने के मुद्दे पर विचार किया। यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि सरकार द्वारा प्रस्तावित सरकारी संशोधनों के इस विधेयक के उपबंधों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 पर दूरगामी एवं गंभीर प्रभाव होंगे, उन मुद्दों पर फीडबैक मांगने हेतु 2015 में प्रस्तावित सरकारी संशोधनों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने हेतु माननीय सभापति, राज्य सभा की अनुमति मांगी जाए।

12. बैठक म०प० 2.35 बजे स्थगित हुई।

IV

चौथी बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक मंगलवार, 23 फरवरी, 2016 को म०प० 3.00 बजे कमरा संख्या '63', पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

श्री अनिल माधव दवे — अध्यक्ष

राज्य सभा

2. श्री भुपेन्द्र यादव
3. श्री मणि शंकर अय्यर
4. श्री के०सी० त्यागी
5. श्री ए० नवनीतकृष्णन
6. श्री प्रफुल्ल पटेल
7. श्री अनुभव मोहंती
8. श्री देवेंदर गौड टी०
9. श्री संजय राउत

सचिवालय

श्री के०पी० सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

श्रीमती न्याडखन्नेम गुईते, सहायक निदेशक

2. अध्यक्ष ने बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद, समिति ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 की जांच की प्रगति की समीक्षा की। सदस्यों ने अब तक हुई चर्चाओं के संबंध में संतोष व्यक्त किए। तथापि, समिति ने महसूस किया कि उन राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को भी सुना जाए जिनके विचारों को समिति द्वारा अब तक नहीं सुना गया है। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि आंतरिक चर्चाओं हेतु कम से कम दो बैठकें आयोजित की जाएं। तद्नुसार, समिति ने निर्णय लिया कि उक्त विधेयक से संबंधित प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016 तक समय विस्तार की मांग की जाए। समिति द्वारा इस आशय का निम्नानुसार एक संकल्प पारित किया गया:

''समिति संकल्प करती है कि सभा में एक प्रस्ताव उपस्थित किया जाए कि राज्य सभा की भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित समय को बढ़ाकर 29 अप्रैल, 2016 तक किया जाए।''

3. समिति ने अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस प्रयोजनार्थ सभा में प्रस्ताव को 25 फरवरी, 2016 को उपस्थित करने हेतु श्री अनुभव मोहन्ती को प्राधिकृत किया।

4. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालक विषयक नियमावली के नियम-88 के तहत राज्य सभा के सभापति से अनुरोध किया जाए कि वर्ष 2015 में सरकार द्वारा प्रस्तावित आधिकारिक संशोधनों सहित इस विधेयक को सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाए। समिति द्वारा इस आशय का पारित संकल्प निम्नप्रकार से है:—

''समिति संकल्प करती है कि राज्य सभा के सभापति इस पर विचार करें कि भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 हेतु वर्ष 2015 में सरकार द्वारा प्रस्तावित आधिकारिक संशोधनों को व्यापक रूप से सिविल सोसाइटी के विचार प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक डोमेन में डाला जाए।''

5. समिति ने 9 मार्च, 2016 को म०प० 4.00 बजे अगली बैठक करने का निर्णय लिया।

6. बैठक म०प० 3.25 बजे स्थगित हुई।

V

पाँचवी बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक बुधवार, 9 मार्च, 2016 को म॰पू॰ 11.30 बजे कमरा संख्या '62', पहली मंजिल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

श्री अनिल माधव दवे — **अध्यक्ष**

राज्य सभा

2. डॉ॰ चन्दन मित्रा
3. श्री भुपेन्द्र यादव
4. श्री मणि शंकर अय्यर
5. श्री शान्ताराम नायक
6. श्री ए॰ नवनीत कृष्णन
7. श्री के॰ एन॰ बालगोपाल
8. श्री अनुभव मोहंती
9. श्री देवेंदर गौड टी॰
10. श्री राजीव चन्द्रशेखर

सचिवालय

श्री के॰पी॰ सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

श्रीमती न्याङखन्नेम गुईते, सहायक निदेशक

साक्षीगण

(I) **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रतिनिधि**

1. श्री के॰ के॰ शर्मा, मुख्य सचिव
2. डॉ॰ वसंत कुमार एन, सचिव (एआर) और
3. श्री सुकेश जैन, सचिव (सतर्कता)

(II) **हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि**

श्री ए॰ के॰ सिंह, प्रधान सचिव

(III) **हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि**

श्री ए॰ पी॰ सिंह, आवासीय आयुक्त

(IV) **उत्तराखंड राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

श्री एस॰ डी॰ शर्मा, आवासीय आयुक्त

श्री शिव कुमार गुप्ता, विशेष कार्य अधिकारी

(V) **छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

श्री विजय कुमार होता, अपर सचिव, न्याय विभाग

(VI) **मध्य प्रदेश राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

श्री आर॰ के॰ मिश्रा, संयुक्त आवासीय आयुक्त

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

श्री जिश्नु बरूआ, संयुक्त सचिव

श्री राकेश कुमार, निदेशक

विधायी और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

डॉ॰ रीता वशिष्ठ, अपर सचिव

श्री आर॰ श्रीनिवास, अपर विधिक परामर्शी

विधि कार्य विभाग

श्री आर॰ एस॰ वर्मा, उप विधिक परामर्शी

2. अध्यक्ष ने समिति की बैठक में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए लिखित प्रस्तुतीकरण में अंतर्विष्ट मुख्य बिन्दुओं को रेखांकित किया। उन्होंने राज्य सरकारों से सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिकारिक संशोधन के माध्यम से लाई गई नई धारा 17क के संबंध में अपने विचार रखने का अनुरोध किया जो लोक पाल अथवा किसी राज्य के लोकायुक्त को किसी जांच एजेंसी द्वारा किसी लोक सेवक के विरुद्ध जांच अथवा अन्वेषण शुरू करने हेतु स्वीकृति मंजूर करने की शक्ति प्रदान करने के लिए है। अध्यक्ष ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से वर्ष 2015 में प्रस्तावित सरकारी संशोधनों के माध्यम से शुरू किए जाने हेतु संपत्ति की कुर्की और जब्ती से संबंधित खण्डों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया था।

3.0 मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार ने बताया कि सरकार ने दिल्ली लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम, 1995 के उपबंधों को कार्यान्वित किया है जिसमें केवल राजनीतिक कार्यकारी कवर होते हैं। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि राज्य में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो हैं किन्तु कोई सांविधिक राज्य सतर्कता आयोग नहीं है। दिल्ली राज्य विधान सभा ने दिल्ली जन लोकपाल विधेयक, 2015 पारित किया है जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रतीक्षित है। उन्हें भ्रष्टाचार रोकने हेतु विधेयक की प्रस्तावित नई धारा 17क की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। उन्होंने संशोधित अधिनियम में धारा 13 के तहत दी गई आपराधिक कदाचार की परिभाषा को बनाए रखने का सुझाव दिया। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि 'इरादतन' और 'गैर कानूनी रूप से' जैसे शब्दों का समावेशन करने से जांच अभिकरणों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने अपने लिखित विचार प्रस्तुत करने के लिए समय देने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने इस विधेयक पर अपने लिखित विचार प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया।

4.0 हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में लोकायुक्त अधिनियम है जिसे सर्वप्रथम 1998 में पारित किया गया था और बाद में वर्ष 2002 में निरसित कर दिया गया तथा एक अन्य अधिनियम से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लोकायुक्त का पद रिक्त है और सरकार इस रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया में है। उन्होंने समिति को बताया कि राज्य में राज्य सतर्कता ब्यूरो भी है जो बहुत सक्रिय रहा है और उसमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं। उन्होंने महसूस किया कि 'वर्तमान विधेयक में अनुचित लाभ' की परिभाषा बहुत व्यापक है और इससे लोक सेवकों के उत्पीड़न हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा राज्य सरकार अधिनियम में धारा 18क को शुरू करने का समर्थन किया है।

4.1 उन्होंने यह भी बताया कि अधिनियम का परिभाषा खण्ड जो 'लोक सेवक' को परिभाषित करता है, को विस्तारित किया जाए ताकि निजी विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकों एवं प्रबंधन सदस्यों को इसमें शामिल किया जा सके क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के बढ़ते स्तर को देखा गया है।

4.2 लोकपाल/लोकायुक्त की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता के संबंध में उन्होंने यह बताया कि राज्य सरकार महसूस करती है कि संस्वीकृति की शक्ति सक्षम प्राधिकारी अथवा तीन सदस्यों की एक समिति के पास होनी चाहिए जिनको सरकारी विभागों के कार्यकरण की जानकारी होती है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि दिल्ली

विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6क और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संयुक्त सचिव से ऊपर के अधिकारियों के लिए जांच हेतु स्वीकृति संबंधी संगत उपबंध को उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर हटा दिया गया है। तथापि हरियाणा राज्य सरकार का एक सतर्कता मैनुअल है जिसमें सभी श्रेणी के लोक सेवकों के लिए सक्षम अधिकारी से जांच की स्वीकृति की मंजूरी का प्रावधान है। गैर-भेदभावकारी माना गया है।

5.0 हिमाचल प्रदेश सरकार के रेजिडेंट कमीश्नर ने बताया कि राज्य का अपना लोकायुक्त अधिनियम है और भ्रष्टाचार संबंधी मामलों से निपटने के लिए एक अलग विधान है जिसे वन संबंधी अपराधों से निपटने हेतु विशिष्ट भ्रष्ट परिपाटी अधिनियम कहा जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य में ऐसे मामलों से निपटने हेतु पृथक विशेष न्यायालय हैं। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में यह भी बताया कि जबकि सीआरपीसी की धारा 197 सेवारत और सेवानिवृत्त लोक सेवकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 केवल सेवारत लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने महसूस किया कि इस विसंगति को सुधारा जाए।

5.1 प्रस्तावित नई धारा 17क के संबंध में, रेजिडेंट कमीश्नर ने बताया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1948 की धारा 6क को उच्चतम न्यायालय द्वारा हटाए जाने के मद्देनजर, लोक सेवकों को ऐसी ही सुरक्षा प्रदान करने वाले राज्य के कानून न्यायालय के निर्णयों के प्रतिकूल हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, भ्रष्ट कृत्यों में संलिप्त पाए जाने वाले दोषी लोक सेवक के विरुद्ध जांच शुरू करने हेतु पूर्वानुमति लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

6.0 रेजिडेंट कमीश्नर, उत्तराखण्ड सरकार ने बताया कि राज्य में उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 अधिनियमित किया है। राज्य में 2002 से सतर्कता अधिनियम भी है। राज्य में नैनीताल और देहरादून में दो सतर्कता न्यायालय स्थापित और देहरादून में सीबीआई का एक भ्रष्टाचार रोधी न्यायालय भी है। रेसिडेंट कमीश्नर ने बताया कि उनकी सरकार ने विधेयक की प्रस्तावित धारा 17क का समर्थन किया है क्योंकि उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 में पहले से ही ऐसे उपबंध मौजूद हैं।

7.0 अपर सचिव, विधि विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि राज्य में अपना छत्तीसगढ़ लोकायुक्त अधिनियम और छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय अधिनियम, 2015 है जो राज्य में लोक सेवकों द्वारा अपराधों से संबंधित सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के कई मामले शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राज्य में भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों पर मुकदमा चलाने हेतु प्रथम श्रेणी के अपर जिला जज की अध्यक्षता में इक्कीस विशेष न्यायालय प्रत्येक जिले में एक-एक है। इनकी राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है कि 'अनुचित लाभ' शब्द की परिभाषा को और विशिष्ट बनाया जाए। इसी प्रकार यह बताया गया कि 'अनुचित रूप से किए गए सरकारी कार्य अथवा कार्यकलाप' को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है।

7.1 उन्होंने यह भी बताया कि धारा 17क में एक परन्तुक होना चाहिए जिसमें यह उल्लेख हो कि यदि किसी राज्य सरकार द्वारा अपने भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत कोई जांच पहले ही शुरू कर दी गई हो तो दोहरी जांच शुरू नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने यह कहा कि जांच शुरू करने की संस्वीकृति प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के साथ होनी चाहिए न कि लोकपाल अथवा लोकायुक्त के पास क्योंकि लोकायुक्त को प्रशासनिक व्यवस्था के कार्यकरण की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। तथापि, राज्य सरकार ने बताया कि वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 का समर्थन करती है जिसमें दोषी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन शुरू करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति हेतु उपबंध है क्योंकि यह लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से संरक्षित करता है।

8. संयुक्त रेजिडेंट कमीश्नर, मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि सरकार इस विधेयक के सभी खण्डों से पूर्णत: सहमत है।

9. बैठक की कार्यवाही का शब्दश: अभिलेख रखा गया है।

10. समिति की बैठक 10 मार्च, 2016 को म०प० 4.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए म०प० 5.11 बजे स्थगित हुई।

VI

छठी बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 10 मार्च, 2016 को म॰प॰ 4.00 बजे कमरा संख्या '62', पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

1. श्री अनिल माधव दवे — **अध्यक्ष**

राज्य सभा

2. श्री भुपेन्द्र यादव
3. श्री मणि शंकर अय्यर
4. श्री भुवनेश्वर कलिता
5. श्री ए॰ नवनीतकृष्णन
6. श्री नरेश गुजराल
7. श्री डी॰ राजा
8. श्री तिरुची शिवा

सचिवालय

श्री के॰पी॰ सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

श्रीमती न्याङखन्नेम गुईते, सहायक निदेशक

साक्षीगण

(I) **सिक्किम राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव

(II) **मिजोरम राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्री लालमालस्वामा, मुख्य सचिव
2. डॉ॰ रणबीर सिंह, आवासीय कमीशनर
3. श्री अजय कश्यप, निदेशक, एसीबी

(III) **मणिपुर राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्री ओ॰ नाबकिशोर, मुख्य सचिव
2. श्री थि॰ कामिनी कुमार सिंह, अपर सचिव (विधि)

(IV) **असम राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्रीमती टी॰वाई॰ दास, अपर मुख्य सचिव
2. डॉ॰ आर॰ चन्द्र नाथन, अपर पुलिस महानिरीक्षक
3. सुश्री एल॰एस॰ चांगसन, आयुक्त और सचिव

(V) **त्रिपुरा राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्री प्रवीण श्रीवास्तव, मुख्य आवासीय कमीश्नर
2. डॉ॰ राकेश सरवाल, प्रधान आवासीय कमीश्नर

(VI) **नागालैण्ड राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

श्री थामस थैलु, विशेष कार्य अधिकारी

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

श्री राकेश कुमार, निदेशक

विधि कार्य विभाग

डॉ॰ रीता वशिष्ठ, अपर सचिव

श्री आर॰ श्रीनिवास, अपर एल॰सी॰

विधि कार्य विभाग

श्री आर॰एस॰ वर्मा, उप विधिक परामर्शी

डॉ॰ आर॰जे॰आर॰ काशीभाटला, उप विधिक परामर्शी

2. अध्यक्ष ने समिति की बैठक में समिति के सदस्यों और पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकारों के प्रतिनिधिगण का स्वागत किया। अध्यक्ष ने इन सरकारों से 2015 में केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी संशोधनों के माध्यम से प्रस्तावित नई धाराओं 17क तथा 18क पर चर्चा करने का अनुरोध किया।

3. सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव ने उल्लेख किया कि सिक्किम राज्य में लोकायुक्त और निदेशक (सतर्कता) का कार्यालय है। राज्य में चार न्यायालय हैं जिन्हें भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों पर विचार करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रस्तावित नई धारा 17क के विरुद्ध है और उसका विचार है कि आपराधिक दंड संहिता की धारा 197 के उपबंध उपयुक्त होंगे। लोक सेवक, जब वे विचारण के संबंध में सरकार को सलाह देते हैं, की परिभाषा के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आदि जैसे व्यावसायिकों को शामिल किए जाने के संबंध में राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्राचार्यों, शिक्षकों, प्रबंधन समितियों के सदस्यों को शामिल किए जाने का भी समर्थन किया था। उन्होंने यह भी कहा कि रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों को एक समान नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे लोक सेवकों द्वारा साधारण नागरिकों को प्रताड़ित किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत 'अनुचित लाभ' की परिभाषा के संबंध में सरकार ने विचार प्रकट किया कि परिभाषा उपयुक्त प्रतीत होता है, लेकिन इससे लोक सेवकों की भी प्रताड़ना हो सकती है। अधिनियम की धारा 13 में संशोधनों के संबंध में सरकार ने कहा कि मौजूदा उपबंध अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त हैं और 'जानबूझकर' जैसे शब्दों को शामिल किए जाने से जांच अभिकरणों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार ने न्यायालयों द्वारा विचारणों को पूरा किए जाने हेतु दो वर्षों की समय-सीमा जिसे चार वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, का भी समर्थन किया।

4. मिजोरम सरकार के मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार ने विधेयक के खण्डों का समर्थन किया। रिश्वत दिए जाने को अपराध बनाए जाने के मुद्दे पर सरकार ने विधेयक के उपबंधों का पूरी तरह से समर्थन किया क्योंकि ये उपबंध भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुच्छेद 14 की तर्ज पर पाए गए हैं। तथापि, सरकार ने प्रस्तावित नई धारा 17क का समर्थन नहीं किया, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 और आपराधिक दंड संहिता की धारा 197 के अंतर्गत संरक्षण ईमानदार सिविल सेवकों को संरक्षण प्रदान करने हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।

5. मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव ने कहा कि मणिपुर में एक अनुपम मणिपुर पब्लिक सर्वेण्ट्स पर्सनल लायब्लिटी एक्ट, 2006 है जो यह अधिदेश देता है कि लोक सेवक द्वारा राज्य सरकार पर किसी भी प्रकार के अप्राधिकृत दायित्व के सृजन का भुगतान स्वयं लोक सेवक द्वारा किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि मणिपुर लोकायुक्त अधिनियम, 2014 को अभी भी लागू किया जाना है। उस सरकार ने यह भी सुझाव दिया था कि रिश्वत देने वाले और सूचना प्रदाता के बीच अंतर बनाया जाए जो हमेशा समान व्यक्ति नहीं हो सकता और यह सुनिश्चित किया कि सूचना प्रदाताओं को पर्याप्त संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है तथा इसके साथ ही तुच्छ शिकायतें दायर करने हेतु उत्तरदायी ठहराया जाए।

6. असम सरकार के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि असम सरकार विधेयक के उपबंधों से सहमत है, लेकिन यह सुझाव दिया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 24 के अंतर्गत रिश्वत देने वालों को

प्रदान की गई प्रतिरक्षा बनाई रखी जाए। सरकार ने महसूस किया कि धारा 8 में किए गए संशोधन जो रिश्वत दिए जाने को अपराध ठहराते हैं, अंततोगत्वा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांचों को निरुद्ध करेंगे, क्योंकि इससे साक्ष्य संग्रहण मुश्किल हो जाएगा। धारा 13 (1)(ख) के प्रतिस्थापन के संबंध में उन्होंने कहा कि शब्द 'जानबूझकर' का पुर:स्थापन खतरे के भय से हुआ और कि इस शब्द को और स्पष्टता के साथ परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने महसूस किया कि मूल अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) (ii) को व्यक्तिगत लाभ अथवा अन्य लाभों हेतु लोक पद के दुरुपयोग से संबंधित अपराधों को शामिल करने हेतु बनाए रखा जाए।

7. मुख्य आवासीय आयुक्त, त्रिपुरा सरकार ने विधेयक के संबंध में राज्य सरकार के विचारों को प्रस्तुत करने हेतु तीन सप्ताह का समय और बढ़ाने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने तीन सप्ताह का समय प्रदान किया।

8. विशेष कार्याधिकारी, नागालैंड सरकार ने कहा कि नागालैंड सरकार इस विधेयक का समर्थन करती है।

9. अध्यक्ष ने दो सप्ताह के समय के अंदर इस विधेयक के संबंध में अपने लिखित विचार प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकारों को निदेश दिया।

10. बैठक की कार्यवाही का शब्दश: अभिलेख रखा गया।

11. 1 अप्रैल, 2016 को म०पू० 11.00 बजे पुन: बैठक हेतु समिति की बैठक म०प० 5.42 बजे स्थगित हुई।

VII

सातवीं बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक शुक्रवार, 1 अप्रैल, 2016 को म०पू० 11.00 बजे कमरा संख्या '53', प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

श्री अनिल माधव दवे — **अध्यक्ष**

राज्य सभा

2. डॉ० चंदन मित्रा
3. श्री भुपेन्द्र यादव
4. श्री शान्ताराम नायक
5. श्री नरेश अग्रवाल
6. श्री के०सी० त्यागी
7. श्री सुखेन्दु शेखर राय
8. श्री ए० नवनीत कृष्णन
9. श्री के०एन० बालगोपाल
10. श्री देवेंदर गौड टी०
11. श्री संजय राउत
12. श्री डी० राजा
13. श्री हिशे लाचुंगपा
14. श्री तिरुची शिवा

सचिवालय

श्री के०पी० सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

श्रीमती न्याडख्नेम गुईते, सहायक निदेशक

साक्षीगण

I. **कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)**

1. सुश्री पल्लवी श्रॉफ, क्षेत्रीय प्रबंधन सहभागी, नेशनल प्रैक्टिस हेड, विवाद समाधान, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कं०;
2. सुश्री दीप्ती मेहता, सभागी, मेहता एंड मेहता;
3. श्री प्रशांत चोक्सी, समूह प्रमुख, कम्लायंस, विधि और कंपनी सचिव, जे एम फाइनेंशियल लिमिटेड;
4. श्री बाबू खान, वरिष्ठ निदेशक, सीआईआई; और
5. श्री श्रीराम लक्ष्मण, परामर्शदाता, सीआईआई, लोक नीति

II. **फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)**

1. श्रीमती विजया सम्पत, अध्यक्ष, कारपोरेट विधि; और
2. सुश्री निधि तोमर

III. **पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री**

1. श्री सौरभ सान्याल, महासचिव;
2. श्री विवेक सेइगेल, निदेशक; और
3. सुश्री सुरभी शर्मा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी

VI. **पीआरएस विधायी अनुसंधान**

1. डॉ॰ एम॰आर॰ माधवन, प्रेजीडेंट;
2. डॉ॰ मंदिरा कला, अनुसंधान प्रमुख; और
3. सुश्री प्रियंका राव, वरिष्ठ विश्लेषक

V. **दि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया**

1. सी एस ममता बिनानी, प्रेजीडेंट;
2. सी एस विनीत के॰ चौधरी, काउंसिल मेम्बर;
3. श्री समीर चौधरी;
4. सी एस अलका कपूर, संयुक्त सविच;
5. सी एस बानू डंडोना, संयुक्त निदेशक; और
6. सुश्री हेमा बब्बर, सहायक निदेशक

VI. **इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया**

1. सी ए एम देवराज रेड्डी, प्रेजीडेंट;
2. सी ए निलेश शिवजी विकमसे, वाइस प्रेजीडेंट;
3. सी ए नवीन एन डी गुप्ता, केन्द्रीय परिषद सदस्य और अध्यक्ष, आर्थिक, टी एम वाणिज्यिक विधि और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति;
4. सी ए मंगेश पांडुरंग किनरे, केन्द्रीय परिषद सदस्य और उपाध्यक्ष, आर्थिक, वाणिज्यिक विधि और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति;
5. श्री वी सागर, सचिव;
6. श्री राकेश सहगल, निदेशक; और
7. सी ए कुलदीप वशिष्ट, सहायक सचिव

VII. **नेशनल कैम्पेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफार्मेशन (एनसीपीआरआई)**

1. सुश्री अंजली भारद्वाज, सह-संयोजक;
2. श्री शेखर सिंह, सह-संयोजक; और
3. सुश्री अमृता जौहरी, सह संयोजक

VIII. **इंडियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (सेंट्रल) एसोसिएशन**

श्री संजीव भूसरेड्डी, सचिव

IX. **कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गजटेड आफिसर्स आर्गेनाइजेशंस**

1. श्री रमण कुमार शर्मा, अध्यक्ष;
2. श्री पी आर चरणबाबू, उपाध्यक्ष;
3. श्री एस मोहन, महासचिव;

4. श्री भास्कर भट्टाचार्य, अपर महासचिव; और

5. श्री महेश कुमार, संयुक्त सचिव

X. **कंफेडरेशन ऑफ सिविल सर्विस एसोसिएशन**

1. श्री जयंत मिश्रा, आईआरएन, संयोजक;

2. सुश्री सुभ्रा अग्रवाल, सदस्य;

3. श्री संजय स्वांकर सिंह, सदस्य;

4. श्री संदीप सरकार, सदस्य; और

5. श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य

XI. **सीएसएसएस गजेटैड आफिसर्स एसोसिएशन**

श्री आर॰ एस॰ रावत, संयोजक

क कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

1. श्री जिश्नु बरूआ, संयुक्त सचिव

2. श्री यू॰ जी॰ मूलचंदानी, अपर सचिव

ख. विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

श्री आर॰ एस॰ वर्मा, उप विधिक सलाहकार

विधायी विभाग

1. सुश्री रीता वशिष्ठ, अपर सचिव; और

2. श्री आर॰ श्रीनिवासन, ए॰ एल॰ सी॰

2. अध्यक्ष ने सदस्य और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), पेशेवर निकायों एवं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रतिनिधियों से इस विधेयक के संबंध में अपने विचार देने का अनुरोध किया। उन्होंने पेशेवर निकायों के प्रतिनिधियों से अपने विचार रखने के लिए अनुरोध किया कि क्या वकील, चार्टेड एकाउंटेट एवं कंपनी सचिवों जैसे इन पेशेवरों और सार्वजनिक धन से विचारार्थ हेतु परामर्श देते हैं, को भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत 'लोक सेवक' की परिभाषा के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अभिसाक्ष्य

3.0 रीजनल मैनेजिंग पार्टनर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बताया कि मूल अधिनियम में 'लोक कर्तव्य' की परिभाषा और 'लोक कार्य अथवा कार्यकलाप' जैसे नए शब्दावली एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं और पूरी तरीके से जांच किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पीसी अधिनियम में अंतर्विष्ट किए जाने वाले प्रचलित नए शब्दों जैसे 'सुसंगत अपेक्षा' की परिभाषा अस्पष्ट लगते हैं और न्यायिक निर्वचन के लिए खुला होता है।

3.1 रिश्वत पेशी को आपराधिक बनाए जाने में उन्होंने बताया कि प्रस्तावित धारा 8 के तहत उपबंध भ्रष्टाचार के विरुद्ध युनाइटेड नेशंस कन्वेंशन एंगेस्ट करप्शन (यूएनसीएसी) के तहत हमारे राष्ट्र की बाध्यताओं के तर्ज पर है। तथापि इस धारा के तहत सूचना प्रदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई उपबंध किया जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि विकसित देशों में भी काफी बड़े भ्रष्टाचार रोधी कानून सहित ऐसे उपबंध विद्यमान है। उन्होंने बताया कि कारपोरेट भ्रष्टाचार मामलों में प्रबंधन की ओर से अपराध की परिकल्पना आपराधिक विधिशास्त्रों के मूल कानून के विरुद्ध होगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित धारा 10 में 'उपेक्षित' शब्द को 'जानबूझकर उपेक्षा' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है ताकि आपराधिक मन:स्थिति की अवधारणा को वाणिज्यिक संगठनों के प्रबंधन के लिए छोड़ा जा सकता है।

3.2 अधिनियम की धारा 13 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में उन्होंने यह बताया कि 'गैर कानूनी सम्पन्नता' शब्दों के समावेश उपर्युक्त धारा में आपराधिक मन:स्थिति' की अवधारणा के साथ जोड़े जाने के लिए है जिसे लोक सेवकों द्वारा दुरूपयोग किया जा सकता है। उनकी यह राय थी कि आय से अधिक परिसम्पत्ति के मामले में दोषी लोक सेवक की आपराधिक मन:स्थिति को स्थापित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

3.3 'लोक सेवक' की परिभाषा के तहत पेशेवरों विशेष रूप से वकीलों को शामिल किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि वकीलों को वकील अधिनियम और बार काउंसिल द्वारा निर्धारित आचार संहिता के अंतर्गत शासित किया जाता है। इसके अलावा किसी ग्राहक को किसी वकील द्वारा दिए गए सुझाव को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराएं 127, 128 और 129 द्वारा दिए गए विशेषाधिकार के तहत लिया जाता है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) का अभिसाक्ष्य

4.0 सीआईआई द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के कारपोरेट कानून के अध्यक्ष ने यह बताया कि वाणिज्यिक संगठनों के वरिष्ठ प्रबंधन की प्रतिनिधिक देयता का प्रश्न इसके कर्मचारियों अथवा अभिकर्मक द्वारा भ्रष्टाचार के लिए निर्धारित किया जा सकता है जब तक कि भ्रष्टाचार के कृत्य में पूर्ववर्ती की सहमति अथवा सांठगाठ नहीं हो। उन्होने अधिनियम की धारा 19 हेतु प्रस्तावित संशोधन और अधिनियम में नई धारा 17क के अंर्तवेशन का स्वागत किया जो कि उनके अनुसार ईमानदार सिविल सेवकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। धारा 17क के संबंध में, उन्होंने बताया कि जांच और संतुलन की प्रणाली को जोड़ने के उपबंधन का स्वागत किया जाएगा क्योंकि यदि संबंधित सरकार अभियोग हेतु अनुमति प्रदान करने की शक्ति में निहित होता है तो हितों के टकराव की संभावना हो सकती है।

4.1 पेशेवर जब सरकार को परामर्श देते हैं तो उन्हें 'लोक सेवक' की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किए जाने के मुद्दे पर सीआईआई की राय को स्वीकार्य करते हुए उन्होंने बताया कि यदि पेशेवर गलत परामर्श देते हैं तो वे उनके संबंधित अधिनियमों अथवा उस विशेष पेशे की आचार संहिता के तहत उत्तरदायी हो सकते हैं किंतु उन्हें भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम, 1988 के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव दिया कि केवल सहकारी समितियां, न्यास एवं एनजीओ जो एक निर्धारित सीमा के उपर वित्तीय सहायता अर्थात सरकार के 10 लाख रुपये से अधिक धनराशि प्राप्त करता है तो इसे पीसी अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

4.2 रिश्वत देने के अपराधिकरण के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि रिश्वत देने वाले के लिए सुरक्षा उपलब्ध है यदि वह व्यक्ति रिश्वत या उसके आंशिक हिस्से पर भुगतान करने से पहले पुलिस अथवा जांच एजेंसियों को सूचित करता है। उन्होंने यह महसूस किया कि देश में स्थिति को देखते हुए ऐसे मामले में सुरक्षा का दायरा बढ़ाना चाहिए जहां रिश्वत देने वाला रिश्वत देने अथवा इसका कुछ हिस्सा देने के पश्चात तत्काल ही एजेंसियों को सूचित कर देता हो। समिति की जब्ती और कुर्की से संबंधित प्रस्तावित धारा 18क का समर्थन करते हुए उन्होंने चार वर्ष की समय-सीमा को कम करके इसके बदले में दो वर्ष तथा अतिरिक्त और छ: महीने की अधिकतम समय सीमा का सुझाव दिया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए नब्बे दिन की समय-सीमा का पालन किया जा सकता है।

पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अभिसाक्ष्य

5. पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव ने सीआईआई और फिक्की द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण का समर्थन किया। उन्होंने किसी लोक सेवक को रिश्वत देने के मामले में संलिप्त किसी वाणिज्यिक संगठन के प्रबंधन की ओर से अपराध की परिकल्पना का भी समर्थन नहीं किया। इसके अलावा, उन्होंने सूचना प्रदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने का समर्थन किया क्योंकि वे अधिक से अधिक भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करेंगे।

पीआरएस विधायी अनुसंधान का अभिसाक्ष्य

6.0 पीआरएस विधायी अनुसंधान के प्रसिडेंट ने सुझाव दिया कि कपटपूर्ण रिश्वत और बलपूर्वक रिश्वत के बीच अंतर किया जाना चाहीए। उन्होंने यह भी बताया कि रिश्वत देने वाले को सुरक्षा प्रदान करने हेतु धारा 24 के तहत सुरक्षा को बनाए रखा जा सकता है यदि वह रिश्वत के भुगतान करने के पश्चात वह इसकी सूचना संगत

प्राधिकारियों को दे देता है। धारा 7 (3) के संबंध में जो कि रिश्वत प्रदाता को सुरक्षा प्रदान करता है यदि वह अपना कर्तव्य ईमानदारी से निर्वहन करता है। उन्होंने बताया कि दोषी लोक सेवकों द्वारा इस धारा का दुरुपयोग होने की संभावना है। नई प्रस्तावित धारा 17क के संबंध में उनकी यह राय थी कि लोक सेवक को दोहरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6क को हटाने का भी उल्लेख किया और कहा कि न्यायालय ने समुक्ति की कि यह उपबंध स्वतंत्र और निर्बाध जांच प्रक्रिया को करने में बाधा पहुंचाता है।

6.1 लोक सेवक द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में यह बताया गया कि सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन मूल विधेयक के उपबंध की अपेक्षा अत्यधिक ज्यादा अनुकूल था और इस तरह आगे ले जाया जा सकता है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज (आईसीएसआई) के अभिसाक्ष्य

7. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज (आईसीएसआई) के प्रसिडेंट ने अधिनियम की धारा 29 की अवधारणा का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि आदतन रिश्वत देने वालों से निपटने के लिए भी उपबंध होना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रिश्वत श्रृंखला में मध्यस्थों को भी इसके खंड के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जांच बंद कमरे में होनी चाहिए और प्रैस द्वारा मीडिया जांच से रोका जाना चाहिए। किसी लोक सेवक को रिश्वत देने में संलिप्त किसी वाणिज्यिक संगठन के प्रबंधन/बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आपराधिक दायित्व संबंधी मुद्दे पर उन्होंने सीआईआई और फिक्की द्वारा लिए गए रूख को दोहराया और सुझाव दिया कि किसी भी मामले में स्वतंत्र निदेशकों को जवाबदेह नहीं बनाया जाना चाहिए।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)

8.0 अध्यक्ष, इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अपनी प्रस्तुति में यह बताया कि प्रस्तावित धारा 9 (3) (क) में वाणिज्यिक संगठनों की परिभाषा में ऐसे संगठन शामिल किए जाने चाहिए जो कि भारत के बाहर शामिल है किंतु वह किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में व्यापार करता हो। इस विधेयक में 'लोक सेवक' की परिभाषा के मुद्दे पर उन्होंने यह बताया कि 'लोक हित संगठनों' शब्द और और बोर्ड के सदस्यों सहित ऐसी कंपनी के स्वतंत्र सदस्यों को पीपीपी परियोजनाओं के दायरे में लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम की धारा 24 को सूचना प्रदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए रखे जाने की आवश्यकता है। उन्होंने दबाव डालकर और सांठगांठ वाले रिश्वत और साथ ही साथ रिश्वत देने वाले की आपराधिक मन: स्थिति के समावेश के बीच के अंतर की भी वकालत की। उन्होंने बताया कि कतिपय कंपनियां जैसे क्लब्स और पेशेवर निकाय हुआ करती थी जो कि न तो धर्मार्थ संगठन और न ही कोई व्यवसाय में शामिल होते थे। 'वाणिज्यिक संगठनों' शब्दों को 'कंपनी' शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है और पेशेवर निकायों तथा धर्मार्थ संगठनों को बचाने के लिए अधिनियम की प्रस्तावित धारा 9 और 10 में 'व्यवसाय' शब्द को 'गतिविधि' से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

8.1 उन्होंने बताया कि कतिपय कंपनियां जैसे कलब्स और पेशेवर निकाय हुआ करती थी जो कि न तो धर्मार्थ संगठन और न ही कोई व्यवसाय में शामिल होते थे। 'कंपनी' शब्द को प्रतिस्थापित किया जा सकता है और पेशेवर निकायों तथा धर्मार्थ संगठनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम की प्रस्तावित धाराओं 9 और 10 में 'व्यवसाय' शब्द को 'गतिविधि' शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि पर्याप्त प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे कार्यस्थल पर सूचनापट्ट को लगाया जाना शामिल हो और जिसमें संगठन के भ्रष्टाचार रोधी दिशानिर्देशों को स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

8.2 अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक की परिभाषा में चार्टेड एकाउंटेट जैसे पेशेवरों को शामिल किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने यह बताया कि चार्टेड एकाउंटेट को चार्टेड एकाउंटेट एक्ट 1949 के अंतर्गत लाया गया है और यह सुझाव दिया कि जब वे सरकार को सुझाव/सेवा देते है तो पेशेवरों को लोक सेवकों की परिभाषा के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए।

नेशनल कैम्पेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफार्मेशन (एनसीपीआआई)

9.0 नेशनल कैम्पेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफार्मेशन (एनसीपीआआई) के सह-संयोजक ने रिश्वत देने

को आपराधीकरण किए जाने का विरोध किया जबकि यह बलपूर्वक प्रकृति की होती है। उन्होंने अधिनियम की धारा 24 की अवधारणा का समर्थन किया और यह सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में अनुमोदक बनाने वाले लोगों को भी आपराधिक दायित्व से सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है किंतु गैर कानूनी लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति से लाभों को राज्य को वापस किया जा सकता है।

9.1 वाणिज्यिक संगठन द्वारा भ्रष्टाचार के संबंध में उन्होंने धारा 9 और 10 में किए गए संशोधन का स्वागत किया लेकिन कहा कि इस खंड को ठीक से परिभाषित नहीं किया है जिसके फलस्वरूप अनावश्यक मुकदमेबाजी होगी और विलंब होगा। उन्होंने प्रस्तावित धारा 9 (1) के परंतुक का भी विरोध किया और कहा कि प्रबंधन को यह साबित करना चाहिए कि उन्होंने अपराध में मदद नहीं की है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि सार्वजनिक कार्य कर रहे पीपीपी परियोजनाओं और प्राइवेट निकायों को भी इस परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने लोक सेवक के विरूद्ध जांच/अन्वेषण शुरू करने से पहले राज्य के लोकपाल या लोकायुक्त से पूर्व स्वीकृति लेने के आवश्यकता का भी विरोध किया। आगे उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में लोकायुक्त की महज सिफारिशी भूमिका है और उन्हें मुकदमा चलाने हेतु स्वीकृति देने का अधिकार नहीं है।

(इस अवसर पर कुछ साक्षीगण चले गए)

भारतीय सिविल और प्रशासनिक सेवा के अवैतनिक सचिव का अभिसाक्ष्य

10. भारतीय सिविल और प्रशासनिक सेवा (केन्द्रीय) संघ के अवैतनिक सचिव ने विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए समय देने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने उन्हें अपने विचार रखने के लिए एक सप्ताह की अनुमति दी।

सिविल सेवा संघ के परिसंघ के समन्वयक का अभिसाक्ष्य

11.0 सिविल सेवा संघ के परिसंघ के समन्वयक ने रिश्वत देने को आपराधिक ठहराने का समर्थन किया। तथापि उन्होंने ऐसे मामलों में जहां आवश्यक सेवा पाने के लिए बलपूर्वक रिश्वत के मामले में रिश्वत देने वाले को थोड़ी राहत देने का सुझाव दिया। खंड 8 (2) के तहत रिश्वत देने वाले को दी जाने वाली सुरक्षा का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सुरक्षा सरकारी सेवक को भी दी जानी चाहिए ताकि आपराधिक रिश्वत देने वालों के लिए जाल बिछाया जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि झूठी शिकायत के मामले में कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए और मानसिक अशांति और सम्मान के ठेस के बदले ठीक-ठाक मुआवजा भी दिया जाना चाहिए।

11.1 उन्होंने प्रस्तावित नए खंड 17क का भी स्वागत किया और कहा कि ईमानदार लोक सेवकों की रक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक है। तथापि, लोक सेवक के विरूद्ध जांच शंरू करने के लिए स्वीकृति देने के मामले में उन्होंने दावे के साथ कहा कि यह शक्ति अनुशासनिक प्राधिकरण के पास होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्ट तरीके से कमाई गई सम्पत्ति का अटैचमेंट प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शोधन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना चाहिए। उन्होंने पेशेवरों को शामिल किए जाने का भी समर्थन में किया और कहा कि ये इस अधिनियम से स्वत: ही शामिल है क्योंकि इस अधिनियम के तहत लोक सेवक की परिभाषा में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे सार्वजनिक कार्य करने के लिए सरकार द्वारा मेहनताना दिया जाता है।

11.2 भ्रष्टाचार में लिप्त वाणिज्यिक संगठनों को आपराधिक माने जाने के संबंध में उन्होंने सुझाव दिया यूएसए के फारेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट (एफसीपीए) के प्रावधानों का अध्ययन किया जाना चाहिए और उसे भारतीय न्याय प्रणाली में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षकों को लोक सेवक की परिभाषा में शामिल करने का समर्थन किया। विधेयक के प्रावधानों का समर्थन करते हुए समयबद्ध विचारण के संबंध में उन्होंने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने के लिए भी समय-सीमा होनी चाहिए और आरोप पत्र दाखिल करने का संश्लिष्ट समय और विचारण को पूरा करने की समय-सीमा चार वर्ष होनी चाहिए। प्रस्तावित धारा 7 (1) (क) के संदर्भ में उन्होंने सुझाव दिया कि लोक सेवकों की रक्षा के लिए कुछ प्रावधानों को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी कनिष्ठ कर्मचारी के सुझाव पर नेक इरादे से कोई निर्णय लेता है और ऐसा हो सकता है कि सहायक ने ऐसा सुझाव लेने के लिए रिश्वत ली हो। इसी तरह ''प्राप्त करने का प्रयास'' शब्दों को हटा देना चाहिए क्योंकि यह बहुत व्यापक हो गया है और इसके दुरुपयोग की संभावना है।

केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के परिसंघ का अभिसाक्ष्य

12. केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के परिसंघ के उपाध्यक्ष ने सिविल सेवा संघ परिसंघ द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि लोक सेवक के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देने की शक्ति अनुशासनिक प्राधिकरण के पास होनी चाहिए। उन्होंने सातवें वेतन आयोग के प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया जिसमें से कहा गया है कि नौकरशाहों द्वारा नेक इरादे के लिए गए निर्णयों के लिए भी निशाना बनाया जाता है और उन्होंने रिश्वत देने को आपराधिक बनाने का समर्थन किया।

सीएसएसएस राजपत्रित अधिकारी संघ का अभिसाक्ष्य

13. सीएसएसएस राजपत्रित अधिकारी संघ के समन्वयक ने कहा कि लोक सेवकों द्वारा अपने उन वरिष्ठों के खिलाफ भंडाफोड़ करने की स्थिति में पर्याप्त प्रावधान नहीं है जो उनकी एपीएआर लिखते हैं। समन्वयक ने समिति से लिखित में अपने विचार पेश करने के लिए एक सप्ताह का वक्त मांगा जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया।

14. कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

15. समिति ने 12 अप्रैल, 2016 को म०पू० 11.00 बजे अगली बैठक बुलाने का निर्णय लिया।

16. समिति की बैठक म०प० 1.47 बजे स्थगित हुई।

VIII

आठवीं बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक बुधवार, 12 अप्रैल, 2016 को म॰पू॰ 11.00 बजे समिति कक्ष 'क', भूमि तल, संसदीय सौंध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

श्री अनिल माधव दवे — **अध्यक्ष**

सदस्य

2. श्री भूपेन्द्र यादव
3. श्री शान्ताराम नायक
4. श्री भुवनेश्वर कालिता
5. श्री नरेश अग्रवाल
6. श्री के॰ सी॰ त्यागी
7. श्री ए॰ नवनीतकृष्णन
8. श्री देवेंदर गौड टी॰
9. श्री डी॰ राजा
10. श्री राजीव चन्द्रशेखर

सचिवालय

श्री के॰ पी॰ सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

श्रीमती न्याडखन्नेम गुईते, सहायक निदेशक

सरकारी साक्षीगण

क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

1. श्री संजय कोठारी, सचिव
2. श्री टी॰ जैकब, अपर सचिव
3. श्री जिश्नु बरुवा, संयुक्त सचिव
4. श्री राकेश कुमार, निदेशक
5. श्री कमल किशोर, अवर सचिव, और
6. श्री यू॰ जी॰ मूलचंदानी, अवर सचिव

ख. विधि और न्याय मंत्रालय

विधिक कार्य विभाग

1. श्री रामायण यादव, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार, और
2. श्री आर॰ एस॰ वर्मा, उप विधिक सलाहकार

विधायी विभाग

1. डॉ॰ जी॰ नारायण राजू, सचिव
2. सुश्री रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव, और
3. श्री आर॰ श्रीनिवास, एएलसी

2. अध्यक्ष ने सदस्यों और मंत्रालय के अधिकारियों का बैठक में स्वागत किया। तत्पश्चात्, समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि समिति बैठक के दौरान विधेयक के संबंध में खंडश: विचार करेगी। अध्यक्ष ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव से अनुरोध किया कि वे विधेयक के खंडों के संबंध में विभाग के अंतिम दृष्टिकोण प्रस्तुत करें तथा साथ ही यदि कोई संशोधन हों तो उन्हें भी प्रस्तुत करें।

3. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक के संबंध में खंडश: विचार किया। विधेयक के खंड के संबंध में विचार करते हुए समिति ने 2015 तथा 2016 में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया। प्रस्तावित संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ कुछ और खंडों को जोड़ना चाहता है जो सहमति प्रदान किये जाने के पश्चात् विधेयक में खंडों को पुर्नसंख्याकेन प्रभावी करेंगे।

4. सचिव ने बताया कि 'अनुचित लाभ' नामक पद की परिभाषा को भ्रष्टाचार निवारण, अधिनियम, 1988 के अनुच्छेद 2 में प्रस्तावित किया गया था। सदस्यों ने पद के व्यापक अभिप्राय के संबंध में आपत्तियां दर्ज कराई और यह सुझाव दिया कि इस शब्द के स्थान पर परितोषण शब्द पुर्नस्थापित किया जाए। सचिव डीओपीटी ने समिति को सूचित किया कि यह शब्द अंतरराष्ट्रीय संधियों तथा अभिसमयों में प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से यूनाईटेड नेशन्स कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन (यूएनसीएसी) में तथा पद का अर्थ सुपरिभाषित है तथा समझा गया है। समिति ने विभाग को निर्देश दिया कि वह समिति के सुझाव की जांच करें तथा इस मामले में अपनी टिप्पणियां दें।

5. अनुच्छेद 4 के संबंध में संशोधन सरकार द्वारा दो वर्ष की समय-सीमा तय करने के लिये, जिसे चार वर्ष तब बढ़ाया जा सकता है, प्रस्तावित किया गया था। यह न्यायालयों द्वारा भ्रष्टाचारों के मामलों में सुनवाई पूर्ण करने के संबंध में है। कुछ सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि सुनवाई बाहरी सीमा को रामचन्द्रराव बनाम कर्नाटक राज्य (2012 9 एससीसी 430) के संबंध में शीर्ष न्यायालय के दृष्टिकोण में तय नहीं किया जा सकता है। उन्होंने चार वर्ष की तय अवधि के बीत जाने के बाद सुनवाई के भाग्य के संबंध में शक उजागर किया और क्या इससे अपराधी स्वत: ही दोषमुक्त हो जायेगा। डीओपीटी के सचिव ने बताया कि मुकदमा पूर्ण होने तक चलेगा तथा अपराधी को इन आधारों पर दोषमुक्त नहीं किया जायेगा। सुनवाई की तय सीमा में पूर्ण किये जाने को जिम्मेदारी न्यायाधीश पर होगी तथा तथ्य यह होगा कि उन्हें विलंब के कारणों को लिखित में बताना होगा जो सुनवाई पर स्वत: निगरानी का काम करेगा। संयुक्त सचिव, विधि मामलें विभाग ने जोड़ा कि सीआरपीसी के सामान्य प्रावधानों के अनुसार सुनवाई जारी रहेगी तथा अपराधी को दोषमुक्त नहीं किया जाएगा। समिति ने विधि मामले विभाग की इस मामले के संबंध में एक टिप्पण तैयार कर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिए।

6.0 यह चिन्हित किया गया कि अधिनियम के अनुच्छेद 7 में 'अनुचित कार्य' पद में 'सुविचारित अनदेखी' या 'भूल' को स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सकता है। इस संबंध में समिति ने डीओपीटी के लिखित दृष्टिकोण की मांग की।

6.1 मुख्य अधिनियम में प्रस्तावित नए अनुछेच्दों: 7, 8, 9 और 10 के संबंध में चर्चा करते हुए सदस्यों ने गैर-कानूनी परितोषण के स्थान पर 'अनुचित लाभ' शब्द का प्रयोग किए जाने पर अपनी आपत्ति को दोहराया चूंकि कथित प्रावधान का दुरुपयोग पुलिस द्वारा ईमानदार लोक सेवकों के उत्पीड़न हेतु किया जा सकता है। सदस्यों ने विचार प्रकट कि कि 'अनुचित लाभ' शब्द का प्रयोग किए जाने से ईमानदार लोक सेवकों का कार्यकरण सीमित हो जायेगा। समिति ने मुख्य अधिनियम के अनुच्छेद 7 में प्रस्तावित संशोधनों के अन्य पहलूओं से सहमति जताई। सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि विधेयक के अनुच्छेद 7(3) द्वारा ईमानदार लोक सेवकों द्वारा की गई सार्वजनिक गतिविधि के सदृश्यातपूर्ण कार्यनिष्पादन को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। नए अनुच्छेद 7(3) में प्रयोग किए गए दोहरे ऋणात्मक के प्रयोग पर शक जाहिर किया गया कि रिश्वत लेने वाले को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कुछ चर्चा किए जाने के बाद समिति ने इसे स्वीकार करने पर सहमति जाहिर की कि शब्द 'बेईमानी से' को भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 24 में परिभाषित किए अनुसार स्वीकार किया जाए। समिति ने मुख्य अधिनियम के अनुच्छेद 11 को हटाने पर सहमति व्यक्त की।

7. अनुच्छेद 9 के संबंध में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में सदस्यों ने कहा कि प्रस्तावित नए अनुच्छेदों 9 (3) के अंतर्गत परिभाषा खंड में शब्द 'परोपकारी सेवा' को हटा दिया जाना चाहिए चूंकि परोपकारी संगठन गैर-लाभ अंकित करने वाली ईकाईयां हैं।

8. प्रस्तावित अनुच्छेद 13 में सदस्यों ने महसूस किया कि जुर्माने की राशि को स्वयं अधिनियम द्वारा तय किया जाना चाहिए और इसे न्यायालय पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि दुरुपयोग के परितोषण की मात्रा के संबंध में कितना जुर्माना होना आवश्यक है। इससे आगे उन्होंने सुझाव दिया कि लेन-देन में शामिल धनराशि या संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। समिति ने मुख्य अधिनियम के अनुच्छेद 13 (1) (क) के संबंध में प्रस्तावित संशोधन से सहमति व्यक्त की। समिति ने मुख्य अधिनियम के अनुच्छे 13 (1) (ख) के संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन के लिये भी सहमति व्यक्त की।

9. कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया है।

10. समिति ने अगली बैठक 13 अप्रैल, 2016 को म॰पू॰ 11 बजे बैठक करने का निर्णय लिया।

11. समिति की बैठक म॰ प॰ 1.22 बजे स्थगित हुई।

IX

नौवीं बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक बुधवार, 13 अप्रैल, 2016 को म॰पू॰ 11.00 बजे कमरा संख्या '139' प्रथम तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

श्री अनिल माधव दवे — **अध्यक्ष**

राज्य सभा

2. श्री भुपेन्द्र यादव
3. श्री शान्ताराम नायक
4. श्री भुक्नेश्वर कालिता
5. श्री नरेश अग्रवाल
6. श्री के॰ सी॰ त्यागी
7. श्री ए॰ नवनीतकृष्णन
8. श्री देवेंदर गौड टी॰
9. श्री डी॰ राजा

सचिवालय

श्री के॰ पी॰ सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

श्रीमती न्याडख्न्नेम गुईते, सहायक निदेशक

सरकारी साक्षीगण

क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

1. श्री संजय कोठारी, सचिव
2. श्री जिश्नु बरुवा, संयुक्त सचिव
3. श्री राकेश कुमार, निदेशक
4. सुश्री मीरा मोहंती, उप सचिव, और
5. श्री यू॰ जी॰ मूलचंदानी, अवर सचिव

ख. विधि और न्याय मंत्रालय

विधिक कार्य विभाग

1. श्री रामायण यादव, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार, और
2. श्री आर॰ एस॰ वर्मा, उप विधिक सलाहकार

विधायी विभाग

1. सुश्री रीता वशिष्ठ, अपर सचिव, और
2. श्री आर॰ श्रीनिवास, ए॰एल॰सी॰

2. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रवर समिति के सदस्यों और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों का बैठक में स्वागत किया। तत्पश्चात्, समिति ने भ्रष्टाचार निवारण

(संशोधन) विधेयक, 2013 पर खंडशः विचार करना शुरू किया जिसे समिति की 12 अप्रैल, 2016 को हुई पिछली बैठक में शुरू किया गया था।

3. समिति द्वारा यह महसूस किया गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रस्तावित धारा 9(3) के अंतर्गत ''धर्मार्थ सेवाओं'' शब्द के समावेश से किसी धर्मार्थ संगठन के पदाधिकारियों को उनके कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। चूंकि धर्मार्थ संगठन वाणिज्यिक संगठन नहीं है, इसलिए इन संगठनों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत नहीं लाया जाना चाहिए। समिति चर्चा के उपरांत प्रस्तावित धारा 9(3) से ''धर्मार्थ सेवाओं'' शब्द को हटाने के लिए सहमत हो गई। समिति ने प्रस्तावित संशोधन के साथ खंड 9 और 10 को स्वीकार किया।

4. समिति ने पुनः विधेयक के परिभाषा खंड में 'अनुचित लाभ' शब्दों के प्रयोग के मुद्दे पर चर्चा की। यह आशंका व्यक्त की गई कि पुलिस किसी भी नागरिक को पड़ताडित करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का दुरूपयोग कर सकती है क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रयुक्त ''गैर कानूनी परितोषण'' शब्दों की तुलना में शब्दों का आशय और अर्थ बहुत व्यापक प्रतीत होता है। इस संदर्भ में, संबंधित मंत्रालयों से उन शब्दों का उच्चतम न्यायालय का निर्वचन मांगा गया। सचिव, डीओपीटी ने बताया कि ''अनुचित लाभ'' शब्दों का यूएनसीएसी में इस्तेमाल किया गया है जो कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में लोकप्रिय है और सुझाव दिया कि इन शब्दों का संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में इस्तेमाल किया जा सकता है।

5. 'लोक सेवक बनने वाला व्यक्ति' शब्दों के बारे में समिति के पूछे जाने पर सचिव, डीओपीटी ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति जो इस पद पर चयनित हुआ हो किन्तु अभी पदभार ग्रहण करना बाकी है, को लोक सेवक होने वाला व्यक्ति माना जाएगा और उस व्यक्ति को सजा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में लोक सेवक के लिए निर्धारित सजा के समान ही होगी। किन्तु कोई व्यक्ति जो लोक सेवक नहीं बनने जा रहा है उसे अनुचित लाभ की पेशकश अथवा स्वीकार करने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की बजाय आईपीसी के तहत धोखेबाजी के लिए दंडित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि इन शब्दों का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत इस्तेमाल किया गया था। तत्पश्चात्, समिति ने डीओपीटी और विधि और न्याय मंत्रालय को विधेयक में 'अनुचित लाभ' और 'लोक सेवक बनने वाला व्यक्ति' के इस्तेमाल की समीक्षा करने का निदेश दिया। इसके अध्यधीन समिति मूल अधिनियम की धाराओं 7, 8 और 9 के संदर्भ में सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित संशोधनों पर सहमत हो गई।

6. तत्पश्चात्, समिति ने वर्ष 2016 में सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित नई धारा 17क को अंतर्विष्ट करते हुए धारा 17 के संशोधन पर विचार किया। सचिव, डीओपीटी ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी पुलिस अथवा किसी जांच एजेंसी द्वारा जांच अथवा अन्वेषण शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राधिकारी होगा जिसे वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 6 क को निरस्त कर दिए जाने के पश्चात् आवश्यक बना दिया गया था समिति सरकार के प्रस्तावित संशोधन से सहमत थी।

7. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक की सम्पत्ति की कुर्की और कुर्की के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम, 2010 के उपबंधों का अवलंब लिया जा सकता है। किसी भी तरह की कमी की स्थिति में, आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंधों को इस उद्देश्यार्थ इस्तेमाल किया जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में एक नई धारा 18क अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है जिसका समिति द्वारा समर्थन किया गया है।

8. समिति विधेयक के शेष खंडों और सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन से भी सहमत हुई। तत्पश्चात्, समिति ने यह निर्णय लिया कि उसे खंडशः विचार करने के कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता होगी और इस विधेयक पर अपने विचार को अंतिम रूप देने से पहले कम से कम दो और बैठकें करने की इच्छा जाहिर की।

9. कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया है।

10. समिति ने 26 अप्रैल, 2016 को म॰प॰ 5.30 बजे बैठक करने का निर्णय लिया।

11. समिति की बैठक म॰ प॰ 12.35 बजे स्थगित हुई।

X

दसवीं बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक मंगलवार, 26 अप्रैल, 2016 को म॰ प॰ 5.30 बजे कमरा संख्या '63' पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

श्री अनिल माधव दवे — **अध्यक्ष**

राज्य सभा

2. श्री भुपेन्द्र यादव
3. श्री शान्ताराम नायक
4. श्री भुवनेश्वर कालिता
5. श्री ए॰ नवनीतकृष्णन
6. श्री देवेंदर गौड टी॰
7. श्री प्रफुल्ल पटेल
8. श्री संजय राउत
9. श्री डी॰ राजा
10. श्री राजीव चन्द्रशेखर

सचिवालय

श्री के॰ पी॰ सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेश

श्रीमती न्याडख्न्नेम गुईते, सहायक निदेशक

सरकारी साक्षीगण

क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

1. श्री संजय कोठारी, सचिव,
2. श्री जिश्नु बरुवा, संयुक्त सचिव
3. श्री राकेश कुमार, निदेशक, और
4. श्री यू॰जी॰ मूलचंदानी, अवर सचिव

ख. विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

1. सुश्री रीता वशिष्ठ, अपर सचिव, और
2. श्री आर॰ श्रीनिवास, ए॰एल॰सी॰

2. प्रारम्भ में अध्यक्ष ने प्रवर समिति के सदस्यों और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों का बैठक में स्वागत किया। तत्पश्चात्, समिति ने 12 और 13 अप्रैल, 2016 को विधेयक के खण्डश: विचार के दौरान समिति के विचार-विमर्श के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन विधेयक को विचार के लिए लिया।

3. अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए खण्ड में 'सरकारी सेवक होने की उम्मीद' शब्द के प्रयोग के मुद्दे पर समिति ने महसूस किया कि यह परिभाषा बहुत व्यापक है और इससे सरकारी सेवकों का

अनावश्यक उत्पीड़न होगा। सदस्यों ने महसूस किया कि अधिनियम में जहां कहीं भी ये शब्द आए हैं उनका विलोप किया जाए। सदस्यों की राय थी कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर पहुंच कर ही लोक सेवक बनता है न कि उससे पहले।

4. सचिव डीओपीटी ने कहा कि धारा 9(3) में प्रस्तावित संशोधनों के परिभाषा खण्ड में 'धर्मार्थ सेवाओं' शब्द को समिति की सिफारिश पर छोड़ दिया गया। सदस्यों द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि धारा 9 के प्रस्तावित संशोधनों में 'वाणिज्यिक संगठन' की जगह 'कोई भी संगठन' कर दिया जाना चाहिए ताकि एनजीओ द्वारा दी जाने वाली रिश्वत को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा सके। कुछ सदस्यों ने किसी वाणिज्यिक संगठन के प्रबंधन की तरफ से अपराध मान लेने पर अपनी आपत्ति व्यक्त की। इसके अलावा सदस्यों ने महसूस किया कि चूंकि इस अधिनियम के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है इसलिए इस प्रावधान का उपयोग वाणिज्यिक संगठनों और उनके प्रबंधनों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है और इससे विदेशी निवेशक आना बंद हो जाएंगे। समिति ने महसूस किया कि रिश्वत देने वाले लोगों का अपराध असंज्ञेय हो सकता है और रिश्वत लेने वालों के लिए यह संज्ञेय अपराध बना रह सकता है। रिश्वत देने वाला तभी दोषी होगा अब उसका दोश किसी भी संदेह से परे साबित हो जाता है। कुछ सदस्यों का विचार था कि सावचेतक संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 की समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए क्योंकि दोनों विधानों में काफी समानताएं हैं।

5. समिति ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को, सदस्यों द्वारा बैठक के दौरान दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए समिति के विचारार्थ संशोधित विधेयक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(तत्पश्चात् साक्षीगण चले गए)

6. तत्पश्चात् समिति ने प्रतिवेदन को पेश करने के लिए समय विस्तार के मुद्दे पर विचार किया। सदस्यों के विचार लेने के बाद अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक समय विस्तार मांगने का निर्णय लिया और इसके लिए अध्यक्ष को और उनकी अनुपस्थिति में श्री भुपेन्द्र यादव को इस आशय का प्रस्ताव सभा से लाने के लिए अधिकृति किया।

7. कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया है।

8. समिति की बैठक म॰प॰ 7.01 बजे स्थगित हुई।

XI

ग्यारहवीं बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक मंगलवार, 07 जून, 2016 को म॰प॰ 3.00 बजे समिति कक्ष 'ग' भूमि तल, संसधीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

श्री अनिल माधव दवे — **अध्यक्ष**

राज्य सभा

2. डॉ॰ चंदन मित्रा
3. श्री भुपेन्द्र यादव
4. श्री शान्ताराम नायक
5. श्री भुवनेश्वर कालिता
6. श्री के॰सी॰ त्यागी
7. श्री ए॰ नवनीतकृष्णन
8. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
9. श्री प्रफुल्ल पटेल
10. श्री संजय राउत
11. श्री डी॰ राजा
12. श्री राजीव चन्द्रशेखर
13. श्री अविनाश पांडे
14. श्री नरेश गुजराल

सचिवालय

श्री के॰पी॰ सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

गैर-सरकारी साक्षीगण

श्री अशोक कपूर

डॉ॰ एल॰ एस॰ चौधरी

सुश्री गुनिंदर गिल

सरकारी साक्षीगण

क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

श्री राकेश कुमार, निदेशक

ख. विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

1. श्री उदय कुमार, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री दीवाकर सिंह, अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता

2. प्रारम्भ में अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों का बैठक में स्वागत किया। तत्पश्चात् समिति ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समिति के अवलोकनार्थ यथा प्रस्तुत संशोधित विधेयक के उपबंधों पर आंतरिक चर्चा की। कुछ सदस्यों ने नई प्रस्तावित धारा 10 के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की, जो कि किसी वाणिज्यिक संस्था के प्रबंधन को आपराधिक रूप से दोषी बनाता है यदि इसके कर्मचारी अथवा एजेंट प्रबंधन की सहमति एवं सांठगांठ से किसी लोक सेवक को रिश्वत देते अथवा रिश्वत देने का प्रयास करते हैं। यह महसूस किया गया कि प्रबंधन को इसके कर्मचारियों के कृत्यों के लिए इसे संज्ञय अपराध बनाए जाने से उन्हें अनावश्यक पड़ताडना के अध्यधीन प्रबंधन को तत्काल रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह भी महसूस किया गया कि उस मामले में सबूत उस संगठन के प्रबंधक पर हस्तांतरित हो जाएगा जिसे गिरफ्तार किया गया है। अध्यक्ष ने सदस्यों को बताया कि विधि और न्याय मंत्रालय को अपनी राय देने के लिए कहा गया है।

(तत्पश्चात् साक्षीगण चले गए)

3. अध्यक्ष गैर-सरकारी साक्ष्यों का बैठक में स्वागत किया और उनसे इस विधेयक पर संक्षेप में अपने विचार रखने का अनुरोध किया।

4. साक्षी ने समिति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के इतिहास, उत्पत्ति और आवश्यकता के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने महसूस किया कि विधेयक में प्रयुक्त 'अनुचित ढंग से' और 'अन्य लाभ' शब्द अस्पष्ट हैं और इसके व्यापक अभिप्राय हैं। उन्हें भ्रष्ट अधिकरियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि विधेयक संबंधी उपबंध फील्ड स्तर के अधिकारियों के कार्यकरण को प्रभावित करेगा क्योंकि उन्हें किसी सार्वजनिक हितकार्यों के लिए दान को प्राप्त करने के लिए निजी संस्थाओं के साथ बातचीत करना अपेक्षित होता है। उन्होंने यह भी बताया कि विधेयक में यथा प्रयुक्त 'संगत उम्मीदें' भी अस्पष्ट है। उन्होंने महसूस किया कि प्रस्तावित धारा 10 कठोर प्रतीत होता है और यह कि किसी कंपनी के निदेशक को कंपनी के किसी कर्मचारी अथवा एजेंट के अविवेकपूर्ण कार्य के लिए आपराधिक रूप से दोषी ठहराना सही नहीं होगा। उन्होंने यह बताया कि संपत्ति की कुर्की और जब्ती से संबंधित अध्याय IV क को लोप किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह राय दी कि खंड जो किसी भी जांच अधिकारी को हलफनामा के आधार पर किसी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है, का किसी अधिकारी द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह महसूस किया कि हलफनामा संपत्ति को जब्त करने हेतु किसी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। खंड 18ठ, के तहत उपबंधित मूल्यांकन लागत के निर्धारण के संबंध में साक्षी ने यह भी बताया कि यह विधेयक लागत के गणन विधि की व्यवस्था नहीं करता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह संशोधन आरोप पत्र दाखिल किए जाने के पहले केन्द्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए है, जांच एजेंसी द्वारा सीवीसी से परामर्श लिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि किसी लोक सेवक द्वारा किए गए किसी भ्रष्ट कृत्यों की जांच शुरू करने के लिए सरकार की अनुमति लिए जाने संबंधित उपबंध अनुचित है और न्यायिक संवीक्षा पर खरे नहीं हो सकता है।

5. दूसरे साक्षी ने विधेयक की प्रस्तावित धारा 10 के संबंध में उठाए गए बिन्दुओं को दोहराया। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधि दायित्व जो कि केवल नागरिक कानून तक सीमित है, को धारा द्वारा आपराधिक कानून में प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने राय दी कि इससे देश में जांच माहौल प्रभावित होंगे। नए अध्याय IVक के अंतर्विष्ट किए जाने के संबंध में उन्होंने बताया कि संपत्ति को जब्त किए जाने की विधि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उपबंध किसी जांच अधिकारी को किसी हलफनामा के आधार पर संपत्ति की जब्ती की अनुमति प्रदान करता है। उन्होंने महसूस किया कि यह एक कठोर उपबंध है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि धन शोधन निवारण विधेयक, 2002 के उपबंध जो कि संपत्ति की जब्ती हेतु अत्यधिक अनुकूल है, को इस विधेयक में शामिल किया जा सकता है।

6. अध्यक्ष ने साक्षियों को अपने द्वारा सुझाए गए संशोधनों को एक सप्ताह के भीतर वैकल्पिक सूत्रण हेतु जमा करने का निदेश दिया है।

(तत्पश्चात् साक्षीगण चले गए)

7. समिति के कुछ सदस्यों ने डीओपीटी से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या अधिनियम में यथाप्रस्तावित लोक सेवकों के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों को भी लाया गया है। अध्यक्ष ने उन्हें लिखित उत्तर प्रदान करने का निदेश दिया।

8. कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया है।

9. समिति की बैठक म॰प॰ 4.21 बजे स्थगित हुई।

XII

बारहवीं बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 21 जुलाई, 2016 को म॰प॰ 3.00 बजे कमरा संख्या 63, पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

श्री भुपेन्द्र यादव — **अध्यक्ष**

राज्य सभा

2. श्री शान्ताराम नायक
3. श्री भुवनेश्वर कालिता
4. श्री नरेश अग्रवाल
5. श्री अनुभव मोहंती
6. श्री देवेन्दर गौड टी
7. श्री राजीव चन्द्रशेखर
8. श्री तिरूची शिवा
9. श्री सी॰ पी॰ नारायणन
10. श्री दिलीपभाई पंडया
11. श्री प्रमोद तिवारी
12. श्री ए॰ नवनीत कृष्णन
13. श्री हरिवंश

सचिवालय

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

श्रीमती न्याङखन्नेम गुईते, सहायक निदेशक

सरकारी साक्षीगण

डॉ॰ सुब्रमण्यम स्वामी, संसद सदस्य, राज्य सभा

अधिकारी साक्षीगण

क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

1. श्री जिश्नू बरुआ, संयुक्त सचिव, और
2. श्री राकेश कुमार, निदेशक

ख. विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

1. डॉ॰ रीता वशिष्ठ, अपर सचिव;
2. श्री उदय कुमार, संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार; और
3. श्री आर॰ श्रीनिवास, अपर विधायी सलाहकार

विधि कार्य विभाग

1. श्री एस॰ आर॰ मिश्रा, संयुक्त सचिव, और
2. श्री आर॰ एस॰ वर्मा, उप विधि सलाहकार

2. सबसे पहले अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों, गैर सरकारी साक्षी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के अधिकारियों का स्वागत किया। अध्यक्ष ने विधेयक के प्रावधानों पर साक्षियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

3. गैर सरकारी साक्षी ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1)(घ)(iii) भ्रष्टाचार से संबंधित ऐसे नए किस्म के अपराधों को शामिल करता है जिस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत विचार नही किया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा संशोधन मौजूदा धारा से धारा 13 (1)(घ)(iii) को हटाने की हद तक इसमें बदलाव का प्रस्ताव करता है, जो ऐसी स्थिति में जहां नौकरशाह नेताओं के साथ सांठ-गांठ करके सार्वजनिक हित पर ध्यान दिए बिना किसी निजि पार्टी को आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समुचित नहीं हो सकता। उन्होंने रुनू घोष और अन्य बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की तीन न्यायधीशों की पीठ के निर्णय का उल्लेख किया जिसमें न्यायालय ने 2011 में उक्त धारा को बनाए रखा और अदालत के इस फैसले को उच्चतम न्यायलय द्वारा भी अब तक खारिज नहीं किया गया। प्रस्तावित धारा 17क को जोड़े जाने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह धारा संविधान के अधिकारातीत और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे खारिज किया जा सकता है।

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए)

4. समिति ने विधेयक पर रिपार्ट प्रस्तुत करने के लिए सभा से अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक समय विस्तार मांगने का निर्णय लिया। समिति ने नव-नियुक्त सदस्यों के लाभ के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को विधेयक की प्रमुख विशेषताओं पर अगस्त, 2016 के पहले सप्ताह में प्रस्तुति देने का निर्देश भी दिया।

5. बैठक की कार्यवाही का शब्दश: अभिलेख रखा गया।

6. समिति की बैठक म॰प॰ 3.35 बजे स्थगित हुई।

XIII

तेरहवीं बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक मंगलवार, 2 अगस्त, 2016 को म॰प॰ 3.00 बजे कमरा संख्या 63, पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

श्री भुपेन्द्र यादव — **अध्यक्ष**

राज्य सभा

2. श्री शान्ताराम नायक
3. श्री भुवनेश्वर कालिता
4. श्री सुखेन्दु शेखर राय
5. श्री अनुभव मोहांती
6. श्री डी॰ राजा
7. श्री राजीव चन्द्रशेखर
8. श्री सी॰ पी॰ नारायण
9. श्री नरेश गुजराल
10. श्री दिलीपभाई पंडया
11. श्री शमशेर सिंह मन्हास
12. श्री प्रफुल्ल पटेल
13. श्री हरिवंश
14. श्री स्वपन दास गुप्ता

सचिवालय

श्री के॰पी॰सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

सरकारी साक्षीगण

क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

3. श्री भानुप्रताप शर्मा, सचिव
4. श्री जिश्नू बरुआ, संयुक्त सचिव, और
5. श्री राकेश कुमार, निदेशक

ख. विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

4. डॉ॰ रीता वशिष्ठ, अपर सचिव; और
2. श्री आर॰ श्रीनिवास, अपर विधायी सलाहकार

विधि मामले विभाग

5. श्री एस॰आर॰ मिश्रा, संयुक्त सचिव, और
6. श्री आर॰ एस॰ वर्मा, उप विधि सलाहकार

2. प्रारम्भ में अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों और साथ ही कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विधायी विभाग और विधि मामले विभाग के अधिकारियों का स्वागत किया। अध्यक्ष ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से अपना प्रस्तुतिकरण देने का अनुरोध किया।

3. संयुक्त सचिव डीओपीटी ने नव नियुक्त सदस्यों के लाभार्थ विधेयक की निम्नलिखित विशिष्ट विशिष्टताओं को दर्शाते हुए प्रस्तुतिकरण दिया:—

- 'अनुचित लाभ की परिभाषा''–अनुच्छेद 2 (घ) सरकारी संशोधनों के माध्यम से निवेशित किया गया।
- भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में शीघ्र मुकदमा चलाए जाने के लिए समय सीमा तय किया जाना–अनुच्छेद 4(5) सरकारी संशोधनों के माध्यम से निवेशन किया गया।
- किसी लोक सेवक द्वारा रिश्वत स्वीकार किए जाने संबंधी सभी प्रावधानों की पुर्नसंरचना को एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाना–अनुच्छेद 7 सरकारी संशोधनों द्वारा बदला गया।
- रिश्वत देने के कृत्य का अपराधीकरण–अनुच्छेद 8 सरकारी संशोधनों द्वारा बदला गया।
- लोक सेवक को रिश्वत देने के लिए वाणिज्यिक संगठन के लिए आपराधिक देयता–अनुच्छेद 9 (नए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया) सरकारी संशोधनों द्वारा बदला गया।
- सहमति या मिलीभगत के मामले में वाणिज्यिक ईकाई के वरिष्ठ प्रबंधन की देयता–अनुच्छेद 10 सरकारी संशोधनों द्वारा बदला गया।
- सुविचारित संपन्नता और असंगत पूंजी तथा इस प्रकार की गैर कानूनी संपन्नता के संबंध में प्रमाण–अनुच्छेद 13 विधेयक संशोधनों द्वारा बदला गया।
- किसी लोक सेवक के विरुद्ध जॉच प्रारंभ करने के लिए स्वीकृति लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा प्रदान किया जाना–अनुच्छेद 17क का सरकारी संशोधन द्वारा निवेशन किया गया।
- संपत्ति की कुर्की या जब्ती–विधेयक द्वारा और उत्तरगामी सरकारी संशोधनों द्वारा नए अनुच्छेद 18क का निवेशन किया जाना।
- सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को समुचित सरकार के सक्षम प्राधिकारी कि पूर्व स्वीकृति के संरक्षण को विस्तारित करना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के लिए समय सीमा का प्रावधान किया जाना–अनुच्छेद 19 को विधेयक द्वारा संशोधित किया जाना।

4. समिति के अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों को सूचित किया कि समिति ने 85 साक्षियों के विचार सुने हैं और इसलिए अधिक साक्ष्यों को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि अब समिति इन-हाउस चर्चाएं करेगी तथा सदस्यों से अनुरोध किया कि वे विधेयक के संबंध में कोई सुझाव/संशोधन सचिवालय में 19 अगस्त, 2016 दोपहर 12 बजे तक प्रस्तुत कर दें।

(तत्पश्चात् साक्षीगण चले गए)

5. कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया है।

6. समिति की बैठक म॰प॰ 3.41 बजे स्थगित हुई।

XIV

चौदहवीं बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक मंगलवार, 8 अगस्त, 2016 को म॰प॰ 4.00 बजे कमरा संख्या 63, पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

श्री भुपेन्द्र यादव — **अध्यक्ष**

राज्य सभा

2. श्री शान्ताराम नायक
3. श्री भुवनेश्वर कालिता
4. श्री सुखेन्दु शेखर राय
5. श्री देवेन्द्र गौड़ टी॰
6. मीर मोहम्मद फैयाज
7. श्री राजीव चन्द्रशेखर
8. श्री सी॰ पी॰ नारायण
9. श्री नरेश गुजराल
10. श्री दिलीपभाई पंडया
11. श्री शमशेर सिंह मन्हास
12. श्री प्रमोद तिवारी
13. श्री ए॰ नवनीत कृष्णन
14. श्री प्रफुल्ल पटेल
15. श्री हरिवंश
16. श्री संजय राउत
17. श्री स्वपन दास गुप्ता

सचिवालय

श्री के॰पी॰ सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

श्रीमती न्याडखन्नेम गुईते, सहायक निदेशक

सरकारी साक्षीगण

क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

1. श्री जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव, और
2. श्री रकेश कुमार, निदेशक

ख. विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

1. डा॰ रीता वशिष्ठ, अपर सचिव; और
2. श्री आर॰ श्रीनिवास, अपर विधायी सलाहकार

विधि कार्य विभाग

1. श्री एस॰आर॰ मिश्रा, संयुक्त सचिव, और

2. श्री आर॰ एस॰ वर्मा, उप विधि सलाहकार

2. प्रारम्भ में अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के अधिकारियों का स्वागत किया। अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि समिति बैठक में विधेयक के संबंध में खंडश: चर्चा करेगी।

3. समिति ने खंड-2 को विचार के लिए लिया और विधेयक में निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित करने का निर्णय किया:—

''भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(घ) ''असम्यक् लाभ'' से ऐसा कोई पारितोषण अभिप्रेत है, चाहे जैसा भी हो, जो विधिक पारिश्रमिक से भिन्न हो।'

स्पष्टीकरण —इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''पारितोषण'' शब्द धनीय पारितोषणों या धन के रूप में प्राक्कलनीय पारितोषणों तक सीमित नहीं है;

(ख) ''विविध पारिश्रमिक'' पद किसी लोक सेवक को संदत्त पारिश्रमिक तक निर्बन्धित नहीं है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसे सभी पारिश्रमिक भी हैं, जिसका सरकार या संगठन द्वारा, जिसकी वह सेवा करता है, प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है।''

4. समिति ने खंड-3 को विचार के लिए लिया जो धारा 4 में नई उपधारा (4) की मांग करती है और विधेयक में निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित करने का निर्णय किया:—

''मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(5) विशेष न्यायधीश, मामले के फाइल किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विचारण का पूरा होना सुनिश्चित करेगा:

परंतु वाद का विचारण दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा न हो सकने की दशा में, विशेष न्यायाधीश उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा और विचारण छह मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, प्रत्येक बार छह मास तक बढ़ाया जा सकेगा, पूरा करेगा, किंतु विचारण पूरा करने की अवधि, यथासाध्य चार वर्ष से अधिक की नहीं होगी।''

5. समिति ने खंड 4 को विचार के लिए लिया जो धारा 7, 8, 9 और 10 को प्रतिस्थापित करने की मांग करती है। कुछ सदस्यों ने खंड में ''प्राप्त करने के लिए सहमत होगा'' अभिव्यक्ति के प्रयोग से संबंधित प्रश्न किया और महसूस किया कि इस खंड का दुरुपयोग ईमानदार सरकारी सेवक के उत्पीड़न के लिए किया जा सकता है। इसी तरह कुछ सदस्यों ने महसूस किया कि प्रस्ताविक धारा 8 में 'देने का वचन देता है' शब्दों के प्रयोग से सामान्य जनता का अनुचित उत्पीड़न हो सकता है। कुछ सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि किसी वाणिज्यिक संगठन के प्रबंधन को आपराधिक अभियोजन का भागी बनाए जाने से देश में व्यावसायिक महौल खराब हो सकता है और देश में व्यवसाय करने में सुगमता को प्रभावित कर सकता है। तथापि समिति ने निर्णय किया कि विधेयक में निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाए:—

''7. ऐसा कोई लोक सेवक जो, —

(क) किसी व्यक्ति से इस आशय से कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करेगा या प्राप्त करने के लिए सहमत होगा या उसे प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने के प्रयत्न करता है कि इसके परिणामस्वरूप किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा निष्पादन करेगा; या

(ख) कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से (चाहे स्वयं के द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा) कार्यपालन करने के लिए किसी इनाम के रूप में कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या प्राप्त करने के लिए सहमत होता है या प्रतिगृहीत करता या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या

(ग) किसी व्यक्ति से कोई असम्यक् लाभ प्राप्त करने के लिए सहमत होने या प्रतिगृहीत करने या प्रत्याशा में या उसके परिणामस्वरूप किसी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से या बेईमानी से निष्पादन करने के लिए किसी अन्य लोक सेवक को अनुचित रूप से पालन करने के लिए उत्प्रेरित करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी असम्यक् लाभ को अभिप्राप्त करने, प्राप्त करने के लिए सहमत होने, प्रतिगृहीत करने या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करने से ही लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य का पालन स्वयं अपराध का गठन करेगा, चाहे लोक सेवक द्वारा उसका कार्यापालन अनुचित रहा हो या न रहा हो।

दृष्टांत — एक लोक सेवक 'एस' एक व्यक्ति 'पी' से उसके नेमी राशन कार्ड आवेदन को समय से प्रक्रिया में लाने के लिए पांच हजार रुपए की रकम उसे देने को कहता है। 'एस' इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण 2 — इस धारा के प्रयोजन के लिए:—

(i) ''अभिप्राप्त करता है'' या ''अभिप्राप्त करने के लिए सहमत होता है'' या ''प्रतिगृहीत करता है'' या ''अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है'' पदों में ऐसे मामले सम्मिलित होंगे, जहां ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक सेवक होते हुए, स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके या किन्हीं अन्य भ्रष्ट या अवैध साधनों के द्वारा कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या ''अभिप्राप्त करने के लिए सहमत होता है'' या ''प्रतिगृहीत करता है'' या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

(ii) इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होते हुए वह लाभ सीधे या अन्य पक्ष के माध्यम से अभिप्राप्त करता है या प्राप्त करने के लिए सहमत होता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है (अथवा प्राप्त करने या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है);''

''8. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक् लाभ देता है या देने का वचन देता है और ऐसा असम्यक् लाभ —

(i) किसी लोक सेवक को कोई लोक कर्तव्य अनुचित रूप से निष्पादित करने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए आशयित है; या

(ii) ऐसे लोक सेवक को ऐसे लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से करने हेतु इनाम देने के लिए आशयित है;

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा:

परंतु इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां कोई व्यक्ति ऐसा असम्यक् लाभ देने के लिए विवश:

परंतु यह और कि इस प्रकार विवश व्यक्ति ऐसा असम्यक् लाभ देने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर इस मामले की रिपोर्ट विधि प्रवर्तन प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को देगा:

परंतु यह भी कि जब इस धारा के अधीन अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है वहां ऐसा वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा।

दृष्टांत — कोई व्यक्ति 'पी' एक लोक सेवक 'एम' को यह सुनिश्चित करने के लिए दस हजार की रकम देता है कि सभी बोली लगाने वालों में से, उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए। 'पी' इस उप-धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण — इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि वह व्यक्ति, जिसे असम्यक् लाभ दिया गया है या देने का वचन दिया गया है वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने संबंधित लोक कर्तव्य करना है या किया है और इस बात का भी कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा असम्यक् लाभ उस व्यक्ति को सीधे या किसी अन्य पक्षकार के माध्यम से पहुंचाया जाता है या पहुंचाने का वचन दिया जाता है।

(2) उपधारा (1) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, यदि उस व्यक्ति ने किसी विधि का प्रवर्तन करने वाले प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को सूचना देने के बाद, विधि का प्रवर्तन करने वाले ऐसे प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को पश्चात्वर्ती के विरुद्ध अभिकथित अपराध में उसके अन्वेषण में सहायता करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक् लोभ देता है या देने का वचन देता है।''

''9. (1) यदि किसी वाणिज्यिक संगठन से सहयोजित कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को —

(क) ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारबार अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से; या

(ख) ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारबार के संचालन में कोई लाभ अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से,

कोई असम्यक् लाभ देता है या देने का वचन देता है तो वह वाणिज्यिक संगठन अपराध का दोषी होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा परंतु वाणिज्यिक संगठन के लिए यह साबित करने का एक बचाव होगा कि उससे सहयोजित व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से निवारित करने के लिए उसने परिकल्पित पर्याप्त प्रक्रियाएं अपना रखी थीं।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी लोक सेवक को कोई असम्यक् लाभ देता है या देने का वचन देता है केवल वह व्यक्ति ही धारा 8 के अधीन किसी अपराध का दोषी होता है या दोषी होगा, चाहे उस व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है अथवा नहीं।

(3) धारा 8 और इस धारा के प्रयोजनों के लिये —

क. 'वाणिज्यिक संगठन' से निम्नलिखित अभिप्रेत है, —

(i) ऐसा कोई निकाय, जो भारत में निगमित किया जाता है और भारत में या भारत के बाहर कोई कारबार करता है;

(ii) ऐसा कोई अन्य निकाय, जो भारत के बाहर निगमित किया जाता है तथा जो भारत के किसी भी भाग में कोई कारबार या कारबार का कोई भाग करता है;

(iii) ऐसी भागीदारी फर्म या कोई व्यक्ति-संगम जो भारत में बनाया गया है और भारत में या भारत के बाहर कोई कारबार करता है; या

(iv) ऐसी कोई अन्य भागीदारी फर्म या व्यक्ति-संगम, जो भारत के बाहर बनाया जाता है और जो भारत के किसी भाग में कोई कारबार या कारबार का कोई भाग करता है (ख) ''कारबार'' के अंतर्गत कोई व्यापार या वृत्ति या सेवा, उपलब्ध कराना है;

(ग) किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक संगठन से इस बात के होते हुए भी, उस दशा में सहयोजित कहा जाएगा यदि, ऐसा कोई असम्यक् लाभ देने के लिए या दिए जाने का वचन देने पर, जिससे उपधारा (1) के अधीन अपराध गठित होता है, ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति है जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवा प्रदान करता है।

स्पष्टीकरण 1— वह हैसियत, जिसमें व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति ऐसे संगठन का कर्मचारी या अभिकर्ता या समनुषंगी है, विचार का विषय नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 2— इस बात की अवधारण कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है या नहीं जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, सभी सुसंगत परिस्थितियों के प्रति निर्देश करके किया जाएगा न कि केवल उस व्यक्ति और वाणिज्यिक संगठन के बीच के संबंध की प्रकृति के प्रति निर्देश करके।

स्पष्टीकरण 3— यदि वह व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन का कोई कर्मचारी है तो जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8 या इस धारा के अधीन का अपराध संज्ञेय होगा।

(5) केन्द्र सरकार, संबद्ध पणधारियों के परामर्श से और ऐसी यथाचित प्रक्रियाओं के उपबंधों के, जो वाणिज्यिक संगठनों द्वारा उनसे सहयुक्त व्यक्तियों को ऐसे किसी व्यक्ति को, जो लोक सेवक है, रिश्वत देने से रोकने के लिए विहित की जा सकती है, पालन में वृद्धि करने की दृष्टि से, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करेगी जो वह आवश्यक समझे।''

10. जहां धारा 9 के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है, और ऐसे अपराध का वाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया जाना साबित होता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी होगा और वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगा तथा कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

5. समिति ने खण्ड 5 पर विचार किया और मूल अधिनियम, 1988 से धारा 11 के लोप किए जाने का समर्थन किया।

6. समिति ने खण्ड 6 पर विचार किया जो कि मूल अधिनियम की धारा 12 के संशोधन और दुष्प्रेरकों हेतु दंड का उपबंध करने के लिए है और यह निर्णय लिया कि विधेयक में निम्नलिखित खण्ड को अन्त:स्थापित किए जाए:—

''12. जो कोई, धारा 15 के अधीन किसी अपराध से भिन्न, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो अथवा नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।''

7. समिति ने खण्ड 7 पर विचार किया जो कि मूल अधिनियम की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है और यह निर्णय लिया कि विधेयक में निम्नलिखित खण्ड को अन्त:स्थापित किया जाए:—

''मूल अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—''

''(1) कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा,—

(क) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपटपूर्वक दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है; या

(ख) यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने आशय को समृद्ध करता है।

स्पष्टीकरण 1—किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि उसने अवैध रूप से अपने को साशय समृद्ध बनाया है, यदि वह या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अपनी पदावधि के दौरान किसी समय अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अननुपातिक धनीय संसाधन या संपत्ति उसके कब्जे में है या रही है, जिसके लिए लोक सेवक समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सकता है।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 में, ''आय के ज्ञात स्रोत से किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय अभिप्रेत है।''

8. समिति ने खण्ड 8 पर विचार किया जो परिष्कृत न्यूनतम पांच वर्षों का दण्ड का उपबंध करने हेतु मूल अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लिए है और यह निर्णय लिया कि विधेयक में निम्नलिखित खण्ड को अन्त:स्थापित किया जाए:—

''मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी अर्थात्:—''

''14. जो कोई, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, उसके पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि

पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।''

9. समिति ने खण्ड 9 पर विचार किया जो मूल अधिनियम की धारा 15 के संशोधन के लिए है और संशोधन का समर्थन किया क्योंकि वे आनुषंगिक प्रकृति के हैं।

10. समिति ने महसूस किया कि विधेयक में संशोधन को ध्यान में रखते हुए मूल अधिनियम की धारा 16 में आनुषंगिक संशोधन की आवश्यकता है और निर्णय लिया कि निम्नलिखित खण्ड को विधेयक में खण्ड 10 के रूप में अंत:स्थापित किया जाए:—

''मूल अधिनियम की धारा 16 में—

(क) ''धारा 13 की उप-धारा (2) अथवा धारा 14'' शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर ''धारा 7 अथवा धारा 8 अथवा धारा 9 अथवा धारा 10 अथवा धारा 13 की उप-धारा (2) अथवा धारा 14 अथवा धारा 15'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) ''खण्ड (ङ)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर ''खण्ड (ख)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।''

11. समिति ने खण्ड 11 पर विचार किया जो कि इस मूल अधिनियम की धारा 17 के संशोधन करने के लिए है और संशोधन का समर्थन किया क्योंकि वे आनुषंगिक प्रकृति के थे।

12. समिति ने खण्ड 12 पर विचार किया जो इस अधिनियम के अधीन लोक सेवक द्वारा अभिकथित अपराध के विरुद्ध जांच शुरू करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मूल अधिनियम में नई धारा 17क अंत:स्थापित करने के लिए है और निर्णय लिया कि विधेयक में निम्नलिखित खण्ड को अंतस्थापित किया जाए:—

मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''17क (1) कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के पूर्वानुमोदन के बिना, किसी ऐसे अपराध में कोई जांच या अन्वेषण नहीं करेगा, जिसे इस अधिनियम के अधीन लोक सेवक द्वारा अभिकथित रूप से कारित किया गया है, जहां ऐसा अभिकथित अपराध लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय से संबंधित है—

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, संघ के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के:

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, किसी राज्य के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के:

परंतु ऐसा कोई अनुमोदन किसी व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए असम्यक् लाभ प्रतिगृहित करने या प्रतिगृहित करने का प्रयत्न करने के आरोप पर घटनास्थल पर ही गिरफ्तार करने संबंधी मामले में आवश्यक नहीं होगा:

परंतु यह और कि संबंद्ध प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपने विनिश्चय की सूचना तीन माह की अवधि के भीतर देगा, जिसे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस प्राधिकारी द्वारा एक मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाा सकेगा।''

13. समिति ने खण्ड 13 पर विचार किया जो भ्रष्टाचार से हुई आय से खरीदी गई संपत्ति की कुर्की और समपहरण के लिए मूल अधिनियम में एक नये अध्याय IVक को अंत:स्थापित करता है और निर्णय लिया कि विधेयक में निम्नलिखित खण्ड को समाविष्ट किया जाए:—

मूल अधिनियम के अध्याय 4 के बाद निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 4क

संपत्ति की कुर्की और समपहरण

18क. (1) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दांडिक विधिक संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन कुर्की, कुर्क की गई संपत्ति के प्रशासन और कुर्की के आदेश के निष्पादन या धन के अधिहरण या आपराधिक उपायों द्वारा उपाप्त की गई संपत्ति को लागू होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंध इस उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे 'जिला न्यायाधीश' के प्रति निर्देश का 'विशेष न्यायाधीश' के प्रति निर्देश के रूप में अर्थान्वयन किया जाएगा।'

14. समिति ने खंड 14 पर विचार किया जो मूल अधिनियम की धारा 19 में संशोधनों का प्रस्ताव करता है और समिति ने सरकार द्वारा प्रस्तावित आधिकारिक संशोधनों में दिए गए खंड को अनुमोदित किया।

15. समिति ने खंड 15 पर विचार किया जो मूल अधिनियम की धारा 20 में संशोधन करता है और यह निर्णय लिया कि विधेयक में निम्नलिखित खण्ड को समाविष्ट किया जाए:

''मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''20 जहां धारा 7 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कोई असम्यक लाभ अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहित या अभिप्राप्त किया है, प्राप्त करने के लिए सहमति दी है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थिति, उस असम्यक लाभ को इस आशय से प्रतिगृहित या अभिप्राप्त किया है या प्रतिगृहित करने के लिए सहमत हुआ है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है कि इसके परिणामस्वरूप कोई लोक कर्तव्य या तो स्वयं उसके द्वारा किसी अन्य लोक सेवक द्वारा अनुचित रूप से किया जाएगा।''

16. समिति ने खंड 16 पर विचार किया जो मूल अधिनियम की धारा 23 में संशोधन करता है और समिति ने संशोधनों को अनुमोदित किया क्योंकि वे आनुषोगिक प्रकृति के थे।

17. समिति ने खंड 17 पर विचार किया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से धारा 24 के लोप को अनुमोदित किया।

18. समिति ने खंड 18 पर विचार किया और मूल अधिनियम में नई धारा 32 के अंत:स्थापन को अनुमोदित किया जो केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

19. समिति ने खंड 19 पर विचार किया और संपत्ति की कुर्की और समपहरण के लिए नये अध्याय IVक के अंत:स्थापन के दृष्टिगत धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची में संशोधनों को अनुमोदित किया।

20. समिति ने विधेयक के अधिनियम सूत्र, नाम और खंड 1 पर विचार किया और उन्हें उन परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया जो आनुषांगिक स्वरूप के थे जैसे कि '2013' और चौसठ' को क्रमश: '2016' और 'सड़सठ' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए।)

21. बैठक की कार्यवाही का शब्दश: अभिलेख रखा गया।

22. समिति की बैठक म॰प॰ 5.45 बजे स्थगित हुई।

XV

पन्द्रहवीं बैठक

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 11 अगस्त, 2016 को म॰पू॰ 10.00 बजे कमरा संख्या 63, पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित सदस्य

श्री भुपेन्द्र यादव — **अध्यक्ष**

राज्य सभा

2. श्री नरेश अग्रवाल
3. श्री सुखेन्दु शेखर राय
4. मीर मोहम्मद फैयाज
5. श्री डी॰ राजा
6. श्री राजीव चन्द्रशेखर
7. श्री तिरूची शिवा
8. श्री सी॰पी॰ नारायणन
9. श्री नरेश गुजराल
10. श्री दिलीपभाई पंडया
11. श्री ए॰ नवनीत कृष्णन
12. श्री प्रफुल्ल पटेल
13. श्री हरिवंश
14. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
15. श्री स्वपन दास गुप्ता

सचिवालय

श्री के॰पी॰ सिंह, संयुक्त सचिव

श्री अशोक कुमार साहू, संयुक्त निदेशक

श्रीमती न्याङखन्नेम गुईते, सहायक निदेशक

2. प्रारम्भ में, अध्यक्ष ने बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि इस विधेयक हेतु संशोधन/सुझाव श्री डी॰ राजा, श्री हिशे लाचुंगपा, श्री नरेश अग्रवाल, श्री सी॰पी॰ नारायणन, श्री राजीव चन्द्रशेखर और श्री हरिवंश से प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सुझावों को प्रतिवेदित किए जाने वाले विधेयक में शामिल कर लिया गया है।

3. इसके बाद, समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन और प्रतिवेदित किए जाने वाले विधेयक को विचारण तथा अंगीकार किए जाने हेतु लिया। समिति के अध्यक्ष ने विधेयक में निम्नलिखित परिवर्तनों का प्रस्ताव किया:

- धारा 7 में 'या प्राप्त करने के लिए सहमत है' शब्दों को हटा दिया जाए।
- धारा 8 में न्यूनतम दंड का प्रावधान नहीं किया जाए और इसे कारावास या जुर्माना या दोनों के रूप में अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड की मात्रा का निर्णय करने हेतु इसे न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाए।
- धारा 10 में 'और ऐसा अपराध साबित होता है' शब्दों के बाद 'न्यायालय में' शब्दों को जोड़ा जाए।

अध्यक्ष ने प्रारूप प्रतिवेदन में निम्नलिखित समरूपी परिवर्तनों का भी सुझाव दिया:—

- पैरा 6.10 के अंत में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाएं:

  ''समिति यह सिफारिश भी करती है कि 'प्राप्त करने के लिए सहमत है' शब्दों को इस अधिनियम की धारा 7 तथा सभी संबंधित धाराओं से हटा दिया जाए।''

- पैरा 6.14 के रूप में निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाए:

  ''समिति महसूस करती है कि धारा 8 के अंतर्गत रिश्वत देने वाले व्यक्ति हेतु प्रस्तावित दंड की न्यूनतम अवधि का उल्लेख नहीं किया जाए और कारावास या जुर्माना या दोनों के तौर में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम दंड की मात्रा का निर्णय लेने हेतु इसे न्यायालय के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाए।''

- पैरा 7.8 में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाए:

  ''समिति यह सिफारिश भी करती है कि प्रस्तावित धारा 10 में 'और ऐसा अपराध साबित हो जाता हो' शब्दों के बाद 'न्यायालय में शब्दों को जोड़ा जाए।''

4. समिति विधेयक और प्रतिवेदन में अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों से सहमत हो गई।

5. विचार-विमर्श के दौरान सदस्यों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 में 'विधिपूर्ण स्रोतों' पदों के प्रयोग के बारे में चिंता जताई। यह पाया गया कि कई बार न्यायालय अन्य प्राधिकरणों या सांविधिक निकायों द्वारा मान्य रूप में विधिपूर्ण स्रोतों को स्वीकार नहीं करते हैं। यह महसूस किया गया है कि न्यायालय द्वारा अनेक निर्वचनों से बचने हेतु इस पद को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, सदस्यों की चिंताओं को दर्शाने हेतु इस प्रतिवेदन में पैराग्राफ 10.3 जोड़ा गया।

6. इस प्रतिवेदन को उपरोक्त परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। समिति ने 12 अगस्त, 2016 को राज्य सभा के समक्ष इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। समिति ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य को राज्य सभा में रखने का भी निर्णय लिया। समिति ने अपने अध्यक्ष को और उनकी अनुपस्थिति में श्री नरेश अग्रवाल को और उनकी अनुपस्थिति में श्री स्वपन दासगुप्ता को राज्य सभा के समक्ष यह प्रतिवेदन तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

7. समिति की बैठक म॰पू॰ 10.30 बजे स्थगित हुई।

उपाबंध

विधेयक के संबंध में समिति के सदस्यों से प्राप्त लिखित सुझाव/संशोधन

उपाबन्ध-I

श्री डी॰ राजा, संसद सदस्य द्वारा दिये सुझाव

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

(राज्य सभा में यथा पुर:स्थापित) के संबंध में संशोधनों की सूचना

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, शब्द ''चौसठवें'' के स्थान पर शब्द ''सड़सठवें'' प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 2 में, अंक, ''2013'' के स्थान पर अंक ''2016'' प्रतिस्थापित किया जाए।

नया खंड 1 क

3. पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 के बाद, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''1. क. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में (जिसे यहां इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है), धारा 2 में, खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(घ) ''अनुचित लाभ'' से विधिक प्रतिफल से इतर किसी भी प्रकार का कोई परितोषण प्रभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनार्थ—

(क) शब्द 'परितोषण' धन-संबंधी परितोषणों अथवा धनराशि में आकलन किए जाने वाले परितोषणों तक ही सीमित नहीं है:

(ख) अभिव्यक्ति ''विधिक परितोषण'' किसी लोक सेवक को भुगतान किए गए प्रतिफल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे सभी प्रतिफल शामिल हैं जिसे सरकार या संगठन, जिसकी यह सेवा करता है, से प्राप्त करने की उसे अनुमति है।

4. पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''2. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (4) के बाद, निम्नलिखित उपधारा अत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(5) विशेष न्यायाधीश मामले को दायर करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर विचारण का पूरा किया जाना सुनिश्चित करेगा:

परंतु यह कि यदि, विचारण दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं होता है, तो विशेष न्यायाधीश इसके कारणों को अभिलिखित करेगा और विचारण को छह माह की अवधि के भीतर, जिसे लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों सहित, एक बार में प्रत्येक छह माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा, पूरा करेगा, किंतु विचारण को पूरा करने की कुल अवधि चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।''

खंड 3

5. पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 9 से 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''7 (1) कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवक हो, या बनने वाला हो, किसी व्यक्ति से कोई अनुचित लाभ प्राप्त करता हो अथवा लेने के लिए या स्वीकार करने के लिए सहमत हो अथवा प्राप्त करने का प्रयास करता हो, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा तथा जुर्माने का भी भागी होगा।''

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, लोक सेवक रहते हुए, या बनने वाला, कोई व्यक्ति जो—

(क) इस इरादे से, किसी व्यक्ति से कोई अनुचित लाभ प्राप्त करता है अथवा लेने या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है अथवा प्राप्त करने का प्रयास करता है कि परिणामस्वरूप स्वयं उसके द्वारा अथवा किसी अन्य लोक सेवक द्वारा कोई लोक कार्य या गतिविधि अनुचित रूप से निष्पादित की जाएगी, अथवा—

(ख) किसी लोक कार्य या गतिविधि के (स्वयं द्वारा या किसी अन्य लोक सवेक द्वारा) अनुचित निष्पादन के पुरस्कार स्वरूप कोई अनुचित लाभ प्राप्त करता है अथवा लेने या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है अथवा प्राप्त करने का प्रयास करता है: अथवा

(ग) किसी व्यक्ति से कोई अनुचित लाभ देने या स्वीकार करने की प्रत्याशा में अथवा सहमत होने के परिणामस्वरूप कोई लोक कार्य या गतिविधि अनुचित रूप से निष्पादित करता है, या किसी अन्य लोक सेवक को निष्पादित करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी भागी होगा।

(3) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ—

(क) कोई कार्य या गतिविधि एक लोक कार्य या गतिविधि है, यदि—

(i) वह कार्य या गतिविधि सार्वजनिक स्वरूप की है,

(ii) वह कार्य या गतिविधि लोक सेवक के रूप में किसी व्यक्ति के नियोजन के क्रम में निष्पादित की जाती है;

(iii) उस कार्य या गतिविधि को निष्पादित करने वाले व्यक्ति से इसे निष्पक्ष रूप से तथा सदाशय से निष्पादित किए जाने की आशा की जाती है; और

(iv) उस कार्य या गतिविधि की निष्पादित करने वाला व्यक्ति इसे निष्पादित किए जाने के कारण विश्वास के पद पर हो:

(ख) कोई लोक कार्य या गतिविधि रूप से निष्पादित की जाती है, यदि—

(i) इसे किसी संगत अपेक्षा के उल्लंघन में निष्पादित किया जाता है; और

(ii) कार्य या गतिविधि को निष्पादित करने में विफलता रहती है और यह विफलता अपने आप में किसी संगत अपेक्षा का उल्लंघन है;

(ग) ''संगत अपेक्षा''

(i) से, किसी निष्पादित लोक कार्य या गतिविधि के संबंध में, लोक कार्य या गतिविधि, यथास्थिति, निष्पक्ष रूप से अथवा सदाशय से, निष्पादित किया जाना अभिप्रेत है;

(ii) से, विश्वास के पद पर (ऐसे कार्य गतिविधि निष्पादित किए जाने के कारण) निष्पादित किसी लोक कार्य या गतिविधि के संबंध में, उस रीति जिससे, अथवा उन कारणों जिनकी वजह से, वह कार्य या गतिविधि निष्पादित की जाएगी, के संबंध में कोई अपेक्षा अभिप्रेत है जो ऐसे विश्वास के पद से उत्पन्न होती है;

(घ) से, कोई भी चीज जो कोई लाभ सेवक करता है, अथवा करने से चूकता है, जो उस व्यक्ति के किसी लोक कार्य या गतिविधि के विगत के निष्पादन से अथवा उसके संबंध में उत्पन्न होता है, उस कार्य या गतिविधि के निष्पादन में उस व्यक्ति द्वारा किया गया, अथवा नहीं किया गया समझा जाएगा;

(ड़) संबंधित लोक कार्य या गतिविधि के प्रकार के निष्पादन के संबंध में भारत में कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति जो आशा रखेगा, उसकी परीक्षा ही, जो आशा की जाती है, उसकी परीक्षा होगी।

स्पष्टीकरण 1—उपधारा (I) के प्रयोजनार्थ, अनुचित लाभ प्राप्त करना, लेने के लिए सहमत होना, स्वीकार करना, अथवा प्राप्त करने का प्रयास करना, स्वत: किसी लोक कार्य या गतिविधि के अनुचित निष्पादन का मामला बनाता है।

स्पष्टीकरण 2—उपधारा (I) के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति ''प्राप्त करता है'' प्राप्त करने का प्रयास करता है'' के अंतर्गत ऐसे मामले आएंगे जिनमें कोई व्यक्ति लोक सेवक रहते हुए, अथवा, जो लोक सेवक बनने वाला हो, लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके अथवा किसी अन्य लोक सेवक पर अपने निजी प्रभाव का उपयोग करके; अथवा किसी सांविधिक कर्तव्य या किसी नियमावली, सरकारी नीतियों; अधिशासी अनुदेशों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन में कार्य करके; अथवा किसी अन्य भ्रष्टाचार या अवैध साधनों से स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है।

स्पष्टीकरण 3—इस धारा के प्रयोजनार्थ, यह सारहीन होगा कि—

(क) लोक सेवक रहते हुए, या बनने वाला, ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अथवा तृतीय पक्ष के माध्यम से लाभ प्राप्त करता है अथवा लेने या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, अथवा प्राप्त करने का प्रयास करता है (अथवा लेने, या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है)।

(ख) ऐसा अनुचित लाभ उस व्यक्ति के, जो कोई लोक सेवक है या होने का प्रत्याशा रखता है, अथवा किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए है या होना है।

स्पष्टीकरण 4—''लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखते हुए'' से अभिप्रेत है: यदि कोई व्यक्ति, जो किसी पद पर होने की प्रत्याशा न रखते हुए ऐसे अन्य व्यक्ति को प्रवंचना से यह विश्वास कराकर कि वह पद ग्रहण करने वाला है और यह कि वह तब उसका उपकार करेगा, किसी व्यक्ति से कोई अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सहमत होगा या प्रतिगृहित करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, तो वह छल करने का दोषी हो सकेगा किंतु वह इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 5—इस धारा के प्रयोजनार्थ जहां कोई लोक सेवक या लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखने वाला कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को यह गलत विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि सरकार में उसके असर से उस व्यक्ति को हक या अन्य फायदा अभिप्राप्त हुआ है और इस प्रकार उस व्यक्ति को उसकी सेवाओं के लिए इनाम के रूप में उसको अनुचित लाभ देने के लिए उत्प्रेरित करता है, वहां वह इस धारा के अधीन लोक सेवक या लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखने वाला व्यक्ति उसके द्वारा किया गया अपराध होगा।

6. पृष्ठ संख्या 2, पंक्ति 1 से 44 को हटा किया जाए।

7. पृष्ठ संख्या 3, पंक्ति 1 से 35 को हटा किया जाए।

8. पृष्ठ संख्या 3, पंक्ति 36 से 38 हेतु निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—''8 (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो—

(क) किसी अन्य व्यक्ति को कोई अनुचित लाभ पहुंचाने की प्रस्थापन करता है, का वचन देता है या पहुंचाता है और ऐसा अनुचित लाभ-।''

9. पृष्ठ संख्या 4, पंक्ति 3 से 7 हेतु निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ख) किसी लोक सेवक को कोई अनुचित लाभ पहुंचाने की प्रस्थापना करता है, का वचन देता या पहुंचाता है और यह जानता है या विश्वास करता है कि ऐसे अनुचित लाभ को लोक सेवक द्वारा प्रतिगृहीत किए जाने से स्वत: ही किसी लोक कृत्य या क्रियाकलाप का अनुचित रूप से किया जाना गठित होगा।''

10. पृष्ठ 4, पंक्ति 10 से 13 हेतु, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परंतु जब इस धारा के अधीन अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन से जुड़े व्यक्ति द्वारा उस वाणिज्यिक संगठन को लाभ पहुंचाने हेतु किया गया हो, वहां ऐसा व्यक्ति धारा 8 (1) में यथापरिभाषित दंड से दंडनीय होगा और इसके अतिरिक्त इस प्रकार लाभान्वित या लाभ पहुंचाया जानेवाला वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा:

परंतु यह और कि उपधारा (1) उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा कुछ हासिल करने के उद्देश्य से कोई अनुचित लाभ की प्रस्थापना करता है, वचन देता है या पहुंचाता है जो किसी भी मामले में अनुचित लाभ की प्रस्थापना करने वाले, वचन देने वाले या पहुंचाने वाले व्यक्ति की हकदारी थी।''

11. पृष्ठ 4, पंक्ति 13 के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''**दृष्टांत 1**—कोई व्यक्ति 'पी', लोक सेवक 'एम को', यह सुनिश्चित करने के लिए दस हजार रुपए की रकम देता है कि अन्य सभी बोली लगाने वालों में से, उसे अनुज्ञाप्ति प्रदान की जाए। 'पी' इस उपधारा के खंड (क) के अधीन अपराध का दोषी है।''

''**दृष्टांत 2**—कोई व्यक्ति 'पी' सरकारी चिकित्सक 'डी' जो लोक सेवक है, को 'पी' की पुत्री जो गंभीर रूप से बीमार है, के इलाज के लिए एक हजार रुपए की राशि देता है जो किसी भी मामले में 'पी' की हकदारी या अधिकार है, तो 'पी' इस उपधारा के खंड (क) या (ख) अंतर्गत का दोषी नहीं है।''

12. कि पृष्ठ 4, पंक्ति 14 से 19 हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि वह व्यक्ति, जिसे अनुचित लाभ पहुंचाने की प्रस्थापना की जाती है, का वचन दिया जाता है या पहुंचाया जाता है, वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने संबंधित लोक कृत्य या क्रियाकलाप करता है या किया है और इस बात का भी कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा अनुचित लाभ उस व्यक्ति को सीधे या किसी अन्य पक्षकार के माध्यम से पहुंचाने की प्रस्थापना की जाती है, का वचन दिया जाता है या पहुंचाया जाता है।''

13. कि पृष्ठ 4, पंक्ति 19 के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, यदि उस व्यक्ति ने किसी विधि का प्रवर्तन करने वाले प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को सूचना देने के पश्चात् विधि का प्रवर्तन करने वाले ऐसे प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को पश्चात्वर्ती के विरुद्ध अभिकथित अपराध में उसके अन्वेषण में सहायता करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक लाभ की प्रस्थापना करता है या देता है।

(3) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, यदि वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक लाभ की प्रस्थापना करने, वचन देने या देने के पश्चात् 30 दिनों की अवधि के अंदर पुलिस या उस धारा के अंतर्गत या सूचना प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किसी अभिकरण को स्वेच्छा से इसकी सूचना देता है:

परंतु कि उपरोक्त (3) में संदर्भित व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत केवल आपराधिक दायित्व से छूट मिलेगा और उसे किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक लाभ की प्रस्थापना करने, वचन देने या देने के परिणामस्वरूप हासिल किसी चीज हेतु समान राशि लौटानी होगी या का भुगतान करना होगा।

(4) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, यदि वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक लाभ देने के बाद उस व्यक्ति को विरुद्ध इकाबाली साक्षी बनने को और इस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति के विरूद्ध मामले की कार्यवाही में जांच अभिकरण को सहायता प्रदान करने हेतु इच्छुक हो।

परंतु कि उपरोक्त उपधारा (4) में संदर्भित व्यक्ति को केवल इस अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से छूट मिलेगी और उसे किसी अन्य व्यक्ति का कोई असम्यक लाभ देने के परिणामस्वरूप हासिल किसी चीज हेतु समान राशि लौटानी होगी या का भुगतान करना होगा।

स्पष्टीकरण—संदेहों को दूर करने हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपधारा 9 में 'अन्य व्यक्ति' की अभिव्यक्ति में लोक सेवक होना या लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखने वाला व्यक्ति शामिल होगा।''

14. कि पृष्ठ 4, पंक्ति 20 और 26 ''किसी लोक सेवक को कोई वित्तीय या अन्य लाभ'' शब्दों को ''किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक लाभ'' से प्रतिस्थापित किया जाए।

15. कि पृष्ठ 4, पंक्ति 28 से 30 में ''साबित करने का एक बचाव होगा कि'' शब्दों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए, ''अर्थात्—इसे उससे सहयोजित किसी भी व्यक्ति को उपधारा 1 में यथापरिभाषित ऐसे अपराध ा को करने हेतु प्राधिकृत नहीं किया अथवा किसी भी तरीके से उकसाया और कि''

16. पृष्ठ 4, पंक्ति 31 से 35 हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यदि वाणिज्यिक संगठन से जुड़ा ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 9 (1) में यथापरिभाषित किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक लाभ की स्थापना करता हो, वचन देता हो या देता हो, तो वह धारा 8 (1) (ख) के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा और इसमें यथापरिभाषित ऐसे दंड का भागी होगा।

17. कि पृष्ठ 5, पंक्ति 7 को हटा दिया जाए।

18. कि पृष्ठ 5, पंक्ति 8 से 9 में ''उपधारा (1) के अधीन अपराध गठित होता है'' शब्दों को हटा दिया जाए।

19. कि पृष्ठ 5 , पंक्ति 21 और 22 में ''धारा 8 और इस धारा के अधीन का अपराध '' शब्दों को '' इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।

20. कि पृष्ठ 5 पर पंक्ति 22 के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(5) केन्द्रीय सरकार, संबद्ध पणधारियों के परामर्श से और ऐसी यथोचित प्रक्रियाओं के उपबंधों के , जो वाणिज्यिक संगठनों द्वारा उनसे सहयुक्त व्यक्तियों को ऐसे किसी व्यक्ति को, जो लोक सेवक हैं या लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखते हों, रिश्वत देने से रोकने के लिए विहित की जा सकती है, पालन में वृद्धि करने की दृष्टि से, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करेगी जो वह आवश्यक समझो।''

21. कि पृष्ठ 5 पर पंक्ति 23 से 28 हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''10 जहां धारा 8 या 9 के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन या वाणिज्यिक संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और ऐसे अपराध का वाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानूकुलता से या उकसाने से किया जाना साबित होता है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा या क्षति के कारण होता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगा तथा कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।''

22. कि पृष्ठ 5, पंक्ति 29 से 39 को हटा दिया जाए।

खंड 5

23. कि पृष्ठ 6, पंक्ति 2 ''इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध'' शब्दों के पश्चात् ''धारा 15 के अधीन किसी अपराध के अलावा'' शब्दों को अंत:स्थापित किया जाए।

खंड 6

24. कि पृष्ठ 6 पंक्ति 13 से 18 हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ख) उसके या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धन संबंधी साधन तथा ऐसी संपत्ति जो उसकी आय के स्रोतों के अनुपात में है अथवा उसके पद की कालावधि के दौरान किसी समय कब्जे में रही है जिसका कि वह लोक सेवक, समाधानप्रद लेखा-जोखा नहीं दे सकता।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''आय के प्राप्त स्रोत'' से किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय अभिप्रेत है और ऐसी प्राप्ति की सूचना लोक सेवक हेतु समय-समय पर लागू किसी कानून, नियम या आदेश के उपबंधों के अनुसार दी गई है''

खंड 7

26. कि पृष्ठ 6, पंक्ति 22 में ''तीन वर्ष '' शब्दों हेतु ''पांच वर्ष'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए—

नया खंड 8क

26. कि पृष्ठ 6, पंक्ति 25 के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''8क. मूल अधिनियम की धारा 17 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।''

17. जांच और अभियोजन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति तथा प्राधिकारी—

17 (1) प्राप्त कोई सूचना या कोई शिकायत जो इस अधिनियम के अंतर्गत कथित अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी या किसी अभिकरण (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना सहित) को की जाती है, ऐसे पुलिस अधिकारी या अभिकरण द्वारा संदर्भित की जाएगी:

(i) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के धारा 14 की उपधारा (1) के खंडों (क) और (ज) में उल्लिखित लोक सेवक के संबंध में लोकपाल;

(ii) राज्य के लोकायुक्त अथवा उस राज्य में विधि द्वारा स्थापित ऐसे प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले लोक सेवकों के संबंध में राज्य के लोकायुक्त अथवा उस राज्य में विधि द्वारा स्थापित ऐसा प्राधिकारी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी पुलिस अधिकारी अथवा एजेंसी द्वारा उल्लिखित कोई सूचना अथवा शिकायत—

(क) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन लोकपाल को की गई माना जाएगा और ऐसी शिकायत के अनुसार उक्त अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे तथा लोकपाल उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच, अन्वेषण तथा अभियोजन करेगा;

(ख) राज्य के लोकपाल अथवा राज्य में विधि द्वारा स्थापित ऐसे प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, को किया गया माना जाएगा और विधि के सभी उपबंध जिसके लोकायुक्त अथवा ऐसा प्राधिकारी स्थापित किया गया है, तद्नुसार ऐसी शिकायत पर लागू होगा और लोकायुक्त अथवा ऐसा प्राधिकारी उस विधि के उपबंधों के अनुसार जांच, अन्वेषण और अभियोजन करेगा जिसके अधीन लोकायुक्त अथवा ऐसे प्राधिकारी की स्थापना की गई है।''

(3) इस अधिनियम के अधीन कथित अपराध जो उपरोक्त की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत नहीं आता, के संबंध में पुलिस अधिकारी अथवा किसी एजेंसी (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना सहित) को दी गई सूचना अथवा शिकायत की जांच निम्नलिखित प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा की जाएगी:—

(i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी निम्न पंक्ति के नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी—

(क) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस निरीक्षक,

(ख) बम्बई, कलकता, मद्रास और अहमदाबाद तथा किसी अन्य मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा अधिसूचना के क्षेत्र में, सहायक पुलिस आयुक्त,

(ग) अन्यत्र उप-पुलिस अधीक्षक या इसके समकक्ष पद का अधिकारी,

इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण यथास्थिति मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिए कोई गिरफ्तारी वारंट के बिना नहीं करेगा:

परंतु यदि पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो तो वह भी ऐसे किसी अपराध का अन्वेषण, यथास्थिति मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिए गिरफ्तारी वारंट के बिना कर सकेगा:

परंतु आगे यह भी कि धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न हो।

स्पष्टीकरण—जिस राज्य में लोकपाल अथवा लोकायुक्त अथवा ऐसा प्राधिकारी की स्थापना नहीं की गई हो अथवा कार्यात्मक न हो, वहां पर धारा 17 (3) के उपबंध लागू होंगे।

नया खंड 8 ख

27. पृष्ठ संख्या 5, पंक्ति 40 के बाद, खंड 8क के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''8ख'' मूल अधिनियम की धारा 18 में, ''धारा 17'' शब्दों को ''धारा 17 (3)'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।''

खंड 9

28. पृष्ठ 5 और पंक्ति 44 और 45 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात्:—

18क. (1) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में जैसा अन्यथा उपबंधित हैं उसके सिवाय, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंध, जहां हो सके, इस अधिनियम के अधीन कुर्की, कुर्क

की गई संपत्ति के प्रशासन और कुर्की के आदेश के निष्पादन या धन के अधिहरण या आपराधिक उपायों उपाप्त की गई संपत्ति को लागू होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंध इस उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे ''जिला न्यायाधीश'' के प्रति निर्देश का ''विशेष न्यायाधीश'' के प्रति निर्देश के रूप में अर्थान्वयन किया जाएगा।''

29. कि पृष्ठ 6, पंक्ति 1 से 54 का विलोप किया जाए।

30. कि पृष्ठ 7, पंक्ति 1 से 55 का विलोप किया जाए।

31. कि पृष्ठ 8, पंक्ति 1 से 50 का विलोप किया जाए।

32. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 1 से 57 का विलोप किया जाए।

33. कि पृष्ठ 10, पंक्ति 1 से 36 का विलोप किया जाए।

खंड 10

34. पृष्ठ 10, पंक्ति 37 से 49 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया।

''10. मूल अधिनियम की धारा 19 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:—

19. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2003 अथवा उस विधि के उपबंधों जिसके अधीन राज्य के लोकायुक्त अथवा राज्य में ऐसे प्राधिकारी की स्थापना की गई है, में जैसा यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के अधीन कोई न्यायालय लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध का संज्ञान नहीं होगा जब तक कि इसकी पूर्व सहमति नहीं ले ली जाए:—''

(1) एक ऐसी समिति जिसमें:—

(क) राज्यों के मामले में वहीं के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्देशित सेवा निवृत्त न्यायाधीश या केन्द्रीय सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्देशित सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा जो इस समिति का अध्यक्ष भी होगा।

(ख) जैसा कि उपखंड (2) में दिया गया है पुलिस सेवा का भूतपूर्व सदस्य जो पुलिस महानिरीक्षक से निचले स्तर का नहीं होगा या इसके समतुल्य होगा, को नामनिर्देशित किया जाएगा।

(ग) जैसाकि उपखण्ड (2) में दिया गया है प्रशासनिक सेवा का भूतपर्वू सदस्य जो प्रधान सचिव के नीचे के स्तर का नहीं होगा नाम निर्देशित किया जाएगा। बशर्ते कि समिति तीन माह के भीतर इस उपधारा के अंतर्गत अपना निर्णय बताएगी जो कि लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों की महान्यायवादी या महाअधिवक्ता के साथ परामर्श, जैसा भी मामला हो, एक माह की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाए जाने की आवश्यकता है:

परंतु आगे निर्धारित समय सीमा के बीत जाने के बाद अभियोग चलाए जाने की अनुमति दी हुई मानी जाएगी।

(2) उपखण्ड (ख) और (ग) में संदर्भित समिति के सदस्य निम्न को लेकर बनाई गई समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड (1) में संदर्भित नियमों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(क) राज्यों के संदर्भ में मुख्यमंत्री और केन्द्रीय सरकार की स्थिति में प्रधानमंत्री, जो इस समिति का अध्यक्ष होगा।

(ख) राज्यों के संदर्भ में विधान सभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता, और केन्द्र की स्थिति में लोक सभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता।

(ग) समिति का अध्यक्ष के बारे में खण्ड 19 के उपखण्ड (1) में उल्लेख किया गया है।

35. यह कि पृष्ठ 11 में पंक्ति 1 से 20 तक हटा दिया जाए।

खण्ड 11

36. वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह पधारणा की जाएगी कि उसने यथास्थिति, उस वित्तीय या अन्य लाभ को इस आशय से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत हुआ है या अभिप्राप्त करने का प्रयास किया है।''

नया खण्ड 11क

37. पृष्ठ 11 में पंक्ति 29 में निम्नलिखित जोड़ जाये, अर्थात्:—

''11क मूल अधिनियम की धारा 23 में''

(क) सीमांत शीर्ष में आंकड़े, कोष्ठकों और शब्द ''धारा 13(1)'' की जगह आंकडे, कोष्ठकों और शब्द ''धारा 13(झ)(अ)'' से प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 12

38. धारा 24 को विलोपन किया जाए।

खण्ड 13

39. पृष्ठ 11 पर पंक्ति 31 से 34 तक निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:—

''13. मूल अधिनियम की धारा 31 के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

''32 (1) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके उस अधिनियम के प्रावधानों को जारी रखने के लिए नियम बना सकती है।''

(2) विशेष रूप से पूर्ववर्ती अधिकारों की व्यापकता के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के ऐसा नियम सभी के लिए होगा या निम्नलिखित मामलों के लिए होंगे अर्थातृ:—

(क) पर्याप्त प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देशों का विहित किया जाना जिसे वाणिज्यिक संगठनों द्वारा अपने साथ जुड़े व्यक्तियों को धारा की उपधारा (5) की अधीन किसी व्यक्ति जो लोक सेवक हो या लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखने वाला हो, को रिश्वत देने से रोकने के लिए लागू किया जा सके।

(ख) कोई अन्य मामला जिसे विहित किए जाने की आवश्यकता हो या किया जाये।

3. इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को इसके बनाने के तुरंत पश्चात् जब संसद सत्र में हो संसद के दोनों सदनों में रखा जाए जो कुल 30 दिन की अवधि का हो जिसमें एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र में अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने को सहमत हो जाएं तो पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यह निप्रभाव हो जाएगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निप्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नया खण्ड 13क

40. यह कि पृष्ठ 11 में पंक्ति 34 के बाद खण्ड 13क अंत:स्थापित किया जाए अर्थात्:—

''13क मूल अधिनियम की धारा 31 और खण्ड 13 के बाद निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-अर्थात्''—

33. इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी जो उसने सद्भावना से किया हो।

खण्ड 14

41. यह कि पृष्ठ 11 पर पंक्ति 35 से 37 की जगह निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:—

खण्ड ''14. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा—

''पैरा 8

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

(1988 का 49) के अधीन अपराध

धारा	अपराध का विवरण
7.	लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध।
8.	लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध।
9.	लोक सेवक को किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा रिश्वत देने से संबंधित अपराध।
12.	अधिनियम में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड।
13.	लोक सेवक के द्वारा आपराधिक कदाचार।
14.	आभ्यासिक अपराधी के लिए दंड।''।

श्री सी॰पी॰ नारायण के सुझाव

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2016

सुझाए गए संशोधन

1. खंड 9(1) में निम्नलिखित को (ग) के रूप में जोड़ें:

(ग) कारबार करने में अन्य वाणिज्यिक संगठन को 'उचित लाभ' होने से रोकने अथवा रुकवाने के लिए

2. 9(2) को निम्नलिखित के रूप में अभिलिखित किया जाए—

''(2) इस धारा के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति यदि किसी लोक सेवक को कोई अनुचित लाभ देने का प्रस्ताव करता है, वादा करता है अथवा देता है, चाहे उस व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए अभियोजना किया गया हो अथवा नहीं, वह धारा 8 के तहत अपराध करने का दोषी है अथवा होगा।''

3. 9(ग) निम्नलिखित रूप में अभिलिखित किया जाए:

(ग) किसी व्यक्ति को किसी वाणिज्यिक संगठन से जुड़ा हुआ कहा जाएगा यदि ऐसे अनुचित लाभ के किसी प्रस्ताव, वादे अथवा दिए गए अनुचित लाभ पर ध्यान दिए बिना जो उपधारा (1) के तहत एक अपराध बनता है, वह व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं निष्पादित करता है।

4. 9(3) व्याख्या 2—प्रथम पंक्ति निम्ननुसार अभिलिखित की जाए:

''चाहे वह व्यक्ति वही हो अथवा न हो जो''

5. 9(3)(ख) व्याख्या 2 पाद टिप्पण

क्या 'धर्मार्थ सेवा अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी संस्थानों को इससे अलग किया जाना है?'

6. 17(क) अंतिम पंक्ति

शब्द इस प्रकार हों

''संघ सरकार अथवा उस सरकार के मामलों से संबंधित''

7. (ग) निम्न अनुसार अभिलिखत किया जाए:

''(ग) किसी व्यक्ति को किसी वाणिज्यिक संगठन से जुड़ा हुआ कहा जाएगा यदि ऐसे अनुचित लाभ के किसी प्रस्ताव, वादे अथवा दिए गए अनुचित लाभ पर ध्यान दिए बिना जो उपधारा (1) के तहत एक अपराध बनता है, वह व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं निष्पादित करता है।''

8. 11(क) अंतिम पंक्ति में निम्न अनुसार अभिलिखित किया जाए:—

''संघ सरकार अथवा उस सरकार के मामलों से संबंधित मामलों''

(सी॰पी॰ नारायणन)

विभाजन संख्या-150

श्री हरिवंश, सांसद के सुझाव

टिप्पण:

- हमारे देश में, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 को स्वीकृत किया गया क्योंकि इसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में बदलाव लाया।
- इस अधिनियम में, किसी लोक सेवक को रिश्वत देने को दुष्प्रेरण के अंतर्गत अपराध में शामिल किया गया। विधेयक किसी लोक सेवक को रिश्वत देने के और किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा रिश्वत दिए जाने के संबंध में विशिष्ट उपबंध करता है।
- विधेयक केवल संपत्ति के दुर्विनियोजन और आय से अधिक परिसंपत्तियों को धारण करने को शामिल करने के लिए अपराधिक कदाचार को पुनर्परिभाषित करता है।
- विधेयक रिश्वत लेने, आदतन अपराधी होने और अपराध के लिए दुष्प्रेरित करने से संबंधित अपराधों की परिभाषाओं तथा इनसे संबंधित शास्तियों को संशोधित करता है।
- भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवकों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती की शक्तियों और प्रक्रियाओं को विधेयक में शामिल किया गया है।
- अधिनियम में सेवारत लोक अधिकारियों पर अभियोग चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। विधेयक भूतपूर्व अधिकारियों को भी यह सुरक्षा प्रदान करता है।
-
- परिणाम?
-
- भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2006-10 के दौरान बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जांच अभिकरणों द्वारा पंजीकृत 70-80 प्रतिशत से अधिक मामलों में आरोपी सिविल सेवकों की दोषसिद्धि नहीं हो पाई। कारण?
-
- इस दुखद स्थिति के लिए अनेक कारण जिम्मेवार थे। एक यह कि एफआईआर जांच अभिकरण द्वारा पंजीकृत शिकायत के आधार पर दायर की गई। सरकार ने सिविल सेवक पर अभियोग चलाने की अनुमति दी। जल्दी ही, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। कथित आरोपी के वकील द्वारा उसके पक्ष में दलील दिए जाने पर न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पाया कि आरोपी निर्दोष था क्योंकि अभियोजक अभिकरण ने अभियोक्ता के पक्ष का समर्थन करते हुए साक्ष्यों और गवाहों के बिना उसके विरुद्ध कार्रवाई की थी।

  जैसाकि हम सभी जानते हैं कि कई विकसित देशों में भ्रष्टाचार रोधी कानून मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट (एफसीपीए), यूके ब्राइबेरी एक्ट (यूकेबीए) द कैनेडियन करप्शन ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिसियल्स एक्ट (सीएफपीओए) तथा विश्वभर में ऐसे अन्य समान भ्रष्टाचार रोधी विधान कॉरपोरेशनों और व्यक्तियों को रिश्वत के कृत्य में शामिल होने से रोकते हैं और कॉरपोरेशनों से अपेक्षा रखते हैं कि वे सटीक वित्तीय रिकॉर्ड रखें।

  प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम और प्रक्रिया को अपनाने में विफल रहने पर प्रतिष्ठा की गंभीर क्षति हो सकती है, अत्यधिक जुर्माना लगाया जा सकता है, व्यक्ति विशेष को कारावास हो सकता है और राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारों के साथ व्यापार करने से संगठनों को अपवर्जित किया जा सकता है। केवल ऐसी

नीति अपनाना जो साधारण रूप से विधि की अपेक्षाओं का उल्लेख करती है, पर्याप्त नहीं है। एक ऐसी सुदृढ़ कार्यक्रम अपनाने से, जो संगठन के सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा समर्थित और संविर्धत अनुपालन संस्कृति का प्रभावशाली रूप से पोषण करता है, विचारशील जोखिम आकलन बार-बार करता है, पहचाने गए जोखिमों के आधार पर समानुपातिक प्रक्रियाएं अपनाता है, तृतीय पक्ष के सहभोगियों के संबंध में सम्यक तत्परता की अपेक्षा रखता है, नियमित लेखापरीक्षा को बढ़ावा देता है, और कार्यक्रम के संबंध में प्रभावी प्रशिक्षण और संप्रेषण सुनिश्चित करता है, जब कोई कपटी कर्मचारी भ्रष्टाचार या रिश्वत के किसी कृत्य में शामिल हो तब भी सिविल और आपराधिक दायित्व को कम किया जा सकता है या इससे बचा जा सकता है।

अत: समय की मांग है कि पहले हमारे देश में मौजूद भ्रष्टाचार रोधी कानून के शिथिल हिस्सों की जांच की जाए और उन्हें रिकॉर्ड किया जाए, विकसित देशों में प्रयोग किए जा रहे भ्रष्टाचार रोधी कानूनों के गुणावगुण का अध्ययन किया जाए और तत्पश्चात् एक समुचित कानून बनाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए।

हरिवंश
सदस्य (राज्य सभा)

श्री राजीव चन्द्रशेखर, सांसद के सुझाव/संशोधन

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2016 में सुधार के लिए सुझाव

1. खंड 4 और खंड 7 में भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कृत्य के रूप में जोड़े ''सहनशीलता में जानबूझकर उपेक्षा/विलोप''
2. खंड 12 के तहत धारा 17 (क) का विलोपन क्योंकि अन्वेषण के लिए इस प्रकार की स्वीकृति धारा 7 और 8 के प्रभाव को प्रभावी रूप से निष्प्रभावी बना देगा।

हिशे लाचुंगपा, संसद सदस्य की टिप्पणियां

विभिन्न संगठनों की टिप्पणियां और प्रस्तावों की जांच की गई है। इन्हें क्रमबद्ध तरीके से नीचे बताया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि मेरी टिप्पणियां केवल टिप्पणियों के वृहद हिस्से से संबंधित हैं जबकि न्यून टिप्पणियों की अनदेखी कर दी गई है।

1. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)

निम्नलिखित के संबंध में आपत्ति दर्ज की गई है:—

(क) अभिनीत सूत्र के खंड 3 में अंतर्विष्ट अनुच्छेद 7 के लिए प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यह बताया जाता है कि इस प्रावधान में निजी व्यक्तियों को नहीं रखा गया है। विशेषकर रिश्वत देने वाले और मध्यस्थ और इसलिए पीसी एक्ट, 1988 के अनुच्छेद 8, 9 और 10 को बनाए रखने का सुझाव दिया जाता है।

टिप्पणियां: —प्रस्तावित अनुच्छेद 7 के उप-अनुच्छेद 2 के मद्देनजर जो एक मान-आबसटनेट खंड से प्रारंभ होता है (उप-अनुच्छेद) (1) में किसी के अंतर्विष्ट होने के बावजूद इसे अनुच्छेद 7 के लिए स्पष्टीकरण के खंड (क) और (ख) के साथ पढ़ा जाए जिसमें (या तीसरे पक्ष के माध्यम से और या अन्य व्यक्ति शब्द शामिल है) जिन पर क्रमांक 8 और 9 पर अनुच्छेद 8 (2) के प्रस्तावित खंडों (क) और (ख) के एक साथ विचार किया गया इसमें संगठन द्वारा दर्शायी चिंता उचित महसूस नहीं होती है।

(ख) अनुच्छेद 18क जिसमें क्रिमीनल लॉ एमेंडमेंट आर्डिनेंस (सीएलएओ), 1944 में जिला जज के साथ प्रावधानों को बनाए रखने का प्रस्ताव किया गया है तथा इसमें अंतर्विष्ट होने में इसे विशेष जन से प्रतिस्थापित किया जा रहा है चूंकि इस अध्यादेश को विधि आयोग के 249वें प्रतिवेदन में रद्द किए जाने का प्रस्ताव है। यह सुझाव दिया गया है। कि कुर्की जब्ती जो यह तो ओडिशा स्पेशल कोर्टस एक्ट, 2009 या बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट, 2009 में दी गई है उसे भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम में शामिल कर लिया जाए।

टिप्पणियां:—इस सुझाव के संबंध में चर्चा की जाए।

सामान्य: अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा और जुर्माने की राशि में परिवर्तन किए जाने में कुछ तथ्य प्रतीत होता है जो विचार किए जाने के लिए अपेक्षित है।

2 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

यह सुझाव दिया जाता है कि विवरण 2 को अनुच्छेद 7 के सभी प्रावधानों को कवर करना चाहिए न कि यथाप्रस्तावित केवल उप-अनुच्छेद (1)

टिप्पणियां:— अनुच्छेद 7 के उप-अनुच्छेद 2 के दृष्टिकोण से विवरण 1 से 5 जिन्हें प्रस्तावित अनुच्छेद 8(1) के खंड (क) और (ख) के साथ पढ़ा जाए इसके संबंध में सुझाव मजबूत प्रतीत नहीं होता है।

3. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(क) यह सुझाव दिया जाता है कि निर्दोष होने के सबूत का भार मूल अधिनियम के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आरोपी को स्थानांतरित कर दिया जाए तथा यह उन पर भी भारित किया जाना चाहिए जो रिश्वत देते या लेते हैं।

टिप्पणियां:— यह सुझाव प्रस्तावित अनुच्छेद 8 और (क) और (ख) के अंतर्गत पहले ही कवर किया गया है जैसा कि विधेयक के खंड 3 के अंतर्गत क्रम सं॰ 8 में अंतर्विष्ट है जैसा कि ऊपर सीबीआई की आपत्ति में (क) की टिप्पणी में चर्चा की गई है।

(ख) यह अभिव्यक्ति किया जाता है कि अनुच्छेद 3(एफ) के प्रस्तावित स्थापन में विचारित अतिरिक्त आवश्यकता जो कि लोक सेवक द्वारा अवैध तरीके से अपने आपको समृद्ध बनाने के संबंध में है यह मिलीभगत/सहमतिपूर्ण रिश्वतखोरी के मामले में स्थापित करना बहुत कठिन है।

टिप्पणियां:— इस आशंका के संबंध में खंड (ख) के संबंध में विवरण 1 में ध्यान दिया गया है जो कि विधेयक के खंड 6 के अंतर्गत क्रम सं॰ 19 के विवरण 2 के अंतर्गत है। विवरण 1 में यह प्रावधान किया गया है कि यह मान लिया जाएगा कि एक व्यक्ति ने सोद्देश्य अपने आपको समृद्ध बनाया है यदि आपने या उसके पक्ष में किसी व्यक्ति के पास किसी समय उसके कार्यकाल के दौरान मिली संपत्तियों का संतोषजनक लेखा जोखान मिल सके या उसके ज्ञात आय के स्रोतों से उसकी असंगत संपत्ति के धन संबंधी संसाधन मेल न खाते हो।

4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)

(क) ट्रायल के पूर्ण होने की समय-सीमा के संबंध में सुझाव दिया गया।

टिप्पणियां:—यह विधेयक के खंड 2 के अंतर्गत मूल अधिनियम के अनुच्छेद 4 के प्रस्तावित संशोधन द्वारा कवर किया जाता है। इसके लिए उप-अनुच्छेद 5 समावेशित किया गया है जिसमें ट्रायल के पूरा होने के लिए दो वर्ष की अवधि विनिर्दिष्ट की गई है। यदि नहीं तो आगे छह महीने की दो अवधियों में प्रत्येक में कारण सहित इसे अभिलिखित किया जाएगा।

(ख) प्रस्तावित प्रावधानों में मध्यस्थ या तीसरे पक्ष शामिल नहीं है जो रिश्वतखोरी की श्रृंखला में मौजूद है।

टिप्पणियां:— ऐसे व्यक्ति स्पष्ट रूप से अनुच्छेद (1) के प्रस्तावित खंड (क) और (ख) के दायरे में आते हैं जैसे कि चर्चा सीवीसी के (क) के संबंध में टिप्पणियों में की गई है।

(ग) अनुच्छेद 7(3) के लिए कोई विवरण नहीं दिया गया है।

टिप्पणियां:— मूल अधिनियम के 2(ख) में अंतर्विष्ट जनसेवा की परिभाषा के आलोक में इस प्रकार का कोई विवरण आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

(घ) संशोधन विधेयक, 2013 के अनुच्छेद 9 के उप-अनुच्छेद (3) में अंतर्विष्ट वाणिज्यिक संगठन की परिभाषा को ईस्ट, सोल प्रोपेराईटर इत्यादि को शामिल करके विस्तारित किया जाना चाहिए।

टिप्पणियां:— खंड (क) जिसे उप-अनुच्छेद 3 के खंड (ख) और (ग) के साथ पढ़ा जाए उनमें वर्तमान प्रावधानों में प्रयोग में लाई गई व्यापक अभिव्यक्तियों में सुझाव गए संशोधन आवश्यक नहीं होंगे।

(ङ) संशोधन विधेयक, 2013 में खंड 10 के अंतर्गत मुकदमा चलाने के संबंध में अनुमति के संबंध में अनुच्छेद 19 में संशोधन के प्रावधान के संबंध में में यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसा एक प्रावधान किया जाना चाहिए कि लोकसेवकों को अनुमति प्रदान करने या मना किए जाने से पूर्व एक अवसर दिया जाना चाहिए।

टिप्पणियां:— पहले से ही विद्यमान विभिन्न संविधियों में कई सुरक्षापायों के मद्देनजर यह संशोधन वांछनीय नहीं होगा। तथापि इस प्रकार को कोई प्रावधान प्रक्रिया और आगे बाधा डालेगा।

सामान्य अभ्युक्तियाँ:

उपरोक्त के अलावा यह नोटिस किया गया है कि विधयेक के नए खंडों 8क और 8ख के अंतर्गत प्रस्तावित अनुच्छेद 17क के लिए आपत्तियों के संबंध में सामान्य मतैक्य है कि इन कारणों से अधिनियम के अंतर्गत अपराध की जांच किए जाने से पूर्व लोकपाल और लोकायुक्त की पूर्व स्वीकृति ली जाए कि (क) इसके कारण अनावश्यक विलंब होगा (ख) इसके कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुच्छेद 19 के प्रावधान बेकार हो जाएंगे और (ग) लोकपाल और लोकायुक्त विभिन्न एजेंसियों को की गई शिकायतों को प्रक्रमित करने के कार्य से अनावश्यक दबे रहेंगे।

ऐसे मतों में जोड़ते हुए मेरे अपने मत भी यहां पृथक रूप से संलग्न हैं चूंकि मैं उनसे सहमत हूं।

- डॉ॰ जितेन्द्र सिंह के सुझावों/टिप्पणियों के संबंध में मेरे विचार विधेयक के नए खंड 8क और 8ख तक सीमित है जो उन्होंने प्रस्तावित अनुच्छेद 17क के विशेष संदर्भ में प्रस्तुत किए हैं।

- यथा प्रस्तावित लोकपाल या लोकायुक्त से पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता संबंधी प्रावधान पश्चगामी हो जाएगा चूंकि इसके कारण दिल्ली पुलिस एसटिबीविशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत एजेंसी द्वारा जांच करने की शक्तियां सीमित हो जाएंगी और यह उन शिकायतों के संबंध में होंगी जो जन सेवकों के संबंध में उन मामलों के संबंध में प्राप्त हुई है जो कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के दायरे में आते हैं उन मामलों के संबंध में भी जो लोकपाल और लोकायुक्त दोनों में से किसी के समक्ष लंबित न हो।

- इस प्रस्ताव के कारण शीघ्र जांच किए जाने का लक्ष्य समाप्त हो जाएगा चूंकि इस प्रकार की स्वीकृतियों को प्राप्त करने में लिया गया समय बहुत अधिक होगा।

- एजेंसी को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह उन मामलों की जांच कर सके जो लोकपाल या लोकायुक्त के समक्ष न लाए गए हो जो कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (मूल अधिनियम) की आत्मा से सामंजस्यता रखते हों।

- मूल अधिनियम के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत शिकायत किए गए व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय पहले से ही विद्यमान है जहां यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत सजा देने योग्य अपराधों के लिए कोई भी जांच मेट्रोपोलीटन मजिस्ट्रेट या एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं की जा सकती है। उपरोक्त के अतिरिक्त स्वीकृति प्राधिकारी की एक ओर संख्या को बढ़ाने से, जैसा कि प्रावधान करने वाला है, इससे अनावश्यक रूप से उन अपराधों की शिकायतों की जांच में बाधा आएगी जो कि अधिनियम के अंतर्गत सीधे ऐजेंसी के सामने लाए गए हैं और वे लोकपाल और लोकायुक्त दोनों में से किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

- लोकपाल और लोकायुक्त के समक्ष जांच के लिए लंबित मामलों के संबध में जांच करने वाली एजेंसियों की भूमिका को अध्याय VII के अंतर्गत आने वाले उप-अनुच्छेदों में विनिर्दिष्ट की गई है।

हिशे लाचुंगपा
संसद सदस्य

उपाबंध-II

राज्य सभा की भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी प्रवर समिति के संबंध में समिति के समक्ष उपस्थित हुए साक्षीगणों की सूची

क. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

I. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

1. श्री संजय कोठारी, सचिव;
2. श्री भानु प्रताप शर्मा, सचिव;
3. श्री टी॰ जैकब, अपर सचिव;
4. श्री जिन्शु बरुआ, संयुक्त सचिव;
5. श्री पी॰ के॰ दास, संयुक्त सचिव;
6. सुश्री ममता कुंद्रा, संयुक्त सचिव;
7. श्री वी॰ एम॰ रथनम, निदेशक;
8. श्री संदीप जैन, निदेशक;
9. सुश्री मीरा मोहन्ती, उप सचिव; और
10. श्री ए॰ के॰ रॉय, उप सचिव।

ख. विधि और न्याय मंत्रालय

I. विधि कार्य विभाग

1. श्री पी॰ के॰ मल्होत्रा, विधि सचिव;
2. श्री दिनेश भारद्वाज, अपर सचिव;
3. श्री एम॰ खंडेलवाल, अतिरिक्त सरकारी वकील; और
4. श्री राजवीर सिंह वर्मा, उप विधायी परामर्शदाता।

II. विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय

1. श्री जी॰ नारायण राजू, सचिव;
2. सुश्री रीता वशिष्ठ, अपर सचिव;
3. डॉ॰ एम॰ विजयवर्गीय, अवर सचिव;
4. डॉ॰ एन॰ आर॰ बट्टू, संयुक्त सचिव;
5. श्री आर॰ श्रीनिवास, उप विधायी परामर्शदाता;
6. श्री के॰ वी॰ कुमार, उप विधायी परामर्शदाता;
7. श्री विद्यासागर शुक्ला, अपर विधि परामर्शदाता;
8. श्री वी॰ एस॰ शुक्ला, अवर विधायी परामर्शदाता; और
9. श्री जोस थॉमस, निदेशक।

ग. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के प्रतिनिधि

1. श्री के॰ वी॰ चौधरी, सीवीसी;
2. श्री राजीव, वीसी;
3. श्री टी॰ एम॰ भसीन, वीसी;

4. श्रीमती नीलम साहनी, सचिव;

5. श्री सलीम हक़, ए॰एस॰;

6. श्री जे॰ विनोद कुमार, निदेशक।

घ. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रतिनिधि

1. श्री अनिल कुमार सिन्हा, निदेशक

2. श्री आर॰ पी॰ अग्रवाल, संयुक्त निदेशक

3. श्री प्रबोध कुमार, संयुक्त निदेशक

4. श्री आर॰ एस॰ भट्टी, संयुक्त निदेशक

5. श्री ए॰ साई मनोहर, संयुक्त निदेशक और

6. श्री जोगिन्दर नायक, ओ॰एस॰डी॰।

ङ. केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के प्रतिनिधि

1. श्री नजीब शाह, चेयरमैन

2. श्रीमती वी॰ एन॰ सरना, सदस्य (पी॰ एंड वी॰)

3. श्री आर॰ के॰ महाजन, सीवीओ

4. श्री आर॰ डी॰ नेगी, प्रा॰, ए॰डी॰जी॰ (सतर्कता) और

5. श्रीमती नीता लाल भूतालिया, ए॰डी॰जी॰ (सतर्कता)।

च. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रतिनिधि

1. श्री ए॰ के॰ जैन, अध्यक्ष

2. श्रीमती सुरभि सिन्हा, सदस्य (पी॰ एण्ड वी॰)

3. श्री गोपाल मुखर्जी, पीआर डी॰जी॰आई॰टी॰ (बीपीआईजी) और

4. श्री राकेश गुप्ता, ए॰डी॰जी॰ (सतर्कता)।

छ. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रतिनिधि

1. श्री कर्नल सिंह, निदेशक; और

2. श्री आशीष चन्द्र सिंह, उप विधि सलाहकार।

ज. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) के प्रतिनिधि

श्री एस॰ सी॰ पांडेय, महानिदेशक (रणनीतिक प्रबंधन इकाई)।

झ. राज्य सरकारें

I. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रतिनिधि**

1. श्री के॰ के॰ शर्मा, मुख्य सचिव

2. डॉ॰ वसंत कुमार एन॰, सचिव (एआर) और

3. श्री सुकेश जैन, सचिव (सतर्कता)।

II. **हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि**

श्री ए॰ के॰ सिंह, प्रधान सचिव

III. **हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि**

श्री ए॰ पी॰ सिंह, आवासीय आयुक्त

IV. **उत्तराखंड राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्री एस॰ डी॰ शर्मा, आवासीय आयुक्त
2. श्री शिव कुमार गुप्ता, विशेष कार्य अधिकारी।

V. **छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

श्री विजय कुमार होता, अपर सचिव, न्याय विभाग

VI. **मध्य प्रदेश राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

श्री आर॰ के॰ मिश्रा, संयुक्त आवासीय आयुक्त

VII. **मिजोरम राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्री लालमालस्वामा, मुख्य सचिव
2. डॉ॰ रणबीर सिंह, आवासीय कमीशनर
3. श्री अजय कश्यप, निदेशक, एसीबी।

VIII. **सिक्किम राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव

IX. **मणिपुर राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्री ओ॰ नाबकिशोर, मुख्य सचिव
2. श्री थि॰ कामिनी कुमार सिंह, अपर सचिव (विधि)।

X. **असम राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्रीमती टी॰ वाई॰ दास, अपर मुख्य सचिव
2. डॉ॰ आर॰ चन्द्र, नाथन, अपर पुलिस महानिरीक्षक
3. सुश्री एल॰ एस॰ चांगसन, आयुक्त और सचिव।

XI. **त्रिपुरा राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्री प्रवीण श्रीवास्तव, मुख्य आवासीय कमीशनर
2. डॉ॰ राकेश सरवाल, प्रधान आवासीय कमीशनर।

XII. **नागालैण्ड राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्री थामस थैलु, विशेष कार्यअधिकारी, नागालैंड सरकार के योजना और समन्वयन विभाग
2. श्री प्रवीण श्रीवास्तव, मुख्य आवासीय कमीशनर
3. डॉ॰ राकेश कुमार, निदेशक।

ञ. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि

I. **इंडियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (सेंट्रल) एसोसिएशन**

श्री संजीव भूसरेड्डी, सचिव

II. **कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गजटेड आफिसर्स आर्गेनाइजेशंस**

1. श्री रमण कुमार शर्मा, अध्यक्ष;
2. श्री पी॰ आर॰ चरणबाबू, उपाध्यक्ष;
3. श्री एस॰ मोहन, महासचिव;

4. श्री भास्कर भट्टाचार्य, अपर महासचिव; और

5. श्री महेश कुमार, संयुक्त सचिव।

III. **कंफेडरेशन ऑफ सिविल सर्विस एसोसिएशन**

1. श्री जयंत मिश्रा, आईआरएन, संयोजक;

2. सुश्री सुभ्रा अग्रवाल, सदस्य;

3. श्री संजय स्वांकर सिंह, सदस्य;

4. श्री संदीप सरकार, सदस्य; और

5. श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य

ट. गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ प्रतिनिधि

I. **डॉ॰ सुब्रह्मणयम स्वामी, संसद सदस्य (राज्य सभा)**

II. **कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)**

1. सुश्री पल्लवी श्रॉफ, क्षेत्रीय प्रबंधन सहभागी, नेशनल प्रैक्टिस हेड, विवाद समाधान, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कं॰;

2. सुश्री दीप्ती मेहता, सभागी, मेहता एंड मेहता;

3. श्री प्रशांत चोक्सी, समूह प्रमुख, कम्लायंस, विधि और कंपनी सचिव, जे॰ एम॰ फाइनेंशियल लिमिटेड;

4. श्री बाबू खान, वरिष्ठ निदेशक, सीआईआई; और

5. श्री श्रीराम लक्ष्मण, परामर्शदाता, सीआईआई, लोक नीति

III. **फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)**

1. श्रीमती विजया सम्पत, अध्यक्ष, कारपोरेट विधि; और

2. सुश्री निधि तोमर।

उपाबंध-III

अध्ययन टिप्पण

अध्यक्ष

समिति के अध्यक्ष का नाम	:	श्री अनिल माधव दवे

सदस्य

सदस्यों की कुल संख्या	:	(23)
यात्रा में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या	:	(12)
साथ जाने वाले व्यक्ति	:	(4)

सचिवालय

समिति के अध्यक्ष के कर्मचारियों सहित	:	(3)

स्थान और अवधि

दौरा किए गए राज्य	:	कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल
दौरा की जगहें	:	बंगलूरू, मुम्बई और कोलकता
अवधि	:	5 से 8 और 12 से 16 फरवरी, 2016
दिनों की संख्या	:	(9)
रात्रि विश्राम	:	(7)

मेजबान संगठन

भारत सरकार	:	(शून्य)
संगठन का नाम	:	केनरा बैंक, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और कोलकाता पत्तन ट्रस्ट
राज्य सरकार	:	(शून्य)

अध्ययन टिप्पण

भष्टाचार निरोधन (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी संसदीय प्रवर समिति की बंगलूरू, मुम्बई और कोलकाता का अध्ययन यात्रा प्रतिवेदन

बंगलूरू, मुम्बई और कोलकाता के अपने अध्ययन दौरे के दौरान समिति ने कर्णाटक, तमिनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार, ओडिशा राज्य सरकारों और अंडमान और निकोबार द्वीप और दादर एवं नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उद्यमों, वाणिज्य और उद्योग परिसंघ कर्मचारी संगठनों, विधिक विशेषज्ञों और एनजी क्षेत्र से भ्रष्टचार से जुड़ी प्राधिकरणों से इस विधेयक और इस पर 2015 में 50 पर प्रस्तावित अधिकारिक संशोधनों पर चर्चा की। इस अध्ययन यात्रा पर जाने वाले सदस्यों की सूची **अनुलग्नक**–I में दी गई है। समिति के समक्ष अपना साक्ष्य देने वाले विभिन्न हितधारकों की सूची **अनुलग्नक**–II में दी गई है। उनके लिखित और मौखिक साक्ष्यों का सार नीचे दिया गया है।

क. सरकारी सेवक पर अभियोजन चलाने के लिए पूर्ण स्वीकृति और सरकारी सेवक के विरुद्ध जोय शुरू किया जाना

- सरकार सेवक के ऊपर अभियोजन चलाने के लिए सरकार से पीसी अधिनियम, 1988 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के अंतर्गत पूर्व अनुमति को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि प्राय: इनका उपयोग बिना कोई कारण बताए ऐसी स्वीकृतियों को रोकना होता है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन चलाने में बहुत विलंब हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम में सरकारी सेवक पर भ्रष्टचार के आरोपों में अभियोजन चलाने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। यू॰के॰ में सरकारी अभियोजन निदेशक सरकारी सेवक के साथ–साथ अन्य सभी लोगों के ऊपर अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति देने के लिए सक्षम है।

- सीआरपीसी की धारा 197 को अधिकारियों के स्थानीय लोगों के शोषक से बचाने के लिए उपनिवेशी प्राधिकरण शामिल किया गया था लेकिन अब इसे हटाया जा सकता है।

- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अन्तर्गत सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों ही सरकारी सेवकों पर अभियोजन चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेनी होगी। जबकि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 19के अन्तर्गत इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराध के लिए सिर्फ सेवारत कर्मचारी को ही यह सुविधा प्राप्त है। अब इस विधेयक का उद्देश्य सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी यह छूट प्रदान करना है इसके तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन पर अभियोजन चलाने के लिए पूर्ण अनुमति प्रदान करके उनके सेवाकाल के दौरान कार्रवाई की जाएगी।

- अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास सरकारी कर्मचारी पर अभियोजन चलाने की मंजूरी देने की शामिल बनी रहेगी क्योंकि वह प्राधिकारी अपने कर्मचारी के कार्यकरण और आचरण को भलीभांति जानता है। इसके अतिरिक्त लोकायुक्त एकल सदस्यीय निकास है और कुछ राज्यों ने अपने यहां लोकायुक्त की स्थापना नहीं की है। यह आशंका व्यक्त की गई है कि लोकपाल या लोकायुक्त के कार्यालय पर सरकारी कर्मचारी पर अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान करने के आवेदनों का भार बहुत बढ़ जाएगा। ऐसी भी संभावना है कि चूंकि लोकायुक्त एकल सदस्यीय निकला है। इसलिए, वह पक्षापातपूर्ण और पूर्वाग्रह सैग्रस्त तरीके से कार्यवाही कर सकता है और अपने कार्यालय का दुरुपयोग कर सकता है।

- लोकपाल के बहुसदस्यीय निकाय होने पर भी अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति देने हेतु तथ्यों की पक्षपात रहित पड़ताल की जाएगी यह भ्रष्टाचाररोधी निकाय के लिए बोझिल प्रक्रिया हो सकती है। दूसरी तरफ समय प्राधिकारी जिन्हें मामले की गहरी समझ होती है अत्यंत भ्रष्टचार की स्थिति में मंजूरी देने में अतिशय विलम्ब करते हैं। इस प्रकार द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) के निम्नलिखित

सुझाव को सक्षम अधिकारी अभियोजन चलाने की मंजूरी देने के लिए मार्गदर्शन के रूप में ले सकता है।

- किसी सरकारी सेवक के रंगे हाथों में पकड़े जाने या उसके आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक सम्पत्ति पाये जाने की दशा में उस पर अभियोजन चलाने के लिए पूर्ण अनुमति की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
- स्वीकृति देने वाले अधिकारी को उसकी स्वीकृति का औचित्य साबित करने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। स्वीकृति से जुड़े अभिलेख अपने आप में पर्याप्त होने चाहिए।
- एक प्रावधान है कि एनपी और एमएलए के मामले में स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी कौन है। संबंधित विधायिका के पीठासीन अधिकारी को विधायकों और सांसदों पर अभियोजन चलाने की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में निर्देशित किया जाना चाहिए।
- सेवारत कर्मचारियों के संबंध में लागू पूर्व स्वीकृति का प्रावधान सेवानिवृत्ति कर्मचारियों पर सेवाकाल के दौरान लिए उनके कार्यों पर भी लागू होना चाहिए।
- नियोक्ता अधिकारियों को संबंधित सरकारी सेवक के कार्यकरण के संबंध में बेहतर समझ और ज्ञान होता है। अनुच्छेद 311 के तहत संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकारी सेवक के ऊपर नियोक्ता अधिकारी के अधिकारों के प्रत्यायोजित नहीं किया जाना चाहिए। यह सरकारी सेवक द्वारा अपने कार्यालयी कर्तव्यों के अनुपालन में लिए गए निर्णय से जोड़ने योग्य होना चाहिए। इस प्रकार लोकपाल/लोकायुक्त और सरकारी सेवक की टिप्पणियों के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी की भी पूर्ण स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 23 के तहत सरकारी सेवक पर लोकपाल/लोकायुक्त द्वारा अभियोजन चलाने की अनुमति देने से संविधान के अनुच्छेद 311 का अधिकारेत्तर हो सकता है।
- नियोक्ता अधिकारी के पास सरकारी सेवक के विरुद्ध जाये और अभियोजन शुरू करने के लिए अनुमति देने की शक्तियां होनी चाहिए।
- लोक सेवक को अपने कार्यालयी कर्तव्यों को करते समय सद्इच्छा से किए गए कार्यों पर अभियोजन चलाने से ब्याने के लिए अभियोजन के लिए स्वीकृति देने का अधिकार नियोक्ता अधिकारी के पास ही होना चाहिए।
- यह तर्क दिया गया कि यदि ऐसे प्रावधानों को भ्रष्टचार निरोधक कानूनों में बनाए रखा जाता है तो तीन महीने के भीतर ही स्वीकृति देना होगा। ऐसा न होने की दशा में इसे स्वीकृति दिया हुआ मान लिया जाएगा।
- अधिनियम में लोकपाल/लोकायुक्त को स्वीकृति देने के लिए एक समयसीमा होना चाहिए, उसका अनुपालन न किए जाने पर इसे स्वीकृति दिया हुआ मान लिया जाएगा।
- सरकारी सेवक के रंगे हाथों पकड़े जाने या आय के उसके ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति होने की स्थिति में गिरफ्तारी की दशा में सक्षम प्राधिकारी से पूर्ण स्वीकृति की आवश्यकता को हटा दिया जाना चाहिए।
- सरकारी सेवक पर अभियोजन चलाने से पहले पूर्ण स्वीकृति की आवश्यकता, जो अभी सेवारत कर्मचारियों को ही मिलती है, को सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को सेवा के दौरान किए गए अधिकारियों कार्यों के लिए भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम में यह छूट मिलनी चाहिए। अधिकारिता प्राप्त समिति जिसमें केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सचिव के स्तर से नीचे के अधिकारियों के मामले संबंधित विभाग के सचिव और केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सचिव स्तर के अधिकारी के मामले में कैबिनेट सचिव को लेकर एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो दो महीने के भीतर अभियोजन चलाने के लिए अनुमति देगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्कार की स्थिति में, इसके कारणों को वार्षिक रूप से संबंधित विधायिका के समक्ष रखना चाहिए।
- सचिव स्तर के नीचे के अधिकारी के मामले में सीवीसी और संबंधित विभाग के सचिव वाली समिति और सचिव स्तर के अधिकारी के मामले में सीवीसी और केबिनेट सचिव वाली समिति पर सीबीआई द्वारा जांच की मंजूरी छोड़ दिया जाना चाहिए।

- संबंधित लोक सेवक को हटाने में सक्षम प्राधिकारी को अभियोजन और जांच की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति निहित की जाए।

ख. भ्रष्टाचार के मामलों का समयबद्ध विचारण

- राज्यों में भ्रष्टाचार से संबंधित मामले दस से बीस वर्षों से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं जिनका अभिसाक्ष्य समिति के समक्ष दिया गया था अधिकांश हितधारकों का यह मत है कि प्रस्तावित दो वर्षों की समय सीमा जिसमें विशेष मामलों में इस अवधि का आधे का और समय विस्तार दिया जाना शामिल है, का अनुपालन किया जाना चाहिए। बेहतर दोषसिद्धि के लिए अधिनियम में जांच और मंजूरी के लिए एक समय-सीमा दिए जाने की आवश्यकता है।

- मौजूदा भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियां ऊंचे दर्जे वाले भ्रष्ट लोक सेवकों को दण्डित नहीं कर पाई हैं।

- ऊंचे दर्जे के भ्रष्टाचार मामलों को देखने के लिए इब्जेशिया की तर्ज पर भ्रष्टाचार उन्मूलन आयोग (कोमिसी परम्बोरतसन कोरम्सी केपीके) के संबंध में एक संवैधानिक निकाय का सृजन किया जाना चाहिए।

- न्यायालयी प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाए बगैर विचारण हेतु दो वर्षों की समय सीमा जिसे छः मासिक अन्तराल पर चार वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, नियत नहीं किया जा सकेगा। कानून को शब्दबहुल बनाने की बजाय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्ययालय को स्वगनों को रोकने तथा दैनिक आधार पर विचारण करने के लिए प्रचालात्मक नियमों को स्थापित करना चाहिए जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 4(4) के अधीन उल्लिखित है।

- जांच एजेंसियों हेतु जांच पूरी करने तथा सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए एक समय सीमा नियत की जानी चाहिए।

- भ्रष्टाचार संबंधित मामलों में विचारण के दौरान तुच्छ मुद्दों पर अनावश्यक स्थगन मांगने के लिए पत्रकारों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

ग. रिश्वत की परिभाषा

- अपनी अधिकारिक ड्यूटी करने से बचने को दंडिक अपराध बना दिया जाना चाहिए।

- जानबुझकर की गयी लापरवाही सदाचार है जिसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा देखा जाता है जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन नहीं लाया जा सकता है।

- सुस्पष्ट चूक जिसमें लोक सेवक जनता से प्राप्त अभ्यावेदनों के बावजूद कार्रवाई करने में असफल रहता है, की जांच की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने पर दंडित किया जाना चाहिए।

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की प्रस्तावित धारा 7 में ''प्राप्त अथवा लेने के सहमत'' शब्दों की कानूनी वैधता की जांच अभी की जानी बाकी है क्योंकि केवल इरादा पात्र ही अपराध नहीं होता है जब तक कि ऐसे इरादे को मूर्त नहीं दिया जाए।

- अधिनियम की धारा 13 के अधीन आपराधिक मनः स्थिति का समावेशन उचित एवं लम्बे समय से लंबित है।

- रिश्वत की परिभाषा में संविधान की विकृति, जानबुझकर लापरवाही, न्याय में अवरोध, लोक धन का अपव्यय को शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

- राज्यों की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि लोक सेवक संगत लोक कार्य जिसे वह कानून के अन्तर्गत करने के लिए बाध्य है करने के लिए रिश्वत की मांग और प्राप्त करता है। प्रस्तावित संशोधन में लोक सेवक को दोषी माना जा सकता है क्योंकि संगत लोक कार्य/कार्यकलाप के अनुचित निष्पादन के लिए रिश्वत मांगेगा।

- धारा 13(i)(घ)(iii) जिसमें बेईमान और ईमानदार लोक सेवकों को एक समान वर्गीकरण के दोष को सहना पड़ता है, का विलोपन उक्त उपबंध निर्णय में चूक करने वाले तथा मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए पद का दुरुपयोग करने वाले बेईमान लोक सेवकों को एक साथ देखता है।

- लोक सेवक जिसे सरकार द्वारा लोक सम्पत्ति सौंपी जाती है वह ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगा। जब यह सरकारी सम्पत्ति का अपने इस्तेमाल के लिए गबन अथवा परिवर्तित करता है तो यह गबन माना जाएगा। अत: लोक सेवक की कपटपूर्ण अथवा बेईमान दिमाग के लिए आगे की अहरता पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया था कि धारा 13(1)(ख) से बेईमानी से अथवा ऊपर से शब्दों को हटा दिया जाए।

- धारा 13(1)(क) में शब्द संपरिवर्तित इस्तेमाल किए गए शब्द ''अन्यथा'' अस्पष्ट लगता है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। अणरिक सरकार द्वारा इस प्रकार से निर्माण किए जाने का सुझाव दिया गया था:

  ''(क) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौपी गई या अपने नियंत्राधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेइमानी से या कपटपूर्वक दुर्विनियोजन करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है।''

- गैर मौद्रिक लाभ के लिए स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि जनता द्वारा दुरुपयोग और विद्वेषपूर्ण और झूठी शिकायत दायर किए जाने की संभावना है।

- विधेयक में गैर-मौद्रिक परितोषण का उदाहरण अथवा स्पष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि गैर-मौद्रिक परितोषण का कुटबंद्ध करना कठिन है।

- शब्द ''अनुचित लाभ'' में सभी प्रकार के मौद्रिक और गैर मौद्रिक परितोषण शामिल हैं तथा पर्याप्त रूप से व्यापक लगता है।

- अन्यायपूर्ण शब्द को 'अनुचित लाभ' से पहले लगाया जाना चाहिए। अननुपाती सम्पत्ति के मामलों में लोक सेवक की आपराधिक पन: स्थिति को साबित करने से जांच एजेंसियों पर अतिरिक्त बोझा पड़ेगा।

- किसी निजी पक्षकार को बिना किसी परितोषण के अनुचित पक्षपात दिखाने के उदाहरणों को दण्डनीय अपराध बना दिया जाना चाहिए।

- लोक सेवक द्वारा उपहार लेने को दण्डनीय बना दिया जाना चाहिए। यूरोप परिषद के मॉडल आचार संहिता के अनुच्छेद 18 में इस संदर्भ में इशारा किया गया था।

- कतिपय मौद्रिक सीमा के अध्यधीन परंपरागत उपहार/स्मारिका/यादगार के कतिपय अनौपचारिक स्थिति आदान प्रदान और बैठक/अधिकारिक दौरे के दौरान शिष्टाचार दोपहर/रात्रि भोजन को अनुचित लाभ के अन्तर्गत नहीं लाया जाना चाहिए।

- किसी लोक सेवक द्वारा देश के बाहर किए गए भ्रष्टाचार के कार्य को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दण्डनीय देना चाहिए। सिंगापुर के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 37 में इस बाबत इशारा किया गया है।

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में सार्वजनिक निजी साझेदारी में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सिंगापुर के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों को शामिल किया जाना चाहिए।

घ. लोक सेवक की परिभाषा

- अधिकांश शिक्षक और प्रधानाचार्य कथित तौर पर अंकों में परिवर्तन करने, प्रश्न पत्र को लीक करने, सामूहिक नकल कराने के लिए घूस लेने, निजी ट्यूशन के माध्यम से काला धन सृजित करने में लिप्त हैं। शिक्षण एक सार्वजनिक गतिविधि है और इसमें किसी भी तरह के कदाचार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के दायरे में लाया जाना चाहिए।

- पारित विश्वविद्यालय और उनके संबंधित महाविद्यालय जो बिना किसी सरकारी सहायता से चल रहे हैं अथवा कोई अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, के अधीन नहीं लाया जाना चाहिए।

- व्यावसायिकों को 'जन सेवक' की परिभाषा के अंतर्गत शामिल करने से वे हतोत्साहित होंगे तथा वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे।
- दुराग्रही चूककर्ताओं को प्रिवेंशन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लाया जाना चाहिए ताकि बैंकिंग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके।
- व्यावसायिक अपने विनियामक निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट अनुशासनिक प्रक्रियाओं के विषयाधीन होते हैं। इसके अतिरिक्त वे आपराधिक अपराध के लिए आईपीसी और आपराधिक दंड प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं।
- वे गैर-सरकारी संगठन जो संचालनात्मक लागत का 50 प्रतिशत या एक करोड़ की समतुल्य राशि या इससे अधिक अनुदान के रूप में ले रहे हैं जो तीन वर्षों के दौरान किसी भी कार्यवाही के लिए हो उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए।
- मिर्जा मूल्यनकर्ताओं/सर्वेक्षकों/वकीलों/चार्टर्ड अकाउंटैंटों को पीसी एक्ट के अंतर्गत सरकारी खजाने में विचार करके जन सेवक की परिभाषा में लाने से लालफीताशाही और बढ़ जाएगी।
- पीसी एक्ट के अनुच्छेद 19 में प्रस्तावित संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सेवानिवृत्त जनसेवकों को जनसेवक की परिभाषा के अंतर्गत लाने के लिए अनुच्छेद 2 में संशोधन किया जाना चाहिए।
- सभी कंपनियां और व्यक्ति जो जन परियोजनाओं को लागू करते हैं या पब्लिक ड्यूटी करते हैं उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उद्देश्य के लिए जन सेवक की परिभाषा के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।
- व्यावसायिकों को अपने स्वयं के व्यावसायिक आचरण से नियंत्रित होना चाहिए न कि उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन जन सेवक की तरह समझा जाए।

ड. रिश्वतखोरी के अपराध के लिए श्रेणीकृत दंड

- रिश्वत देने वाला तथा रिश्वत लेने वाला जिसमें कोई उकसाने वाला/माध्यम/दलाल शामिल हो उसे आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए तथा उसे भ्रष्टाचार के अपराध में समान रूप से दंड दिया जाना चाहिए।
- रिश्वत देने वालों तथा रिश्वत लेने वालों के लिए समान दंड की एवज में श्रेणीकृत दंड का सुझाव दिया गया। दंड की सीमा का निर्धारण रिश्वत की भाषा से संबंधित होना चाहिए। उस संदर्भ में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सरेंसेज, 1985 से 2001 में अनुच्छेद 27 में संशोधनों से संदर्भ लिया गया जिसने दंड की संरचना को युक्तिसंगत बनाया तथा इसे पकड़ी गई स्वायकों की मात्रा से संबंधित कर दिया। स्वायकों को प्रयोग करने वाले जिनके पास सीमित मात्रा में ड्रग होती है उन्हें कम दंड दिया गया और यह उन स्वायक बेचने वालों की तुलना में था जिनके पास ड्रग्स की मात्रा अधिक मात्रा में थी।
- अवपीड़क रिश्वत देने वाले रिश्वतखोरी के अपराध के पीड़ित होते हैं। जहां तक रिश्वत देने वालों को दंड दिए जाने का संबंध है उन्हें कपटपूर्ण रिश्वत देने वालों के समकक्ष नहीं रखा जाना चाहिए।
- छोटे अथवा बड़े या अत्यधिक बड़े भ्रष्टाचार के लिए दंड एक समान किया जाना प्रस्तावित है। उसे युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए तथा उसे दी गई अथवा प्राप्त की गई रिश्वत की मात्रा से जोड़ा जाना चाहिए।
- भ्रष्टाचार के मामलों के लिए न्यूनतम और अधिकतम दंड को क्रमश: सात और दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है ताकि यह सख्त और डराने वाला बन सके।
- यह समुचित नहीं लगता की रिश्वत देने वाले को दंड दिया जाए यदि वह निष्क्रिय रिश्वतखोरी में शामिल है। इसके कारण जन अधिकारियों के हाथों निरपराध लोगों का उत्पीड़न हो सकता है यदि रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है।
- रिश्वत के सामाजिक बुराई होने के नाते रिश्वत देने वाला, चाहे वह सक्रिय अथवा निष्क्रिय रिश्वतखोरी के अध्यधीन हो, दंड का भागी होना चाहिए। यदि लोग अपने सामाजिक व्यवहार में ईमानदार हों तो भ्रष्टाचार के मामलों में काफी कमी हो सकती है।

- भ्रष्टाचार के अपराध में 5 वर्ष कारावास के न्यूनतम अनिवार्य दंड के साथ लोक सेवक की परिसम्पत्ति जब्त किया जाना। बड़े पैमाने पर कपटपूर्ण भ्रष्टाचार जिससे सरकारी खजाने को भारी हानि हो रही हो, के मामले में न्यूनतम दंड 15 वर्ष का कारावास होना चाहिए।

- रिश्वत देने वाले को रिश्वत लेने वाले के समकक्ष नहीं रखा जाना चाहिए। रिश्वत देने वाला आपराधिक रूप से जुर्माने का भागी हो सकता है जबकि रिश्वत लेने वाले के साथ-साथ इसका अवप्रेरक/दलाल को आपराधिक रूप से कठोर कारावास का भागी होना चाहिए।

च. रिश्वत देने वाले का अनुमोदनकर्ता बनना

- अधिकांश मामलों में यह देखा गया है कि रिश्वत देने वाला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 24 के उपबंधों का सहारा लेकर बिना सजा के बच जाते हैं और इससे सहमति जन्य रिश्वत को रोकना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इस संदर्भ में धारा 24 के लोप का समर्थन किया गया था।

- रिश्वत देने वाले आमतौर पर रिश्वत का एक अंश देने के पश्चात् भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों को सूचित करते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 24 को जाल बिछाए गए मामलों की प्रभावकारिता के वास्ते बनाए रखा जा सकता है।

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 24 को बनाए रखे जाना चाहिए ताकि आम आदमी द्वारा रिश्वत लेने वाले के उत्पीड़न का खुलासा किया जा सके जो ऐसी लोक सेवा के परिदान के लिए भुगतान करता है जिसके लिए वह अन्यथा सरकार से प्राप्त करने का हकदार है और वह सेवा प्राप्त करने के पश्चात सरकार को इसकी सूचना देता है।

- धारा 8(2) अंत:स्थापित करके सूचना प्रदाताओं का संरक्षण करना, यदि वह सरकारी सेवक को रिश्वत देने से पूर्व जांच एजेंसी को इसकी सूचना देता/देती है तो यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए अच्छा कदम होगा।

- दबाव में रिश्वत देने वाले को या तो कपटपूर्ण रिश्वत देने वाले की तुलना में कम दंड दिया जा सकता है अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 24, जिसमें उन रिश्वत देने वाले को सरक्षण दिया गया है जिन्हें अनुमोदनकर्ता बन जाने पर कोई दंड नहीं दिया जाता है, को लोक हित में बनाए रखा जाना चाहिए।

- रिश्वत मामलों में रिश्वत देने वाला प्राय: बहुत महत्वपूर्ण साक्षी होता है और रिश्वत लेने वाले के अभियोजन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिश्वत देने वाले को रिश्वत देने वाले के समकक्ष रखे जाने से रिश्वत लेने वाले का अभियोजन और कठिन हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने का प्रयास करेंगे।

- प्रस्तावित धारा 8(2) में ऐसे रिश्वत देने वालों को संरक्षण का प्रावधान है जो लोक सेवकों को रिश्वत देने से पूर्व सूचना प्रदाता बन जाते हैं। विधेयक के अधीन प्रस्तावित धारा 24 के विलोपन से होने वाली इस नए उपबंध से पूरी हो जाएगी।

- रिश्वत लेने और देने का आदान-प्रदान स्वाभाविक रूप से निजी होता है। चूंकि रिश्वत देने को स्वत: ही आपराधिक रूप से भागी बना दिया गया है इसलिए रिश्वत देने वाले अथवा रिश्वत लेने वाले दोनों पर मुकदमे के लिए साक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो गया है।

छ. संपत्ति का अधिहरण और जब्ती

- धन-शोधन निवारण अधिनियम के उपबंधों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना विचारण अवधि के दौरान संपत्ति का अधिहरण करने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार से ओडिशा विशेष अधिनियम, 2005 में भी न्यायालय अधिकारी को विचारण अवधि के दौरान भ्रष्ट सरकारी सेवक की संपत्ति अधिहरण करने की अनुमति दी गई है किन्तु अपराध संशोधन विधि अध्यादेश, 1944 में भ्रष्ट लोक सेवक की संपत्ति जब्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अपेक्षित है। यह सुझाव दिया गया है कि प्रस्तावित विधेयक में शामिल किए जाने हेतु ओडिशा विशेष अधिनियम में दी गई समय-सीमा पर विचार किया जा सकता है।

- आय से अधिक संपत्ति के मामले में दंड की मात्रा सामान्य रिश्वतखोर जिसके पास आय से अधिक संपत्ति नहीं है, की तुलना में इस प्रकार के रिश्वतखोर के लिए अधिक होनी चाहिए। यदि नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अधीन आय के अज्ञात स्रोत की जानकारी आवधिक रूप से सक्षम प्राधिकारी को नहीं दी जाती है, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में पकड़े जाने के पश्चात् लिए गए अभिवचन को प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

- कुछ राज्य सरकारें भ्रष्टाचार के प्रति पूर्ण असहिष्णुता का अनुपालन करती हैं और विचारण के दौरान विरोधी पक्ष में नहीं जाने देने के लिए साक्षियों तथा सूचना प्रदाताओं को पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। भ्रष्ट सरकारी सेवक के आवास को वंचित बच्चों हेतु विद्यालय के रूप में किया गया है सरकारी सेवकों की तैनाती और स्थानांतरण भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है जिसे नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है।

- लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार के आगमों को झूठे नाम से रखा जाता है और जब भ्रष्ट सरकारी सेवक को पकड़ा जाता है, तो संपत्ति को जल्दी से अंतरित करने की प्रवृत्ति होती है। संपत्ति के समपहरण और जब्ती से संबंधित ओडिशा और बिहार विशेष न्यायालय अधिनियमों में उपबंध बेहतर प्रतीत होते हैं जहां संपत्ति की कुर्की हेतु अभियोजन अभिकरण द्वारा विशेष न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती जो लोक सेवक द्वारा उस संपत्ति के अंतरण को रोकता है। इस प्रकार, उन उपबंधों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रस्तावित धारा 18क के अंतर्गत रखा जा सकता है।

- क्रिमिनल आर्डिनेन्स एमेंडमेंट लॉ, 1994 और धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2003 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की हेतु उपबंध अप्रचलित हैं जहां ओडिशा और बिहार विशेष न्यायालय में उपबंध कार्यात्मक रूप से बेहतर हैं और बिहार में शामिल किए जा सकते हैं।

- नई धारा 18(1) के अंतर्गत परिकल्पित संपत्ति की कुर्की की अधिकतम अवधि डेढ़ वर्ष के लिए है जो अपर्याप्त प्रतीत होता है, क्योंकि जांच को अपनी औपचारिकताएं पूरी करने में दो वर्ष से अधिक लगते हैं। इसलिए, यह सुझाव दिया गया कि कुर्की अवधि को तीन वर्षों के लिए कर दिय जाए और एक वर्ष की आरंभिक अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक एक वर्ष के लिए दो बार विस्तार किया जाए।

- संपत्ति की अंतरिम कुर्की ईमानदार लोक सेवक हेतु बाधा हो सकती है।

- भ्रष्टाचार के आगमों की जब्ती हेतु सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त किया जाना चाहिए।

- उच्च न्यायालय के लिए अपील के निपटान हेतु ओडिशा विशेष न्यायालय अधिनियम तथा बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम में क्रमशः तीन महीने और छह महीने की समय-सीमा है, जबकि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक, 2013 में ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

- भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्तियों की असमय जब्ती प्राकृतिक न्याय और साम्य के सिद्धांत के विरुद्ध हो सकता है।

- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा ओडिशा/बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के उपबंधों की तुलना में दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 अधिक उपयुक्त है।

ज. कॉरपोरेट भ्रष्टाचार

- अमेरिका के दि फारेन करप्ट प्रैक्टिसेज अधिनियम, 1997 और दि यू के ब्राइबरी अधिनियम, 2010 ने रिश्वतखोरी में शामिल उन देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अतिरिक्त बाध्यताएं डाल दी हैं। लेकिन इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लोक सेवकों को रिश्वत दिए जाने के समाचार मीडिया में आए हैं। आंतरिक कार्यकरण हेतु तैयार आचार संहिता का बहुत कम अनुपालन होता है। इस प्रकार, निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की कंपनियों को आंतरिक आचार संहिता को स्वीकार करने के अलावा अपने एजेंटों अथवा बिचौलियों द्वारा लोक सेवक कंपनियों को भुगतान किए गए रिश्वतों के लिए कानूनी तौर पर तथा स्थानापन्न रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने की जरूरत है, भ्रष्टाचार के प्रति असहिष्णु बनने और अपने कॉरपोरेट शासन एवं सत्यनिष्ठा के मानक को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

- वाणिज्यिक संगठनों को भ्रष्ट गतिविधियों के लिए डर पैदा करने हेतु आंतरिक दंडात्मक तंत्र रखने के अतिरिक्त अपने कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट गतिविधियों के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।
- वाणिज्यिक संगठनों को अपने कर्मचारियों एवं एजेंटों द्वारा किए गए अपराध हेतु स्थानापन्न रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
- कंपनी के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत दिए जाने को उनके संबंधित आचार नियमों/विनियमों में विशिष्ट कदाचार के रूप में समझा जाना चाहिए।

झ. विविध

- सेवानिवृत्ति पश्चात् कर्तव्य भार लेने से पूर्ण सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए अनिवार्य उपशमन अवधि होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सरकारी सेवक कार्यालय में अपने कैरियर के अंतिम चरण के दौरान सरकार का पक्ष लेते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों ने निवारक उपाय के रूप में अपने संगठन में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक दोनों द्वारा संपत्तियों को फाइल करने की ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है।
- यद्यपि भ्रष्टाचार हमारे समाज में व्याप्त है, यह स्थानिक नहीं है। यह हमारे समाज में मूल्य प्रणाली के क्षरण के कारण प्रणालीगत विफलता से उत्पन्न होता है। लोक सेवा भी सुपुर्दगी में अथवा सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार अथवा निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार सहित किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार राजनीतिक और न्यायिक भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को यूएनसीएसी, 2005 के समान बनाने के लिए केवल इसका पुनर्लेखन वांछित परिणाम दे सकता है।
- पीसी अधिनियम के अनुपूरक के रूप में ई-शासन, बेहतर शासन को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित राज्य विधियां भ्रष्टाचार के अवसर में कमी लाएंगी।
- लोकायुक्तों के जांच अधिकारियों का चयन विधि स्नातकों में से किया जाना चाहिए।
- सूचना प्रदाताओं द्वारा सरकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न एवं भयादोहन किया जा सकता है, इसलिए पीसी अधिनियम में सूचना प्रदाताओं पर नजर रखने हेतु तंत्र का प्रावधान किया जाए।
- कुछ संबंधित कानून जिन्हें अधिनियमित या संशोधित किए जाने की आवश्यकता है, वे हैं:—

  (क) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम (संसद में पुर:स्थापित नया विधेयक), (ख) लोक उपापन अधिनियम (संसद में पुर:स्थापित), (ग) विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक (व्यपगत), (घ) धन-शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन, (ङ) कंपनी अधिनियम, (च) सेबी दिशानिर्देश। इसके अतिरिक्त, पिछले दो वर्षों से प्राप्त अनुभव के आलोक में सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम जैसे विधानों का पुनर्निमाण करना होगा।
- 2016 में ट्रांसपेरेंसी, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार, धारणा सूचकांक में भारत का 168 देशों में 76वां स्थान है जिसमें और सुधार की आवश्यकता है।
- भारत के 166वें विधि आयोग द्वारा यथा सुझावित भ्रष्ट लोक सेवक (संपत्ति का समपहरण) विधेयक को बिना और बिलंब के अधिनियमित कर देना चाहिए।
- बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 का त्वरित कार्यान्वयन।

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI—2016.

GMGIPMRND—2585GI(H)—04.10.2016.

MANOJ KUMAR Digitally signed by MANOJ KUMAR Date: 2016.10.05 14:08:33 +05'30'